खण्ड-197, अंक-7
सोमवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(3 सितम्बर, 1958 ई0)

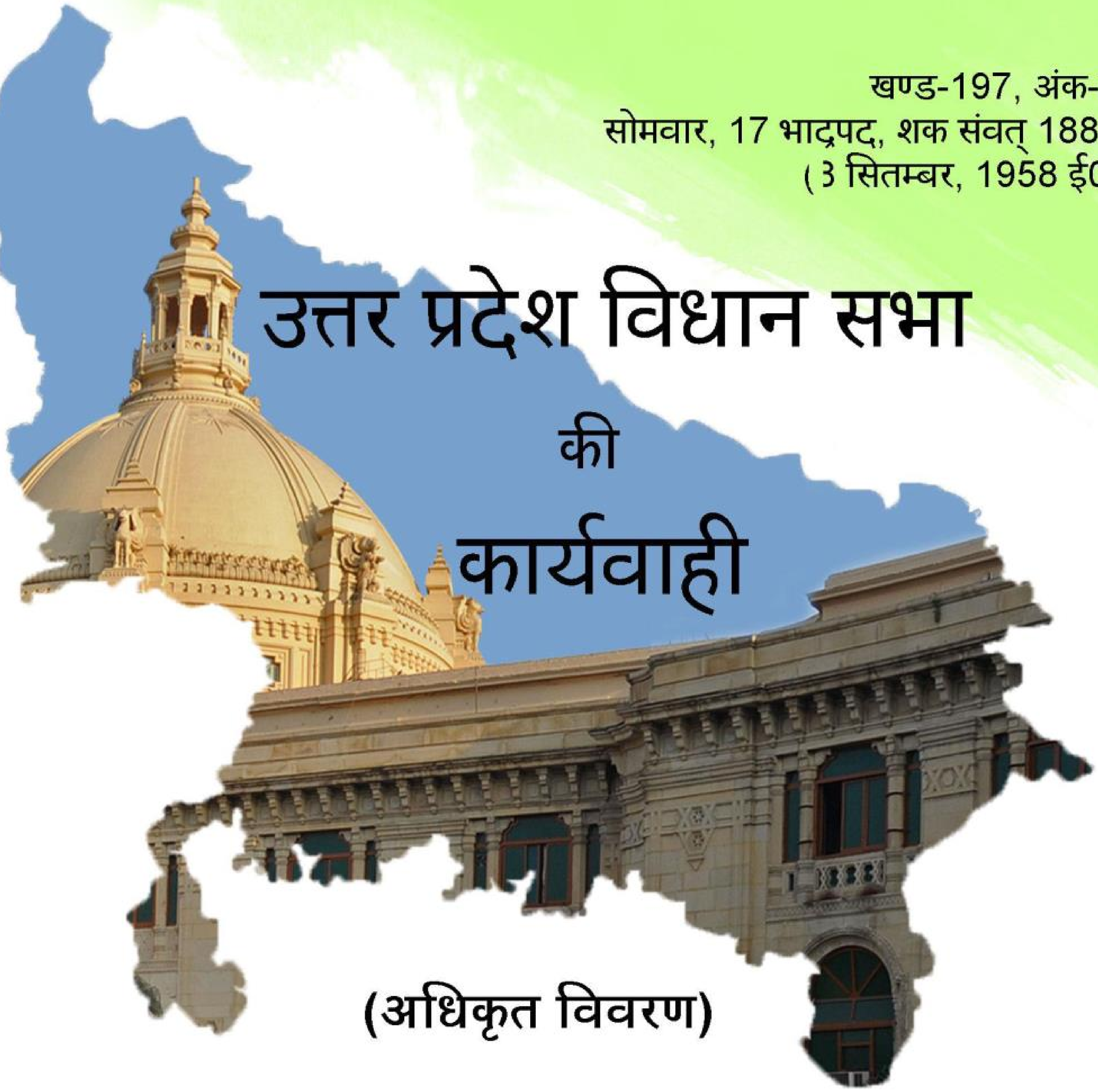

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३९०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली अर्शर जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव नराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री]
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री]
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागश्वर, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री]
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री]
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री]
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री]
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फरुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वसुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री

शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एस० डी० एम० (जे०) और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को छुट्टी देने का अधिकार कलेक्टर को मिलना

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सच है कि जिन जिलों में जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को पृथक किया गया है वहां पहले ए० डी० एम० (जे०) को कमिश्नर और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को ए० डी० एम० (जे०) छुट्टी स्वीकार करते थे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—ए० डी० एम० (जे०) तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स दोनों को कमिश्नर छुट्टी देते थे।

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सच है कि अब कोई ऐसे सरकारी आदेश जारी किये गये हैं कि उक्त जिलों में ए० डी० एम० (जे०) और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को कलेक्टर छुट्टी स्वीकार करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। छः सप्ताह तक के लिये कलेक्टर छुट्टी दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पूर्व आदेशों में परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कमिश्नरों के पास कई जिलों का काफी काम रहता है और यह छोटी-छोटी मियाद की छुट्टियां रहती हैं, बहुत दिनों तक दरख्वास्तें रुकी रह जाती थीं, इस लिये ऐसा किया गया कि कलक्टरों को यह अधिकार दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कलेक्टरों के अधीन जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की छुट्टी का अधिकार देने से एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग-अलग रखने के सिद्धान्त में फर्क पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतनी छोटी-छोटी सुविधाओं से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नरों से यह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स व ए० डी० एम० (जे०) से यह छुट्टी देने का अधिकार कब छीना गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसको छीनना नहीं कहा जा सकता, यह तो कार्य की सुविधा की बात है, एक अधिकारी से सुविधा के हेतु उसके काम को लेकर दूसरे को दे दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है तो क्या सरकार इस छुट्टी देने के अधिकार को कमिश्नरों को देकर पुरानी प्रणाली फिर जारी करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट के जजेज तक की छुट्टी गवर्नमेंट मंजूर करती है। इस छुट्टी देने के अधिकार से एक्जीक्यूटिव व जुडीशियरी की अलहदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ सप्ताह से अधिक की छुट्टी कौन दे सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—४ मास तक की बोर्ड आफ रेवेन्यू और उसके ऊपर गवर्नमेंट।

तारांकित प्रश्न

अपाहिज डेलीक्वेन्ट्स के लिये पुअर हाउसेज की व्यवस्था न होना

*१—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी क्या अपाहिज डेलिक्वेन्ट्स को पुनर्वासित करने की कोई योजना उसके पास है ?

सामाजिक कल्याण उप-मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जी नहीं।

*२—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशीलाल चौधरी—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विशेष कारण हैं जिनसे सरकार की कृपादृष्टि इन असहाय लोगों के पुनर्वासन पर अब तक नहीं पड़ सकी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—चूंकि यह समस्या बहुत बड़ी है इसलिये धन के अभाव के कारण अभी तक कोई योजना इस संबंध में नहीं बन सकी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अपाहिज डेलिक्वेन्ट्स के लिये पुअर हाउसेज की व्यवस्था नहीं की गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—केवल हरिद्वार के अन्दर एक आश्रम ऐसे लोगों के लिये स्थापित किया गया है सरकार की ओर से जहां कुछ अपाहिज लोग अब तक बसाये गये हैं।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने प्रदेश के ऐसे अपाहिजों का कोई सेन्सस कराया है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी नहीं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा सेन्सस कराना जरूरी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा कि अभी बताया गया धन के अभाव के कारण अभी कोई ऐसी चीज नहीं कर सके।

*३-५—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[हटा दिये गये।]

*६-७—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

क्षतिग्रस्त रबी की फसल के संबंध में देवरिया जिलाधीश को जिला सोशलिस्ट पार्टी का पत्र

*८—श्री उग्रसेन—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला सोशलिस्ट पार्टी देवरिया ने दिनांक ८-४-५८ को जिलाधीश को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि १३६५ फसली की रबी पूर्णतया क्षति-ग्रस्त है ?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—जिला सोशलिस्ट पार्टी देवरिया ने दिनांक ८ अप्रैल, १९५८ ई० को जिलाधीश देवरिया को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने यह जाहिर किया था कि पूरे जिले में बारह आने के लगभग १३६५ फसली की रबी को क्षति पहुंची है।

*९—श्री उग्रसेन—क्या सरकार उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७८ पर)

*१०—श्री उग्रसेन—क्या जिलाधीश देवरिया ने उस समय फसलों की जांच की कोई व्यवस्था की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जिस समय जिला सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जिलाधीश को पत्र दिया गया था फसलें कट चुकी थीं। उस समय फसलों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, मगर उक्त पत्र के मिलने के पहले ही जिला अधिकारियों ने अपने मुआइने और जांच के जरिये इस बात का इतमिनान कर लिया था कि फसलों को कोई खास हानि नहीं पहुंची थी और इसकी तसदीक Crop-cutting Experiment से भी हुई।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया के पत्र के उत्तर में जिलाधीश ने उन्हें क्या लिखा ?

श्री चरणसिंह—मुख्तसरन यह लिखा था कि फसलें जब खलियान में आ जाती हैं तब उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता कि कितनी जमीन में और कितने एकड़ में कितनी फसल हुई।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने उत्तर में कहा है कि कोई खास हानि नहीं हुई है, तो कितनी हानि हुई ?

श्री चरणसिंह—इतनी हानि नहीं हुई जिससे कोई रिलीफ दिया जा सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी हालत में जबकि जनता के प्रतिनिधियों के एस्टीमेट और सरकारी एस्टीमेट में फर्क ज्यादा पड़े तो किसी आर्बिट्रेशन की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह—क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स की एक बड़ी मुफस्सिल स्कीम बनी हुई है। उसके मुताबिक सारे सूबे में लगभग ३,५०० एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो देवरिया में लगभग १०० एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे। उसके मुताबिक जो आता है कि इतनी पैदावार हुई उस पर गवर्नमेंट अमल करती है। जहां तक जनता के प्रतिनिधियों का सवाल है, मैं इसके सिलसिले में पहले अर्ज कर चुका हूं कि उनका इसमें एसोसिएशन कोई बहुत हितकर नहीं रहेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट का गांव की लेविल पर काम, जो फसल अनुमान करने, काटने और तौलने का है वह लेखपाल और कानूनगो करते हैं ?

श्री चरणसिंह—कृषि अधिकारियों की देख-रेख में जहां तक कृषि अधिकारी जा सकते हैं उसमें कानूनगो और लेखपाल करते हैं।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस समय जब यह पत्र लिखा गया था सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, तब फसलें खड़ी थीं ?

श्री चरणसिंह—८ अप्रैल को फसलें देवरिया में तो नहीं खड़ी थीं, शायद माननीय सदस्य के जिले में खड़ी हों।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि जब एग्रीकल्चरल अधिकारी क्राप एक्सपेरिमेंट करने जायें, वे ग्राम सभा के अधिकारियों और प्राधिकारियों से सहायता लें और उनकी मौजूदगी में ऐसा करें ?

श्री चरणसिंह—कम से कम जिस किसान के खेत में से फसल काट कर चली जाती है उस किसान को तो मालूम होता ही है और जहां तक मुझको याद है सभा को भी इत्तला दी जाती है। अगर नहीं दी जाती होगी तो सभा को इत्तला देने की तजवीज पर विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिलाधीश ने रामेश्वरलाल, मंत्री सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया को यह लिखकर मांगा था कि वह ५ गांव की प्रत्येक तहसील से सूची भेजें ?

श्री चरणसिंह—यह तो पत्र जो मैंने मेज पर रखा है उसमें लिखा है, लेकिन खलियान में जब फसल पहुंच जायगी तो उसका तखमीना लगाना बेकार की बात थी, और पत्र ही में आपने लिख दिया था कि १२ आने का तो वैसे ही नुक्सान है।

*११—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

बिजनौर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन

*१२—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बिजनौर में इस समय तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन दी गई है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—७२ व्यक्तियों को।

*१३—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि उक्त पेंशन के लिये कितने आवेदन-पत्र आये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वृद्धावस्था की पेंशन के लिये जिले में कुल ३८३ प्रार्थना-पत्र आये थे।

श्रीमती चन्द्रावती—इसमें कितनी महिलायें थीं और प्रत्येक को मासिक कितने रुपये की सहायता दी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—महिलाओं की तादाद, मान्यवर, अलग तो नहीं है लेकिन जिनको भी इस स्कीम के अन्तर्गत पेन्शन दी जाती है वह १५ रुपये महीने दी जाती है।

श्रीमती चन्द्रावती—३८३ प्रार्थना-पत्रों में से कुल कितनों को पेन्शन स्वीकृत हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—७२ को।

कपड़ा मिल मजदूर सभा, मोदीनगर, जिला मेरठ का पत्र

*१४—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कपड़ा मिल मजदूर सभा, मोदीनगर (मेरठ) का कोई ऐसा पत्र आया है, जिसमें उसने अपने-अपने सदस्यों के विवाद प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ के सम्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार मांगा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पत्र पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सारे विभाग में छानबीन चल रही है कि उन्होंने कहां तक मुनासिब बात कही है। यह देखने की कोशिश हो रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिसके कारण इस तरह का पत्र उस यूनियन की तरफ से आया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—औद्योगिक विवादों को तय करने के सम्बन्ध में मेरे अपने विचार से उस यूनियन को बड़ी गलतफहमियां हैं जिनकी वजह से उसने ऐसा पत्र भेजा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में ऐसे अधिकार पहले से ही मौजूद हैं कि वह रोजनल कंसिलियेशन अफसर को भी लिख सकते हैं तो फिर विचार होने में क्यों देर हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत एक विशेष व्यवस्था मोदीनगर में स्थापित की गयी है जो मालिक और मजदूरों की सहमति के द्वारा हमारे सामने पेश की गयी थी। उस स्थिति में जब तक मोदीनगर के औद्योगिक विवादों को तय करने का सम्बन्ध रहेगा तब तक उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा जो हमारी दूसरी मशीनरी है उस पर जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि चूंकि अब मजदूर स्वयं मांगकर रहे हैं कि उन्हें धारा ३ के अनुसार जो मशीनरी है उसके इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाय वह फिर यह विचार करेगी कि उस मशीनरी का अधिकार मजदूरों को मिले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, माननीय नारायणदत्त जी ने यह सवाल गलती से कर दिया है। मजदूरों ने ऐसी मांग की, यह बात नहीं है। यह एक यूनियन की जो कि अपने को वहां के मजदूरों का प्रतिनिधि बताती है उस की ऐसी राय है। मजदूरों की राय हमने पुछवाई है और उस राय के सम्बन्ध में वहां की यूनियन की जो शक्ति है उसको हम दिखवा रहे हैं। यदि अधिक मजदूर उस यूनियन के साथ हुये जो यह मांग कर रही है तब हम उसे मजदूरों की मांग समझेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद—किस यूनियन को मजदूरों का विश्वास प्राप्त है इसके लिये क्या सरकार वहां कोई रेफ़रेन्डम कराने की कृपा करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, अभी हाल में नैनीताल में हिन्दुस्तान के सारे लोगों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी, इंडियन लेबर कान्फ्रेन्स। उसमें यह बात अस्वीकार की गयी थी कि कोई बैलट के द्वारा यूनियनों के मत और शक्ति की जानकारी की जाय। हम उस नीति के विरुद्ध नहीं जायंगे और जो निश्चय वहां पर किया गया है और जो सर्वमान्य तरीका है उसी से पता लगायेंगे।

श्री उग्रसेन—किस यूनियन के द्वारा मजदूरों ने सहमति प्रकट की कि मोदीनगर में ही उनके मामले रहें, मेरठ में न जायं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मोदी वीविंग मिल कर्मचारी संघ एक वहां पर यूनियन है जिससे मोदी जी का एक समझौता हुआ था। उस समझौते के मुताबिक मोदीनगर में उनका फ़ैसला होता है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जैसा मंत्री जी ने कहा कि वे विभिन्न यूनियन्स की शक्ति मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह किसके जरिये से मालूमात कर रहे हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन जो इस माननीय सदन द्वारा इसी काम के लिये स्वीकृत हुये हैं, वही करेंगे।

बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों में पेय जल व्यवस्था पर व्यय

*१५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि जिला बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर में कुछ समय पूर्व पीने के जल की कमी हो गई थी? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे?

श्री चरणसिंह—जी हां, बांदा, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर के कुछ गांवों में पीने के जल की कमी हो गई थी। गत वर्ष पानी के कम बरसने के कारण पृथ्वी के अन्तर्गत जलस्रोत बहुत नीचे चले गये थे, अतः कुछ कुएं सूख गये थे।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर के कुछ गांवों में पीने के जल की कमी हो गई थी उसको दूर करने के लिये सरकार ने दूसरे जिलों से जल मंगाया? यदि हां, तो कहां से और कितना व्यय हुआ?

श्री चरणसिंह—अब इन तीनों जिलों का मैं अलहदा-अलहदा बतलाता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक साथ ही बतला दें तो अच्छा है।

श्री चरणसिंह—जी हां, लम्बा तो है ही। जहां तक बांदे का सवाल है केन्द्र के रेलवे के सारकुंडी, टिकरिया, बहजोई पुरवा और कर्वी स्टेशनों पर रेलवे वैगनों से पानी पहुंचाया गया। दूसरा इंतजाम यह हुआ कि मानिकपुर, कर्वी के रेलवे नल तथा टिकरिया के रेलवे कुएं २४ घंटे जनता के लिये खुले रखे गये। नम्बर तीन यह कि अनुसुइया कर्वी तथा पारकुंडी

पर पानी वितरण केन्द्र स्थापित कर के लोगों को पानी पहुंचाया गया। कई गांवों के कुएं गहरे किये गये और १५ हजार रुपया इसके लिये मंजूर हुआ। इलाहाबाद में ४५ कुएं मेजा तहसील में राज्य सहायता के आधार पर बनाये गये। ४५ कुओं में ३३,७०० रुपया खर्च हुआ ७५० रुपये सब्सीडी के तौर पर। १४ कुएं टैस्ट वर्क से खोले गये। ५०० रुपये फी कुएं के हिसाब से खोले गये जिसमें कुल रुपया ७,००० खर्च हुआ। २० कुएं गहरे किये गये इसमें कुल २,००० रुपया खर्च हुआ। इस तरह से इसमें कुल रुपया ४२,७०० खर्च हुआ।

नहरों को जहां तक सम्भव हुआ चालू रख कर पशुओं के लिये पानी का इन्तजाम किया गया। यह मैंने मेजा तहसील के बाबत बताया है। करछना तहसील के हर एक प्रभावित गांव में एक कुआं गहरा किया गया बारूद से चट्टान उड़ाकर। कुल २४ कुएं गहरे किये गये। ३५० रुपये फी कस के हिसाब से गहरे किये गये और कुल ८,४०० रुपया खर्च हुआ। मिर्जापुर में दो मोटर टैंकरों से पानी पहुंचाया गया। कच्चे कुएं खोदने के लिये २०० रुपये दिये गये। १० हजार रुपये मोटर टैंकरों के लिये और २० हजार रुपये कुएं गहरे करने के लिये मंजूर किये गये।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि इन तीन जिलों के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से पानी की शिकायत आई? यदि हां, तो कहां से?

श्री चरणसिंह—शिकायत तो कोई नहीं आई वैसे मैंने अखबारों में पढ़ा कि पानी की कमी हो चली है लेकिन इतनी कमी नहीं थी कि गवर्नमेंट की ओर से इंतजाम करने की नौबत आती।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीन जिलों में कितने-कितने गांव अफेक्टेड हुये या कितना क्षेत्र अफेक्टेड हुआ?

श्री चरणसिंह—बांदा में १३ गांव ऐसे थे जिनमें टैंकरों से पानी पहुंचाया गया। जहां रेलवे स्टेशन हैं वहां रेलवे वैगनों द्वारा पानी पहुंचाया गया तथा रेलवे के नल और कुएं २४ घंटे जनता के लिये खुले रखे गये इनकी कोई तादाद नहीं है।

जहां तक इलाहाबाद का ताल्लुक है मेजा तहसील में १४ गांवों में पानी की बहुत कमी हुई जहां १४ कुएं बनाये गये सब्सीडी से, जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं और १७ गांवों में २० कुएं टैस्ट वर्क्स से बनाये गये। करछना में २४ गांवों में पानी की कमी हुई जहां २४ कुएं बनाये गये। मिर्जापुर में ५ गांव थे जहां मोटर टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया गया। इसके अलावा और गांवों में भी कमी थी जिनका जिक्र किया गया है, उनकी तादाद २० है।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि मारकुंडी आदि स्थानों में कितने वर्षों से पानी की शिकायत चली आ रही है?

श्री चरणसिंह—जिसको शिकायत कहा जा सकता है जिससे लोगों को कष्ट हो वह तो इसी वर्ष हुई। बाकी माननीय जगपतिसिंह गवर्नमेंट से बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वहां सिंचाई वगैरह के लिए पानी का इंतजाम होना चाहिए।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह दिक्कत पानी की इसी साल हुई या इससे पहले भी होती रही है?

श्री चरणसिंह—पानी की समस्या वहां बहुत पुरानी है। लेकिन दिक्कत और तकलीफ जो है यह रिलैटिव टर्म्स हैं। जिसको तकलीफ कहा जायगा वह इसी वर्ष हुई। बाकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आइन्दा इस प्रकार की तकलीफ भी न हो चाहे ड्राट हो जाय तब भी।

इलाहाबाद जिले में सेवा आश्रम को अनुदान

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में जो भीख मांगने वालों के लिये आश्रम खोला गया है उसमें सरकार कितनी सहायता देती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इलाहाबाद में नवीन सेवा आश्रम को, जिसमें भीख मांगने वालों और अपाहिजों को आश्रय दिया जाता है, सन् १९५५–५६ में १०,००० रुपये का तथा १९५७–५८ में २,००० रुपये का अनावर्त्तक अनुदान दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस आश्रम में कितने अपाहिज और भीख मांगने वाले रहते हैं और इसका संचालन किसके द्वारा होता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस आश्रम में लगभग ३० के अपाहिज हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि उसी नगर में इसी प्रकार का एक आश्रम था जिसको सरकार सहायता देती थी और अब उसने दो साल से बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। एक संस्था और भी है। समाज सेवक समिति के नाम से उसको भी अनुदान दिया जाता है और दिया भी गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि १९५६–५७ में १०,००० दिया गया और दूसरे साल २ ही हजार क्यों दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—पहले साल १०,००० इसलिये दिया गया था कि उनको किसी इमारत के लिये रुपये की आवश्यकता थी। दूसरे वर्ष जो दिया गया है केवल वहां के काम चलाने के लिये दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस आश्रम का नाम मंत्री जी ने बताया उसको कितनी सहायता दी जाती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—उसके आंकड़े इस समय नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो आंकड़े दिये जा सकते हैं।

बाराबंकी जिले में ग्राम सभाओं द्वारा लगान की वसूली

*१७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में तहसील हैदरगढ़ व रामसनेहीघाट, नवाबगंज, फतेहपुर में मालगुजारी वसूल करना किन-किन ग्राम सभाओं के प्रधानों को १९५७ व १९५८ ई० में सुपुर्द किया गया था ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७९पर)

*१८—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन ग्राम सभाओं को उक्त मालगुजारी वसूल करना सौंपा गया था उन्हें कमीशन दिया गया या बाकी है ? यदि बाकी है, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—किसी भी ग्राम सभा को कमीशन नहीं प्राप्त हुआ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्राम सभाओं ने जिस हिसाब से लगान वसूल किया था उस हिसाब से उनको कमीशन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। उस हिसाब से कमीशन नहीं दिया जायगा। बल्कि जब पूरी रकम वसूल करेंगे तब उसके बाद कमीशन दिया जायगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम सभाओं को लगान वसूली में तहसील के कर्मचारियों ने किसी प्रकार की मदद दी ?

श्री चरणसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। अगर उन्होंने इमदाद चाही होगी तो अवश्य दी गई होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले साल जिन ग्राम सभाओं को वसूल करने की आज्ञा दी गई है अब आइन्दा और भी ग्राम सभाओं को देने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—वह तो गवर्नमेंट की नीति है कि जो ग्राम सभाएं कलेक्टर की निगाह में इस योग्य हों उनको अधिकार दे दिया जाय।

*१९—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१७ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०-२२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[१७ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

पेन्शन पाने के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें

*२३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय सरकारी नौकरी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के कितने मामले विचाराधीन (Pending) हैं ?

श्री चरणसिंह—१५ सितम्बर सन् १९५८ को २१४५ पेन्शन के मामले विचाराधीन थे।

*२४—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५७ से अब तक ऐसे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की अपने पेंशन के मामलों में कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है या होने वाली है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, कुछ ऐसी शिकायतें शासन के पास आई हैं। प्रत्येक ऐसी शिकायत आने पर एकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर को या जिस दफ्तर में कागज रुके हुये थे उनको शीघ्र फैसला करने के लिये लिखा गया और रिटायर हुए कर्मचारियों को जल्द जल्द पेन्शन दिलवाने की कोशिश की गई।

*२५—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार ने पेंशन के मामलों को शीघ्र तै करने के हेतु कोई विशेष अधिकारी (Special agency) की नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो उसने क्या प्रगति की ?

श्री चरणसिंह—जी हां, एक ऐसे विशेष अधिकारी की नियुक्ति दिसम्बर सन् ५३ में की गई थी और अक्तूबर सन् ५७ तक यह पद स्थापित रक्खा गया। इस दौरान में विशेष अधिकारी ने ६,९३१ पेन्शन के मामले तय करवाये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी शिकायतें आई नवम्बर सन् १९५७ से और उनके आने के बाद उनमें से कितनी दूर की जा सकीं।

श्री चरणसिंह—१६७ शिकायतें आईं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने अधिक तादाद में विचाराधीन मामले होते हुये सरकार इस विशेष अधिकारी की पुनः नियुक्ति करने की बात पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—अभी यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन गवर्नमेंट को चिन्ता जरूर है कि यह पेन्शन के मामले जल्द से जल्द तय किये जा सकें। एकाउन्टेन्ट जनरल से बातचीत चल रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह पेन्शन के मामले जल्द तय न होने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—कारण तो मैं अफसरों की कमी ही मानूंगा और इसके मानने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि स्पेशल एजेन्सी को नियुक्त करने का सरकार का अधिक खर्चा क्या हो रहा है ?

श्री चरणसिंह—अभी तो खर्च का सवाल नहीं उठता क्योंकि अब विशेष अधिकारी नहीं है लेकिन जब विशेष अधिकारी था तो उसके अलावा ४ अफसर उसकी मदद के लिये दिये गये थे। कुल खर्चा क्या होगा यह तो नोटिस मिलने पर ही बतलाया जा सकता है।

*२६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[१७ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७-२८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिये गये।]

मंगलौर, जिला सहारनपुर में ड्रेन बनाने की स्वीकृति

*२९—श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगलौर सहारनपुर में ३१ जुलाई से निरन्तर एक सप्ताह वर्षा से वहां के क्षेत्र की फसल और घरों को भारी हानि हुई और यातायात के साधन भी बन्द हो गये ? क्या सरकार उसके लिये तुरन्त कोई उपाय करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी हां। फसल को जो हानि पहुंची उसका अन्दाजा लगाया जा रहा है और १५० मकानों को भी नुक्सान पहुंचा। यातायात भी लगभग एक सप्ताह बन्द रहा और उसके पश्चात् मोटरों व अन्य यातायात के साधनों का चलना जारी हो गया। वर्षा के पानी का जमाव (१) रजबाहे की पटरी कटवा कर, और (२) पम्प द्वारा पानी निकलवा कर साफ कर दिया गया था। इस दिक्कत को सदा के लिये दूर कर देने के लिये मंगलौर से एक Drain बनवाने के विषय में एक प्रस्ताव है जो अभी विचाराधीन है।

श्री सईद अहमद अन्सारी—क्या सरकार यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि यह ड्रेन की स्कीम कब से जेरेगौर है ?

श्री चरणसिंह—मेरे माननीय मित्र को यह जानकर खुशी होनी चाहिये कि इसकी मंजूरी दी जा चुकी है।

आजमगढ़ कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*३०—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय कलेक्टरी कचहरी आजमगढ़ में कितने ऐसे अस्थायी कर्मचारी हैं जो विभिन्न पदों पर ३ वर्ष से २० वर्ष तक की अवधि से अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं, किन्तु अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ? इसका क्या कारण है ?

*३१—क्या सरकार उपर्युक्त कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में वर्तमान नियमों में संशोधन करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या वित्त मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये प्रश्न सरकार को २।। महीने पहले भेजे गये थे तो इतने विलम्ब का क्या कारण है और यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री चरणसिंह—सूचना तो गवर्नमेंट के पास आ गई है लेकिन गवर्नमेंट को उससे तसल्ली नहीं हुई है। जितनी तफसील में सूचना आनी चाहिये वह नहीं आई इसलिये यह सूचना दी गई कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

तराई कालोनाइजेशन में ढकिया कलां ग्राम की मालगुजारी की वसूली में मुअत्तली

*३२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में काशीपुर व तराई कालोनाइजेशन क्षेत्रों में फसल नष्ट होने से लगान में कोई छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह—काशीपुर व तराई कालोनाइजेशन क्षेत्रों में खरीफ और रबी १३६४ फसली में लगान में कोई छूट नहीं दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सन् १९५६-५७ में काशीपुर और तराई कालोनाइजेशन क्षेत्र से फसल नष्ट होने की कोई रिपोर्ट आयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह—सिर्फ ढकिया कलां गांव में कुछ नुकसान हुआ था और उसमें मालगुजारी सस्पेंड कर दी गयी थी। रेमिट नहीं की गई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कितनी मालगुजारी सस्पेंड की गयी थी ?

श्री चरणसिंह—नुकसान था १० आने के करीब, और कुल मालगुजारी कितनी सस्पेंड की गयी थी इसके आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं।

बलिया जिले में शिवपुर दीयर ग्रामवासियों के पुनर्वासन की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*३३—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बलिया जिले के शिवपुर दीयर ग्राम के पश्चिमी भाग (टेकारी, ओझा डेरा, पांडे डेरा) के लोगों ने, जिनकी अधिकांश भूमि कटकर बलिया की ओर आ गई है बसने के लिये जमीन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ?

*३४—क्या यह भी सही है कि गंगा के उस पार जहां इस समय उन लोगों ने छप्पर डाले हैं, भूमि इतनी नीची है कि थोड़ी ही बाढ़ में डूब जायेगी ?

*३५—क्या उक्त लोगों के बसने की व्यवस्था बाढ़ आने के पहले हो जायेगी ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर दी जायेगी।

४५ वर्ष से कम उम्र के भूतपूर्व पटवारियों को काम देने तथा देवरिया जिले के अस्थायी लेखपालों के संबंध में जानकारी

*३६—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ४५ वर्ष से कम उम्र के भूतपूर्व पटवारियों को काम देने की घोषणा सन् १९५४ ई० में की गई थी ? यदि हां, तो ऐसे पटवारियों की संख्या क्या है ?

*३७—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ४५ वर्ष से न्यून आयु के भूतपूर्व पटवारियों को उक्त घोषणानुसार काम दे दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या वित्त मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला देवरिया के अस्थायी लेखपालों की संख्या कितनी है और उसमें से २ वर्ष से अधिक समय से काम करने वालों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह—क्रमशः ११७ और ८० ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी ?

श्री चरणसिंह—सूचना ४७ जिलों से इकट्ठी की जा रही है और इसीलिये देर हुई है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—सूचना एकत्रित करने में क्या कठिनाई आ रही है ?

श्री चरणसिंह—कोई कठिनाई नहीं आ रही है ।

बलिया जिले के पीपरा गांव में अग्नि से क्षति

*३९—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार को विदित है कि क्या बलिया जिले में, नरही थाने के अन्तर्गत पीपरा ग्राम में कुछ माह पूर्व कुछ व्यक्तियों के खलिहान में आग लग गई ? यदि हां, तो अनुमानतः कितने की क्षति हुई ?

श्री चरणसिंह—जी हां । आग से अनुमानतः ४८,२३६ रुपये की क्षति हुई ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि एक खलिहान जिसकी कुल इस्टीमेटेड कास्ट ४८,२३६ है (शायद रुपये), उसमें एक पार्टी विशेष के एक कर्मठ सदस्य द्वारा आग लगा दी गयी ?

श्री चरणसिंह—यह आरसन का केस मालूम होता है लगायी गयी है आग, लेकिन केस चूंकि अदालत में है, सबजूडिस है, इसलिये मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता ।

कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर से प्रशिक्षित व्यक्तियों की नौकरी

*४०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६–५७ में कितने कानूनगो की ट्रेनिंग रामपुर राजकीय ट्रेनिंग स्कूल में हुई ?

श्री चरणसिंह—९९ उम्मीदवारों की ।

*४१—श्री उग्रसेन—उक्त ट्रेनिंग में कितने विभागीय उम्मीदवार थे और कितने बाहरी ?

श्री चरणसिंह—५० विभागीय और ४९ बाहरी ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कब समाप्त हुई और उनकी पोस्टिंग कब हुई ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड में उन्हें क्या एलाउन्स दिया जाता था ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि जो विभागीय उम्मीदवार गये थे उनकी पोस्टिंग तुरन्त हो गयी और जो बाहरी थे वह बाहर ही घूमते रहे ?

श्री चरणसिंह—मुझको यह मालूम नहीं है ।

*४२—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया ।]

इटावा कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*४३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा कलेक्ट्री कचहरी में कितने क्लर्क इस वक्त हैं ?

श्री चरणसिंह—११६ ।

*४४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त क्लर्कों में से जिन क्लर्कों को ५ साल से अधिक समय काम करते हो गया है पर जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं, उन्हें स्थायी करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह क्लर्क जो काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह—दिसम्बर, १९५६ में एक शासकीय आदेश जारी हुआ था जिसमें मुस्तकिल करने के सिलसिले में जो शर्तें दर्ज थीं उन को इन आदमियों ने पूरा नहीं किया है, जो कि अभी तक मुस्तकिल नहीं हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ११६ क्लर्कों में से कितनों ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया है और वह शर्तें क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—११६ में से ३८ टेम्पोरेरी हैं । इन ३८ में से १६ ऐसे हैं जिनके बारे में देखा गया कि ५ साल से टेम्पोरेरी हैं । शर्तें यह थीं कि कम से कम ३ वर्ष की नौकरी रह चुकी हो, अगर सर्विस बीच में टूटती रही है तो कम से कम ५ साल उन्होंने पूरे किये हों, शिक्षा की योग्यता की भी कुछ शर्तें थीं, परीक्षा के समय इतनी आयु हो और इससे ज्यादा न हो, और मुमकिन है कि एकाध शर्त और हो ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—जो क्लर्क काम करते रहे और उनकी आयु अब अधिक हो गयी है और उन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है, तो क्या सरकार उन्हें मुस्तकिल करने पर पुनः विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—जितने क्लर्क हैं उनमें से किसी को भी यह गारंटी नहीं दी गयी थी कि मुस्तकिल किया जायगा । बहुत से क्लर्कों को मालूम था कि उनकी पोस्ट मुस्तकिल होने वाली नहीं है । इसलिये सब क्लर्कों की बाबत यह नहीं कहा जा सकता ।

कपड़ा उद्योग से संबंधित ट्रेड यूनियन कानपुर का मिलों में तालाबन्दी के विरुद्ध कथित प्रस्ताव

*४५—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान कानपुर कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों के उस प्रस्ताव की ओर गया है जिसमें तालाबन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करने की बात कही गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है ?

आचार्य जुगल किशोर—कपड़ा उद्योग से संबंधित ट्रेड यूनियनों की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव जिसमें विशेषतः तालाबन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करने की बात कही गयी हो सरकार के पास नहीं आया है।

*४६—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय कानपुर में कितनी मिलें और कितनी शिफ्टें बन्द हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस समय कानपुर में ७ मिलें पूर्णतया बन्द हैं। इनमें १६ शिफ्टें हैं। इसके अलावा ५ अन्य मिलों में ८ शिफ्टें बंद हैं।

*४७–४८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिलान्तर्गत हल्का सारी इसरौली के लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

*४९—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी, परगना सिद्धौर, लेखपाल हल्का सारी इसरौली के सम्बन्ध में अलवामऊ, कलापुर के किसानों ने रिश्वत लेने तथा परताल गलत करने के बारे में २४ मई सन् १९५८ को प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां, दिया था। मामले की जांच के पश्चात् अब लेखपाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—लेखपाल के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायत थी ?

श्री चरणसिंह—रिश्वत लेने की और गलतनवीसी की।

श्री जंगबहादुर वर्मा—लेखपाल को मुअत्तल किया गया या वह अपनी जगह पर काम कर रहा है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है। इतना मुझे मालूम है कि विभागीय कार्यवाही हो रही है, उससे जवाब तलब किया जा चुका है। फाइनल जवाब उसे २२ अगस्त तक देना था।

श्री जंगबहादुर वर्मा—लेखपाल के ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह बतला दिया है। मालूम होता है कि आप सवाल लिखकर लाते हैं।

लखनऊ जिले में मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लगान में छूट का आदेश

*५०—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १३–३–५८ ई० को तारांकित प्रश्न संख्या १६८–१६९ के उत्तर के अनुसार तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ में सैलाबग्रस्त फसल के नष्ट हो जाने के कारण मालगुजारी में छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां। क्षति के आधार पर जिन ग्रामों को नियमानुकूल छूट मिल सकती थी उनको मालगुजारी में छूट देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री रामशरण यादव—कुल कितनी मालगुजारी की छूट और किन-किन गांवों में दी गयी ?

श्री चरणसिंह—बाढ़ की वजह से ९ गांवों में दी गयी ३,६७३ रुपये की और वाटर-लागिन्ग की वजह से १२ गांवों में ७,२८६ रुपये की छूट दी गयी, कुल हुआ १०,९५९ रुपये मोहनलालगंज तहसील में ।

बांदा, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता

*५१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने बांदा, मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिये १ मई, १९५८ से १५ जुलाई, १९५८ तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—बांदा, मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिये १ मई, १९५८ से १५ जुलाई, १९५८ तक दी गयी सहायता का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८०–५८१ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—बांदा जिले के विवरण में तीसरे कार्य के सम्बन्ध में जो छपा है कि इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा १६ स्टेट वर्क खोलने की आज्ञा प्रदान की गयी जिनमें से ६ स्टेट वर्क पर काम चालू किया गया है । मैं स्टेट की जगह टस्ट समझ कर जानना चाहता हूं कि १६ में से ६ पर ही क्यों काम चालू किया गया ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—बांदा जिले के सम्बन्ध में चौथे उसमें माननीय राजस्व मन्त्री ने बतलाया है कि १३६५ फसली खरीफ की मालगुजारी में लगभग ७,५६,००० कुछ सौ की और लगान में ७,३६,८८५ रुपये की छूट दी गयी, तो कुल मालगुजारी और लगान कितना था ?

श्री चरणसिंह—लगान में ३ लाख की नहीं, ३,३६८ रुपये की और लगान में ७,५६,००० रुपये की । एक फसल में बांदा का कुल लगान लगभग १४,००,००० रुपये बैठता है ।

श्री झारखंडे राय—बांदा, मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों को फेमीन एरिया सरकार ने क्यों नहीं घोषित किया ?

श्री चरणसिंह—क्योंकि सरकार की निगाह में इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मिर्जापुर में १२९ सस्ते गल्ले की दूकानें खोलीं और बांदा जिले में केवल ३४ ही खोली गईं, तो क्या बांदा के लिये इतनी ही काफी थीं ?

श्री चरणसिंह—वहां के कलेक्टर ने वहां की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए इतना ही मुनासिब समझा और उससे काम चल गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इन पीड़ितों को स्थायी सहायता पहुंचाने के लिये किसी समय प्लानिंग कमीशन को योजना भेजी गयी थी ? यदि हां, तो कमीशन ने उसे स्वीकार किया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, स्कीम भेजी गयी थी, लेकिन वहां से कोई खास जवाब अभी नहीं आया है ।

बदायूं तथा शाहजहांपुर जिलों में राम गंगा के बाढ़ पीड़ितों की सहायता

*५२—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७–५८ में जिला बदायूं की तहसील दातागंज, परगना सलेमपुर और शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर, परगना खेड़ा बझेड़ा में रामगंगा नदी के बाढ़ से किन-किन ग्रामों में नदी के दोनों ओर फसल को कितना-कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गयी है ।

(देखें नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८२–५८५ पर)

*५३—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उन बाढ़ पीड़ित ग्रामों में सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधायें दी गयीं ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना प्रश्न ५२ के उत्तर से सम्बन्धित तालिका के स्तम्भ ३–७ में दिखा दी गयी है ।

*५४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार परगना सलेमपुर के ग्राम मंझरा, नैनी कटकौरा, शेरपुर भेंड़ा, नगरिया खनू और लालपुर ग्रामों के बाढ़पीड़ियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—प्रश्नों में कथित ग्रामों को दी गयी सहायता का विवरण प्रश्न ५२ के उत्तर से सम्बन्धित तालिका में तारांकित ग्राम देखिये ।

श्री देवनारायण भारतीय—मैंने सरकार से यह जानना चाहा था कि रामगंगा नदी की बाढ़ से किन-किन ग्रामों में नदी के दोनों ओर फसल को कितना-कितना नुकसान पहुंचा है ? सरकार ने जो तालिका दी है उसमें बदायूं के परगना सलेमपुर में ८ आने से अधिक और ८ आने से कम का नुकसान दिखाया है परन्तु शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बझेड़ा का ब्यौरा नहीं दिया कि कितना नुकसान हुआ ।

श्री चरणसिंह—वहां भी ८ आने से अधिक हानि हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय—सरकार ने जो तालिका दी है उसमें ६,३६२ रुपये की छूट परगना खेड़ा बझेड़ा में दिखाई है और १४,६८७ लगान की मुल्तवी परगना सलेमपुर, जिला बदायूं में दिखाई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार छूट और मुल्तवी की रकमों को ध्यान में रखते हुये यह बताने की कृपा करेगी कि हानि परगना खेड़ा बझेड़ा में अधिक हुई या परगना सलेमपुर में अधिक हुई ?

श्री चरणसिंह—इसमें यह बताया है कि ८ आने से अधिक हानि हुई, इसका मतलब ८।। आने, १० आने और ११ आने भी है । किसी जगह ९ आने और किसी जगह १३ आने नुकसान हो सकता है । माननीय मित्र के सवाल से जाहिर होता है कि जैसे कोई पक्षपात किया गया हो कि ६६ गांवों में १५ हजार छूट दी गई है और आपके यहां ३३ गांवों में ६ हजार की छूट दी गई है । तो अनुपात तो ठीक बैठ रहा है ।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में टेस्ट वर्क्स केन्द्र

*५५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में १९५८ के फरवरी–मार्च महीनों में टेस्ट वर्क खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और प्रत्येक पर कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, वहां निम्नलिखित टेस्ट वर्क्स खोले गये —

१—भरउआ कला—भगवानपुर सड़क।
२—मखनहा—अकटहवा बांध।
३—खड़ खड़िया या सोनबरा बुजुर्ग सड़क।
४—नगवा बांध।

इन टेस्ट वर्क्स पर कुल ४८,००० रुपया व्यय हुआ, पर अलग-अलग टेस्ट वर्क्स पर हुये खर्च की सूचना उपलब्ध नहीं है।

*५६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त जिले के टेस्ट वर्क शुरू होने के पहले टेस्ट वर्क से चलाये जाने वाले कामों की सूची बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री चरणसिंह—वह सूची काफी बड़ी है, उसे कार्यालय में देखा जा सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि टेस्ट वर्क्स के इन स्थानों को किस आधार पर प्राथमिकता दी गयी थी?

श्री चरणसिंह—जहां ज्यादा आवश्यक था वहीं टेस्ट वर्क खोले गये। अधिकतर होता है जिलाधीश एम० एल० एज० वगैरह से मशविरा करके ऐसा काम करते हैं?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बड़ी बाढ़ की सूची उनके पास है, क्या वह इंजीनियर से स्वीकृत हो चुकी थी?

श्री चरणसिंह—मैं यह नहीं कह सकता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन टेस्ट वर्क्स से सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत भी आयी है कि रोज पेमेन्ट नहीं होता?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। यह प्रश्न फरेंदा के टेस्टवर्क के बारे में है। यादवेन्द्र दत्त जी सदर तहसील में एक टेस्ट वर्क पर गये थे जहां एक रोज मजदूरी देर में दी उसके बारे में उन्होंने मुझसे कहा था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न पूछा था वह फरेंदा तहसील के बारे में ही पूछा था।

श्री चरणसिंह—मैंने कहा कि नहीं आयी।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश भर में टेस्ट वर्क पर जो मजदूरी दी जाती है, उसका रेट एक ही है, अगर एक है तो क्या और भिन्न-भिन्न हैं तो क्या हैं?

श्री चरणसिंह—सारे सूबे में एक ही हैं। मेल एडल्ट के लिये ८ आना, महिलाओं के लिये ६ आना और बच्चों के लिये ४ आना।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार वर्तमान महंगाई की स्थिति को देखते हुए मजदूरी की दर को बढ़ाने जा रही है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गेंदासिंह—यह रेट किस आधार पर मुकर्रर किया जाता है?

श्री चरणसिंह—निकट से निकट बाजार में सस्ते से सस्ता गल्ला सवा सेर, सेर भर और गालिबन १२ छटांक जितने पैसे में आ जाय, उतना पैसा मजदूरी में दिया जाता है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव भी आया था कि दो आना मजदूरी बढ़ा दी जाय और बाद में स्वीकार कर लिया गया ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई सुझाव मंजूर नहीं किया गया ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भगवा बांध और खुरखुरिया बांध में जो काम अधूरा रह गया है, उस पर सरकार कोई काम खोलने का विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अभी मंत्री जी ने बताया कि उतना पैसा दिया जाता है जिससे सस्ते से सस्ता गल्ला बाजार से उन लोगों को मिल सके, तो जो यह आठ आना मजदूरी यहां दी जाती है, आज के भाव को देखते हुए, इतने पैसे में इतना नाज आ सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसके अनुरूप उनकी मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—मेरे खयाल से मिल सकता है लेकिन अगर कहीं नहीं मिलता होगा तो जिलाधीश को आदेश दे दिया जायगा कि उस जगह उस जिले में या उस तहसील में उतनी मजदूरी वे बढ़ा दें ।

कानपुर की मिलों पर मजदूरों का बकाया वेतन तथा बैठकी का मुआवजा

*५७—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की किन-किन मिलों पर मजदूरों का कमाया हुआ वेतन और बैठकी का मुआवजा बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कानपुर के निम्नलिखित मिलों पर मजदूरों का कमाया हुआ वेतन बाकी है :

१—मेसर्स अथर्टन वेस्ट ऐंड कं० लि०, कानपुर ।

२—मेसर्स म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर ।

३—मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद आयल मिल्स, कानपुर ।

४—मेसर्स नियू कानपुर फ्लोर मिल्स, कानपुर ।

कानपुर के निम्नलिखित मिलों पर मजदूरों की बैठकी (प्ले आफ) का मुआविजा बाकी है :

१—मेसर्स अथर्टन वेस्ट ऐंड कं० लि०, कानपुर ।

२—मेसर्स म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर ।

३—मेसर्स बी० आई० सी० लि० कानपुर काटन मिल्स ब्रांच, कानपुर ।

४—मेसर्स जे० के० ऊलेन मैन्युफैक्चर्स लि०, कानपुर ।

*५८—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की सूती मिलों में गत १४ जुलाई से लेकर २२ जुलाई तक प्रतिदिन कितने मजदूर प्लेआफ (बैठकी) के कारण बेकार रहे और उनके वेतन का कितना नुकसान हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कानपुर की सूती मिलों में गत १४ जुलाई से लेकर २२ जुलाई तक प्रतिदिन जितने मजदूर प्ले आफ (बैठकी) के कारण बेकार रहे और उनके वेतन का जितना नुकसान हुआ वह संलग्न विवरण-पत्र में दे दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७६-५७८ पर)

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मिलमालिकों ने उनका कमाया हुआ वेतन और बैठकी का पैसा नहीं दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिन-जिन मिलों ने पैसा नहीं दिया है उनसे पैसा दिलाने की बराबर चेष्टा रही है। कुछ मिलों के खिलाफ पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के मातहत और कुछ मिलों के खिलाफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट के मातहत कार्यवाही की गयी। उसका नतीजा यह है कि कुछ मिलों ने पैसा देना शुरू कर दिया है और कुछ पैसे का भुगतान भी हो गया है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उन मिलमालिकों ने जो पैसा देना शुरू किया था उसको अब बन्द कर दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने, श्रीमन्, यह नहीं कहा कि वे बराबर देते चले जा रहे हैं। मैंने यह कहा कि कुछ का भुगतान हो गया है और कुछ होने की आशा है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्ले आफ कानून के मातहत कुछ मिलमालिक इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि महीने में केवल ४ रोज ही काम देते हैं, तो क्या सरकार इस कानून में कुछ सुधार करने की बात सोच रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस कानून के सम्बन्ध में अभी हाल ही में नैनीताल में जब इंडियन लेबर कान्फ्रेंस हुई थी तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार ने उस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की होगी और सरकारी विभाग से यहां भी इस सम्बन्ध में चाराजोई हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मजदूरों के कमाये हुए वेतन और बैठकी के मुआवजे की कुल धनराशि कितनी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कुछ मिलों के सम्बन्ध में सूचना मेरे पास है लेकिन अलग-अलग डिटेल मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो मिलें बैठकी की वजह से बन्द हैं उनके लिये उसने क्या कदम उठाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बन्द मिलें बदकिस्मती से हमारे प्रदेश की वे ही हैं जो कोर्स कपड़े बनाती हैं। जिस कारण से कपड़ा उद्योग पर संकट आया है वह अभी दूर नहीं हो सका है। सरकार इस बारे में बराबर सचेष्ट है और वह बराबर केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाती रहती है और अपनी भी सहायता देती है ताकि वे मिलें चल सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा कानपुर की मिलों में ही प्ले आफ हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १४ जुलाई से २२ जुलाई तक के प्ले आफ के कारण किस मिल के पास मजदूरों के वेतन का सबसे अधिक बकाया है ? मिनिमम और मैक्सिमम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—सबसे ज्यादा पैसा तो इस समय एथर्टन मिल के ऊपर बाकी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो कार्यवाही की उसके फलस्वरूप कितना रुपया मजदूरों को मिला और अब तक कितना बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, टोटल मेरे पास इस वक्त नहीं है। लेकिन विभिन्न कारखानों में विभिन्न क्वांटिटो में पैसा दिया जा चुका है। कहीं ५२,८०० रुपया दिया गया है, कहीं कुछ और दिया गया है और कुछ पैसा इसी तरह का बाकी भी है।

बाराबंकी जिले में घाघरा, चौका, सेमली नदियों की कथित बाढ़

*५९—श्री जंग बहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तारीख २९-१-५८ ई० को घाघरा-चौका, सेमली नदी में बाढ़ आने से परगना मिटौली, रामनगर पानी में डूब गया है ? यदि हां, तो वहां कितनी हानि हुई और सरकार की ओर से क्या और कितनी सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह—दिनांक २९-१-१९५८ को जिला बाराबंकी में घाघरा-चौका तथा सेमली नदियों में बाढ़ नहीं आई अतः प्रश्न के अन्य भाग उठते ही नहीं हैं।

श्री जंग बहादुर वर्मा—श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष—आप फिर से प्रश्न पूछें अपना क्योंकि आपने गलती यह की कि अगस्त में तो बाढ़ आयी और आपने अगस्त की जगह जनवरी कर दिया। तो गलती आपकी है। मैं अब समझता हूं कि दूसरा जब प्रश्न आप पूछेंगे तब उसका उत्तर मिलेगा। जैसा प्रश्न था उसका तो उत्तर उन्होंने दे दिया कि बाढ़ आयी ही नहीं जनवरी में।

बदरीनाथ मन्दिर निधि के हिसाब-किताब की जांच

*६०—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इधर पांच वर्षों में प्रति वर्ष अतिथि-सत्कार पर श्री बदरीनाथ मन्दिर के फण्ड से कितना रुपया खर्च किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—मांगी हुई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५८९ पर)

*६१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बदरीनाथ मन्दिर के हिसाब-किताब की गड़बड़ियों की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस जांच की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। सरकार ने एक जांच सी० आई० डी० इन्सपेक्टर द्वारा तथा दूसरी नैनीताल के जिला जज द्वारा करवाई है। इन रिपोर्टों से किसी प्रकार का गबन नहीं प्रतीत होता है। सी० आई० डी० तथा जिला जज की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो अतिथि विभाग पर खर्च हुआ है वह रकम कोई विशेष इनवाइटीज मन्दिर की ओर से बुलाये गए थे जिनके ऊपर खर्च हुई या साधारण यात्रियों के ऊपर ही खर्च की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—यात्रियों के ऊपर भी और खासतौर से जो अतिथि आते हैं उनके ऊपर भी खर्च किया गया।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई इसकी जरूरत सरकार को क्यों पड़ी ? किस प्रकार की शिकायत थी ?

आचार्य जुगलकिशोर---पहले यह आवश्यक समझा गया कि शायद सी० आई० डी० की रिपोर्ट से ही हमें पूरा पता चल जायगा। उसके बाद मालूम पड़ा कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं है, और भी विस्तार में जाने की जरूरत है, तब जज द्वारा यह इन्क्वायरी कराई गई।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले में वर्षा पीड़ितों को तकावी तथा लगान में छूट

१---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में सन् १९५७ ई० में सैलाब और अतिवृष्टि होने से कितने गांवों में फसल नष्ट हो गई और कितने गांवों में लगान माफ किया गया तथा उन्हें तकावी व मुफ्त सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह---जिला बाराबंकी में सन् १९५७ ई० में सैलाब और अतिवृष्टि होने से ३८७ ग्रामों में फसल को क्षति हुई। इनमें से केवल २६५ ग्रामों में जिनको क्षति के आधार पर नियमानुकूल मालगुजारी और लगान में छूट दी जा सकती थी छूट दे दी गई और उनमें तकावी तथा मुफ्त सहायता भी दी गई।

बाराबंकी जिले की रामसनेही घाट तहसील में चकबन्दी विभाग में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

२---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी, तहसील रामसनेही घाट, चकबन्दी विभाग में कितने कन्सालीडेटर, अमीन, पेशकार, क्लर्क और चपरासी कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों व पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५९० पर)

श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रघुवीरराम की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं कुछ सूचना माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। श्री चन्द्रजीत यादव के बारे में यह तार आया है:--

"Sri Chandrajit Yadav, M.L.A., arrested under section 147/332 and 149 Indian Penal Code today at 3-25 p. m. and is lodged in the District Jail Azamgarh Formal intimation being sent separately today."

यानी चन्द्रजीत यादव दफा १४७/३३२/१४९ ताजीरात हिन्द के मातहत ३ बजकर २५ मिनट पर कल के रोज गिरफ्तार कर लिए गए और उनको आजमगढ़ जेल में दाखिल कर दिया गया।

दूसरा है श्री रघुवीर राम के बारे में--

"Raghubir Ram, M.L.A., Ghazipur convicted under section 228 I.P.C read with section 480 Cr. P. C. today sentenced to fine of rupees hundred in default one months simple imprisonment letter follows."

इनका पत्र तो नहीं आया लेकिन तार का मतलब यह है कि श्री रघुवीर राम जी को गाजीपुर में सेक्शन २२८ ताजीरात हिन्द और जाब्ता फौजदारी की ४८० दफा के मातहत सजा दी गई। १०० रुपये जुर्माने की, और अगर जुर्माना न दें तो १ महीने की सादी कैद की सजा दी गई। यह दो सूचनायें आई हैं।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब श्री त्रिलोकी सिंह, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा श्री झारखंडे राय जी द्वारा भेजे हुए अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके पेश करने के पहले समय के बारे में मुझे कहा गया था कि कम से कम कितना समय दिया जाय और उसके विषय में शायद सब दलों में कोई समझौता हो गया है। वैसे नियम के हिसाब से २५ मिनट प्रस्तावक को और बाकी को १५ मिनट मिलते हैं। लेकिन कुछ समझौता हो गया है तो मैं उसके बारे में पहले जानना चाहूंगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--आप की आज्ञा से, श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि प्रस्तावक को नियम के अनुसार २५ मिनट तथा अन्य नेताओं और मंत्रियों को २० मिनट का समय और बाकी सदस्यों को १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--किसी को आपत्ति तो नहीं है?

श्री मोतीलाल अवस्थी--सदस्यों को १५ मिनट मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--एक मत नहीं है। तो जहां तक मन्त्रियों को और विरोधी पार्टियों के नेताओं के लिये जो समय का निर्धारण किया गया है उसमें, मैं समझता हूं, सर्वसम्मति है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--एक प्रस्ताव मैं करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि आज लंच आवर को ले लिया जाय और वह रूल निलम्बित किया जाय। कल के लिये भी ऐसा ही किया जाय।

श्री अध्यक्ष--काहे का नियम?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--लंच आवर में सदन बैठेगा।

श्री अध्यक्ष--यह दूसरा प्रस्ताव है। पहले एक चीज निपट जाने दीजिये। तो यह बात तय हुई बाक़ी लोगों को १५ मिनट नियम के हिसाब से? अगर कोई एतराज होगा तो मैं इस प्रस्ताव को नहीं लूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमन्, मुझे एतराज है। माननीय सुरथ बहादुर शाह के प्रस्ताव को मैं मुनासिब समझता हूं क्योंकि बोलने वाले काफ़ी होंगे। इसलिये १० मिनट रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--इस प्रस्ताव में एक साथ जब लिया गया है तो उसमें १५ मिनट सब के लिये नियम के अनुसार मिलना चाहिये और अगर परिवर्तन करना है तो मैं समझता हूं एक राय से होना चाहिये।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यों तो आप जो निर्णय करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब देना होगा उसके लिये कुछ तो अधिक समय होना चाहिये क्योंकि २० मिनट काफ़ी न होंगे। तो फ़ाइनल जो गवर्नमेंट की तरफ़ से जवाब दिया जायगा उसके लिये इतना कम समय तो अनफ़ेयर होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मान्यवर, जहां तक माननीय नेता सदन का सम्बन्ध है, उनको नियम के अनुसार आप ३५ मिनट तो समय दे सकते हैं। २५ मिनट जवाब देने के लिये और यदि आवश्यक हो तो १० मिनट और बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--उसमें दो बातें हैं। उनको दो वक्त बोलने का अधिकार है, एक तो २५ मिनट बीच में और १५ मिनट आखीर में। तो ४० मिनट होते हैं। मैं समझता हूं दोनों को जोड़ देना चाहिये। क्योंकि एक ही वक्त वह बोलेंगे तो ४० मिनट उन्हें दिया जाना ठीक होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---एक मंत्री के लिये होगा ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, मुख्य मंत्री के लिये यह समय होगा।

श्री शिव प्रसाद नागर---श्रीमन्, २ दिन इधर और २ दिन छुट्टी के बाद, ४ दिन बहस की जाय, अगर समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष---पहली चीज यह है कि यह निश्चय हुआ है कि नेता विरोधी दल जो कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करेंगे उनको नियम के अनुसार २५ मिनट का समय दिया जायेगा और बाकी नेता विरोधी दलों को २० मिनट का समय मिलेगा। नेता सदन को छोड़ कर बाकी मंत्रियों को २० मिनट का समय मिलेगा और नेता सदन जो कि आखीर में बोलेंगे, उनको ४० मिनट का समय मिलगा। यह बात सर्वसम्मति स स्वीकार हो गयी है। जहां तक अन्य सदस्यों के भाषणों के समय का सम्बन्ध है, उनको कवल १५ मिनट का ही समय दिया जायेगा। नियमों में जो शब्द दिये गये हैं वह यह हैं कि "शैल नाट एक्सीड फिफ्टीन मिनट्स इन ड्यूरेशन" (Shall not exceed 15 minutes in duration), कुछ लोग १० मिनट के पक्ष में हैं, तो मैं समझता हूं कि नियम के अनुसार तो १५ मिनट से अधिक समय नहीं मिलना चाहिये लेकिन मैं देख लूंगा; अगर अधिक सदस्य बोलने वाले हुये तो मैं दस मिनट का समय कर दूंगा।

श्री राजनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि २२ तारीख को जब मेरा अविश्वास का प्रस्ताव आया तो उसमें आप ने यह कहा था कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी के प्रस्ताव से मेरा प्रस्ताव कवर हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर त्रिलोकी सिंह जी का अविश्वास का प्रस्ताव हुआ तो मेरा भी हो गया, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---अगर आपकी भी यही इच्छा है कि उसमें आपका भी नाम हो तो मैं बढ़ा दूंगा। मैंने आपका नाम केवल इसलिये नहीं बढ़ाया क्योंकि आपने अपना संशोधन भी मेरे पास भेज दिया था और अगर आप संशोधन को न भेजते तो अवश्य ही आपका नाम उसमें शामिल कर देता; परन्तु मैंने यह विचार किया कि जब आप संशोधन भेज रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आपका नाम भी मैं प्रस्तावकों में शामिल कर दूंगा।

श्री राजनारायण---इसके सम्बन्ध में जो मेरा संशोधन का प्रस्ताव आया है वह मैंने तभी दिया है जब कि आपकी तरफ से और आपके सेक्रेटेरियट की तरफ से जो सूचना मिली थी उसमें मेरा नाम नहीं निकला, तभी मैंने संशोधन पेश किया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय इतना अधिक रख दिया है कि हम लोग जो पीछे बैठने वाले हैं उनको कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जाइये, आपको भी मौका दिया जायेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है। मान्यवर, देखेंगे तो जो सूचना दी गई थी उसमें बजाय 'विधान सभा' के 'यह सदन' रख दिया गया है और 'करती है' की जगह पर 'करता है' कर दिया है। मैंने नेता सदन से सलाह कर ली है और उनको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो अब आपका प्रस्ताव यह है कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---'करती है' ही रखे होते तो अच्छा होता।

श्री त्रिलोकीसिंह--मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर ठाकुर साहब को लखनऊ में रहते हुये ज्यादा मुद्दत हुई होती।

मान्यवर, जिस प्रस्ताव को उपस्थित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है उस पर मुझे यह कहने में खुशी है कि इस तरफ के बैठने वाले जितने भी दल हैं, उन दलों में जितने भी माननीय सदस्य हैं उन सब का इसको समर्थन प्राप्त है। जैसा कि अभी नेता समाजवादी दल के कथन से साफ-साफ साबित हो गया है, इस प्रस्ताव का मतलब है कि जो सरकार इस प्रदेश में चल रही है उसको अपनी जगह से हटाना। मुझे दुःख है, मान्यवर, कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जिनके साथ रहने का, जिनके साथ काम करने का बीसों वर्षों तक, बावजूद इसके कि राय आपस में मिलती नहीं रही है, अवसर प्राप्त हुआ है उनके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव लाना कि वे अपने पद से हटाये जायं, एक दुःख की बात है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करने में मुझे नाराजगी कतई नहीं है; हृदय में एक वेदना है, तकलीफ है, दिमागी तकलीफ है, जिस्मानी तकलीफ है जिससे प्रेरित हो कर, मान्यवर, मैंने यह मुनासिब समझा कि अन्य माननीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त करूं और इस मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं।

इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि वे चाहे जिस विचार के हों, चाहे इस सदन में जिस तरफ बैठते हों, वे केवल एक भावना से प्रेरित हो कर यहां बैठते हैं और वह है इस प्रदेश की जनता का हित। मैंने जनहित से प्रेरित हो कर ही इस प्रस्ताव को पेश करने का निश्चय किया और इसके लिये इधर के बैठने वाले सदस्यों से कहा। किसी प्रकार के इन्तकाम की बात हो या किसी ऐसी भावना से प्रेरित हो कर जिससे कि हमको लाभ हो या किसी दल विशेष को कोई हानि पहुंचे, इस प्रकार की भावना कतई इस प्रस्ताव के पीछे नहीं थी। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह नागवार काम है, खुशगवार काम नहीं है। किसी नागवार काम को करने से मुझे आज तक कभी भी खुशी नहीं हुई। लेकिन मैंने आज इस प्रकार का प्रस्ताव लाना अपना कर्त्तव्य समझा और मैं यहां के माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में हिस्सा लें, वे इस प्रकार का खयाल रखें, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें कि जो उनके भाव को प्रकट करने के लिये नितान्त आवश्यक हों। इसलिये मैं चाहूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने विचार को प्रकट करने में अनुचित शब्दों का प्रयोग न करें और मुझे विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

पिछले कुछ समय से, लगभग ८-१० सप्ताह से, इस प्रदेश की बहुत दुखदायी कथा है। इस कथा को कहां से शुरू किया जाय और कहां खत्म किया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मान्यवर, आज इस प्रदेश में अन्न के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़े हैं कि इस प्रदेश के इतिहास में जब कभी अकाल भी पड़ा और एक फसल या दो फसल बरबाद भी हुई, तब भी इतने भाव नहीं बढ़े थे। किताबों को देखने से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमने देखा कि इस प्रदेश में इतना मंहगा अनाज कभी भी नहीं रहा। अनाज के दाम दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे दुख है कि यह सरकार, जिस का यह उत्तरदायित्व है और जो इस प्रदेश के राज्य के कार्य का संचालन करती है, उस को इसकी खबर आज से ५ मास पूर्व तक नहीं थी; प्रदेश की खाद्य स्थिति खराब हो जायेगी, इसका अन्दाज इनको पहले नहीं हो सका। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बजट स्पीच में कतई एक शब्द भी खाद्य समस्या के बारे में नहीं था। इस सरकार को ५ मास पूर्व तक इसका ज्ञान नहीं था कि हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति बिगड़ रही है। कोई बात नहीं, जब यह सत्र बुलाया गया और माननीय राज्यपाल का सम्बोधन हुआ तो उस समय जोरदार शब्दों में यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार की स्थिति से वे पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन इस पर काबू पाना उनके लिये मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इस सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाया कि इस स्थिति पर वे काबू पा जायेंगे।

लेकिन हम देखते क्या हैं? देखते यह हैं कि दिनोंदिन अनाज का भाव बढ़ता चला जा रहा है। यह नहीं है कि यह सरकार इससे अवगत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जब कुछ बातें कहीं और उसकी एक नहीं सुनी गयी तो उसने 'घेरा डालो' आन्दोलन चलाया, जब जन संघ क दल की भी बात सुनी-अनसुनी की गई तो उन्होंने भी आन्दोलन चलाया, कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई नेता और सदस्य आज अनशन किये हुये हैं और जगह-जगह पर प्रचार कर रहे हैं। और कौन नहीं जानता कि खुद इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य १२–१३ दिन से बिना अन्न ग्रहण किये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्यों? केवल एक बात के लिये कि इस प्रदेश का मंत्रिपरिषद् अपने कर्त्तव्य को समझे, उनका केवल एक लक्ष्य है कि इस प्रदेश की सरकार समझे कि इस समय प्रदेश एक खतरे की स्थिति से गुजर रहा है, महज इतनी-सी बात है कि वे हमारे कष्ट को समझें और उसका इलाज करें।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रदेश का दौरा किया और एक वक्तव्य प्रकाशित किया। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास एक प्रति उसकी भेजी और उनमें से कुछ लोग उनकी सेवा में हाजिर भी हुये। खुद उस तरफ से इस सदन में कहा गया था कि वह बयान एक अच्छा बयान था, एक संतुलित बयान था। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या उस संतुलित बयान की कोई भी बात इस प्रदेश के मंत्रिपरिषद् ने मानी। यह मंत्रिपरिषद् इस बात का दावा करता है कि इस प्रदेश की जो भी बातें हैं, जो भी परिस्थिति है उससे वह पूरे तरीके से वाकिफ है लेकिन बरक्स इसके हमारा उन पर यह अभियोग है कि वह कतई तौर पर इस प्रदेश की स्थिति से नावाकिफ है और इसी कारण आज इस दुर्दशा के दौर से यह प्रदेश गुजर रहा है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस बात को हम ही नहीं उधर के बैठने वाले भी कहेंगे।

यह बात सही है और मैं भी मानता हूं कि मंत्रिपरिषद् को इस आदरणीय सदन के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि इधर जो लोग बैठे हैं उनके पीछे भी जनमत है और यह तो निर्विवाद है कि इस सूबे की अधिकतर जनता उधर बैठने वालों के और सरकार के पक्ष में नहीं है। डेढ़ साल हुआ आम चुनाव से यह बात सिद्ध हो गई थी। फिर भी, हमारी बात की अवहेलना वह इस प्रकार से करेंगे इसकी मिसाल मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि प्रजातंत्र के किसी देश में देखने को और सुनने को नहीं मिलेगी। इस के साथ ही साथ हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि यह मंत्रिपरिषद् लगभग उन्हीं मन्त्रियों का, अधिकतर उन्हीं लोगों से बना हुआ है, जो इस प्रदेश के पिछले मंत्रिपरिषद् में थे। मैं उनका नाता जोड़ना चाहता हूं, इसलिये कि गत वर्ष भी उन्होंने, जो पिछली सरकार ने काम किया था उस का श्रेय लेने का प्रयत्न किया था। अब भी लगभग वही शक्ल नजर आती है और यदि मंत्रिपरिषद् की सूची उठाई जाय तो महज ३० की संख्या है। इन ३० में से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, वह अपने दिल पर जरा हाथ रख कर देखें। उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो यह नहीं जानते कि उनके सुपुर्द क्या सेवा की गई है। यदि उनके कार्यों पर, जो उन्होंने किया है, निगाह डाली जाय तो जो मैंने निवेदन किया है वह सिद्ध हो जायगा। ऐसे मंत्रिपरिषद् पर सिवा इसके कि हम इस तरह का प्रस्ताव लायें कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं था और केवल जनहित की भावना से प्रेरित हो कर इस प्रस्ताव को पेश करने का हमने निश्चय किया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत समय से वाकिफ हूं। उनकी विद्वता से भी मैं वाकिफ हूं। वह भारत की प्राचीन संस्कृति के एक अद्वितीय विद्वान हैं और मौके-मौके पर आपस की बात में भी, इस आदरणीय सदन में भी, पुरानी बातों का हवाला दिया करते हैं। कल मैंने तलाश किया। कौटिल्य ने आज से कई हजार साल पूर्व लिखा है, आपकी आज्ञा से वह मैं पढ़े देता हूं। चूंकि संस्कृत का ज्ञान मेरा बहुत सीमित है, इसलिये नागरी में पढ़ कर

[त्रिलोकी सिंह]

सुनाये देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो इसका अनुवाद है वह सही होगा और अगर सही नहीं होगा तो मैं मशकूर हूंगा अगर माननीय नेता सदन उसकी सेहत कर देंगे --

"मंत्रि परिषद् की खूबियां--अज्ञात विषय को जानना; ज्ञात विषय का निश्चय करना; निश्चित विषय को दृढ़ बनाना; मतभेद में संशय न रहने देना; एक अंग का ज्ञान होने पर उसके अवशेष अंगों का ज्ञान प्राप्त करना, आदि मंत्रियों का ही कार्य होता है।"

तो अज्ञात विषय को जान लेना, ज्ञात विषय में दृढ़ निश्चय करना, जहां कुछ गोल-मटोल मामला हो उसको एक रास्ते पर लगाना, यह मंत्रिपरिषद् का कर्त्तव्य है और यह आज से २-३ हजार वर्ष पूर्व की बात है। आज प्रजातंत्र का युग है। हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। यही नहीं कि रेल और तार हुये बल्कि विश्वविद्यालय खुले। पढ़ने-लिखने वालों की संख्या बढ़ी। जहां चन्द आदमी पहले पढ़ते थे अब वह सुविधा सारी जनता को प्राप्त हुई। हमारा संपर्क विदेशों से भी हुआ। उनके ज्ञान और उनकी सभ्यता की छाप हम पर पड़ी। यदि ढाई तीन हजार वर्ष पूर्व यह बात सही थी तो आज उससे ज्यादा सही है यह बात। लेकिन मुझे दुःख होता है कि अगर इस स्तर से इस मंत्रिपरिषद् की जांच की जाय तो मालूम यह होगा कि इनमें से एक भी गुण उनमें नहीं है।

मैंने अर्ज किया था कि अनाज का भाव बढ़ रहा है। माननीय माल मंत्री का यह दावा है कि पिछली रबी की फसल अच्छी हुई। उन्होंने उसके सिलसिले में कुछ विशेष छूट, कुछ थोड़े स्थान छोड़ कर, नहीं दी। दूसरे सूबे का औसत अच्छा है। खाद्य मंत्री कहते हैं कि १४ परसेंट शार्ट फ़ाल हुआ है, प्रोडक्शन का नार्मल का १४ फीसदी कम हुआ है। राज्यपाल के संशोधन में बजाय १४ के १६॥ लिखा गया है। २१ जुलाई को १६॥ था, १५ दिन बाद १४ हो गया और मुझे यकीन है कि कल के वाद-विवाद में कहा जायगा कि महज १० फीसदी है।

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--आपकी इजाजत से मैं यह जान सकता हूं कि मेरा कौन सा बयान कौन सी तारीख का है जब कि मैंने यह कहा कि रबी की फसल बहुत अच्छी हुई।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं माल मन्त्री जी का बहुत मशकूर हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सेंश्योर मोशन के जरिये वह अपोजीशन का सेंश्योर कर सकते हैं। हम तो कर ही रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कितने लाख रुपये की छूट उन्होंने रबी की फसल में दी। मान्यवर, उनके हंसने से कुछ काम नहीं चलेगा। यह खिस्यानी बिल्ली वाली हंसी है। इनको मैंने बहुत समय से देखा है। मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मन्त्री यह बतलायें कि उनके पास रबी की फसल में छूट क प्रोपोजल्स कितने आये हैं? अगर आये हैं तो क्या स्वीकृति उन पर दी गयी है? अगर स्वीकृति नहीं दी है तो उनके विभाग केअनुसार फसल अच्छी है, चन्द जिलों को छोड़कर जैसे बस्ती, जौनपुर, थोड़ा हिस्सा बनारस का [जहां ३६,००० रुपये की छूट दी गयी है। बांदा के, मिर्जापुर के और कुछ हिस्से इलाहाबाद जिले के, बाकी छुट-पुट छूट इधर-उधर दी गयी है, रबी की छूट। माननीय माल मन्त्री ऊंचे स्तर वाले हैं। मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह बांह भी चढ़ाये रहते हैं। आज वह कहते हैं कि अपने विभाग की जो नीति है, उससे वे अपने को पाबन्द नहीं मानते। डेमोक्रेसी में मिनिस्टर वह है कि उसके विभाग में कोई भी गलती हो तो वह उसका जिम्मेदार है। मालूम होता है कि वे एक नया उसूल कायम करने वाले हैं। रबी १३६४ फसली की बस्ती जिले की छूट की रिपोर्ट की मंजूरी १५ जुलाई, १९५८ तक उनके दफ्तर से नहीं गयी थी। महज १५ महीने तक छूट के प्रोपोजल्स मंजूर नहीं हुए थे और ५ जिलों की खरीफ के छूट के प्रोपोजल्स जो उनको जनवरी, फरवरी में प्राप्त हो गये थे उनकी मंजूरी भी महीने भर पहले नहीं गयी थी। इस योग्यता के आदमी कहते हैं कि मेरा बयान दिखलाइये। मैं खुद उन्हें देख रहा हूं। बयान से बढ़ कर वह हैं। और, मान्यवर, मेरी एक शिकायत यह भी

है कि इस सरकार के कुछ मन्त्री ऐसे हैं जो बीहड़पन के लिये मशहूर हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेमतलब लोगों को खफा कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सारी तड़क-भड़क महज दिखावट में है, वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। इनमें से कितने गुण माननीय माल मन्त्री में हैं यह मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों पर छोड़ता हूं।

मैं यह कह रहा था कि मार्च में हापुड़ में, जो कि इस प्रदेश की सब से बड़ी मंडी है, गेहूं का भाव १५.३९ यानी साढ़े १५ रुपये मन से कम था। जून २३ को यह भाव १७.४४ यानी लगभग साढ़े १७ रुपये मन हुआ। १५ जुलाई को यह बढ़ कर २०.६२ हुआ और ३१ अगस्त को २४.५० हो गया। महज ६६ फी सदी की वृद्धि ६ महीने में, जब से रबी की फसल बाजार में आयी गेहूं के भाव में हुई। माननीय माल मन्त्री कहते हैं कि उन्होंने तो कहा ही नहीं कि फसल नार्मल हुई। वह दावा सरकार का है। मैं जानना चाहता हूं---अगर मेरी बात गलत निकले तो उसका वह खण्डन करें---कि अगर फसल खराब हुई है तो कितने जिलों में उन्होंने छूट दी है। मुझे कहना पड़ता है कि अनाज के भाव बढ़ रहे हैं। जिस दिन राज्यपाल ने आश्वासन दिया २१ जुलाई को उसके बाद भी २० फीसदी दाम बढ़ गये। और मार्च से तो, मैंने जैसा कहा, ६६ फी सदी गेहूं के दाम बढ़े हैं। यह क्या बात है? एक तरफ तो २१ जुलाई को राज्यपाल के सम्बोधन में केन्द्रीय सरकार का शुक्रिया अदा किया गया और यह भी कहा गया कि जोनल अरेन्जमेंट गेहूं का बहुत अच्छा है। उसके थोड़े ही दिन बाद यह कहा गया कि हम क्या करें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट पंजाब से इधर गेहूं आने नहीं देती है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस की सरकार है। क्या राज्यपाल के सम्बोधन में इस सरकार क मन्त्रिपरिषद् ने जो मसविदा बनाया था उसके अलावा उन्होंने अपनी ओर से कुछ कह दिया। यह बात नहीं है। कौटिल्य ने कहा था कि अज्ञात को भी जान लेना मन्त्री का गुण है। अज्ञात की कौन कहे, ये तो ज्ञात को भी नहीं जानते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इन लोगों के हाथ में इस प्रदेश कं राज्य कार्य का संचालन है।

मान्यवर, मैं खाद्य मन्त्री को याद दिलाना चाहूंगा कि सन् १९५६ में फेयर प्राइस शाप्स खोली गयी थीं क्योंकि फसल कम हुई थी। ३१ अगस्त, १९५६ को हापुड़ में ८१ खत्ती गेहूं था, गत वर्ष ३१ अगस्त को ४२ खत्ती था और इस साल एक खत्ती था। लेकिन हमसे कहा जाता है कि सरकार सब कुछ कर रही है। गोया मालूम यह होता है कि हमारा शरीर हाड़ मांस का नहीं है। क्या हम हवा के बने हैं या दैवी पुरुष हैं कि आसमान के सितारों को गिन कर अपने मन को बहलायें और जी भर लें? मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भुलावे से देश का काम नहीं चल सकता है।

मान्यवर, यह गौर करें और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भी गौर करें कि यह बात ठीक है या नहीं। उनक आंकड़ों पर तो कोई विश्वास कर नहीं सकता ह, इसकी हाथ फेरी दिन में तीन मर्तबा होती है और मुझे दुख है। मेरा अभियोग है। गत बजट के वादविवाद में मैंने कहा था कि १९५०-५१ में कुल पैदावार ७.८४ मिलियन टन थी जिसको बढ़ाकर १०.७९ मिलियन टन कर दिया यानी करीब ३ लाख मिलियन टन बढ़ा दिया। बढ़ा बढ़ाया कुछ नहीं महज कागज पर ५ वर्ष बाद बढ़ा दिया गया। आज क्या है? गेहूं में २८ फीसदी मारकेटेबिल सरप्लस है। यह बात सरकार को १५ अप्रैल को ही मालूम हो जानी चाहिये थी कि गहूं की पैदावार इस साल कितनी हुई। खुद मंत्री जी १४ फी सदी की कमी बताते हैं और राज्यपाल महोदय साढ़े सोलह फी सदी की बात कहते हैं। मैं मन्त्री जी से राज्यपाल की बात को तरजीह देता हूं। मेरी इस बात का वह बुरा नहीं मानेंगे। यदि सरप्लस प्रोडक्शन में से साढ़े सोलह फी सदी निकाल दिया जाय तो साढ़े ग्यारह बचता है और यदि बीज के लिये निकाल दें तो कुछ नहीं बचता है। क्या उनको पता नहीं था कि इस साल गेहूं की पैदावार ऐसी हुई है और यह मुसीबत आयेगी जब कि बाजार में गेहूं न रह जायगा? लेकिन फरमाते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम था। कहां मालूम था? गर्मी के मौसम में, जेठ की दुपहरी में, नैनीताल की चढ़ाई में हिमालय पर जब धूप खा रहे थे? मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप इजाजत दें तो ५ मिनट में और ले लूं। मेहरबानी है आपकी।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उनको पता नहीं था। कैसे पता होता ? जब आदमी ऐश में लग जाता है तो दूसरों को क्या अपने को भी भूल जाता है और इस समय यही दशा माननीय मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की है कि जब लोग भूखे मर रहे हैं तो यह कहते हैं कि हम सख्ती से पेश आयेंगे, हम कानून चलायेंगे। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब-जब जनता में गुस्सा पैदा हुआ है, जब-जब लोगों में नाराजगी पैदा हुई है, जब-जब राज्य के मन्त्रियों ने जनता पर अत्याचार किया है तो जनता उठी है और उसने जनता का ध्यान और समर्थन प्राप्त करने के लिये नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है। यह कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो वायलेंस हो जायगी। कौन शिकायत करता है ? यदि पुलिस मंत्री अपना रिकार्ड देखें तो ऐसी दरख्वास्तें अवश्य आती होंगी कि थाने में बिना कारण के अमुक व्यक्ति पीटा गया जब कि कारण के होने पर भी पीटने की इजाजत नहीं है और जब इन्क्वायरी कराई जाती है तो वह सही पाई जाती हैं। इस वायलेंस का चलाने वाला यह मंत्रि-परिषद् है और इसके माननीय सदस्य हैं जो कहते हैं कि लाठी से मारो। जब लखनऊ में गोली चली तो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी तक नहीं हुई, लेकिन माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि गोली ठीक चली। कोई मिसाल ऐसी मिलेगी ? पैरों के नीचे से जमीन क्यों नहीं निकल जाती ? गृह मन्त्री जी के साथ-साथ मैं भी उसमें लोप हो जाता जिससे न उसको कोई कहता और न मुझे ही कोई शिकायत रह जाती। लेकिन जब यह स्तर है तो कैसे सुधार हो सकता है ?

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ढाई महीने के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री ने एक ऐलान किया। छोटी-सी बात है लेकिन मन्त्री के लिये एक बड़ी बात है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज का इंटीग्रेटेड कोर्स गलत योजना थी। सरकार ने गलत काम किया था, यह कह दिया बस, उनके पाप का प्रायश्चित हो गया।

माननीय मुख्य मन्त्री यह भी कहते हैं कि हम बढ़ते हुए दामों को कम नहीं कर सकते। जरा गौर तो करें। कहते हैं कि इधर के लोगों ने इस बात का जिक्र करके कि अन्न का दाम बढ़ रहा है अन्न के दाम में वृद्धि करा दी है। लेकिन जिस प्रदेश का मुख्य मन्त्री यह कहे कि बढ़ते हुए अन्न के भावों को वह नहीं रोक सकते यह उनकी सब से बड़ी असफलता है। पी० टी० आई० की रिपोर्ट गोरखपुर की आयी है जिसका कोई कंट्रैडिक्शन सूचना विभाग या माननीय मुख्य मन्त्री की तरफ से प्रकाशित नहीं किया गया है। मान्यवर, वह यह भी कहते हैं कि मेजर इर्रीगेशन वर्क्स की योजना सफल नहीं रही और अब छोटे-छोटे कुएं बनाना चाहिये। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। डेढ़ साल पहले मैंने यही बात कही थी; तब कहा गया कि गलत है। सवा वर्ष के बाद वह सही हो गई। उनका स्तर बहुत ऊंचा है। वह महा पंडित हैं। पोलिटिकल साइंस के भी बड़े विद्वान हैं। जिन्दगी उन्होंने समाज-सेवा में गुजारी है।

मान्यवर, बहुत नम्रतापूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी चलती है भलमंसाहत से। उसका कुछ स्तर होता है। एक दिन मैंने कहा था कि एग्जिक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन किया जाय। उधर के बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह लिबरल्स की बात थी। उधर के बैठने वालों को, सभी को मालूम है कि लार्ड मार्ले के जमाने में पार्टीशन आफ बंगाल हुआ जिसको मार्ले ने स्वयं कहा था कि 'सेटिल्ड फैक्ट' है, नहीं बदल सकता। लेकिन उसी लार्ड मार्ले ने जब दो वर्ष के बाद कहा कि नहीं, यह गलती हुई तो, मान्यवर, उसने क्या कहा ? वह लिबरल था। यह बड़े प्रगतिशील हैं। उसने कहा कि मिनिस्टर से जब गलती हो तो एक ही उपाय है। उसकी गलती को दूसरा मिनिस्टर सही करेगा। उसको इस्तीफा देना चाहिये और उसने इस्तीफा दे दिया। मैं ऐसा नहीं मानता कि उस तरफ के बैठने वालों में से जितने इस समय मंत्री हैं उनके अलावा और कोई योग्य है ही नहीं जो प्रदेश का काम चला सके। यदि उन्होंने गलती की है, जैसा उन्होंने स्वयं कबूल किया है तो एक ही कर्त्तव्य है कि वह इस्तीफा दें अपने पद से, दूसरों के लिये स्थान दें। मैं यह कहता हूं कि इतनी गलती के बाद वह इस देश की जनता के लिये, खुदा के लिये, अगर उनको ईश्वर में विश्वास है, और मुझे यकीन है कि कम से कम माननीय मुख्य मन्त्री को तो विश्वास है तो, वह इस देश की पीड़ित और त्रसित जनता के लिये,

उन आदमियों के लिये जिनको स्वतंत्रता का अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है अपने पद से इस्तीफा दें। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर बिला लिहाज इस के कि वह किस तरफ बैठे हैं और किस खयाल के हैं, जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उस पर अपनी राय दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे खड़े होते ही खलबली मच गयी। मैंने अपने भाई त्रिलोकी सिंह की तकरीर बड़े गौर के साथ सुनी। मैं समझता था और आशा करता था कि ऐसे कोई वाकयात जरूर में लायेंगे कि हम लोगों को, इस तरफ के बैठने वालों को लाजवाब कर देंगे लेकिन मुझे नाउम्मीदी रही और कतई नाउम्मीदी रही और केवल मुझे ही नहीं बल्कि मालूम होता है कि बहुत से उधर के बैठने वालों को भी नाउम्मीदी रही। यह मुझे दिखाई पड़ता है। भले ही किसी को इस प्रस्ताव के आने पर तकलीफ हुई हो लेकिन मुझे कतई तकलीफ नहीं हुई। हमारे भाई त्रिलोकीसिंह जी ने जो बहुत ही सद्भावना के साथ वह यह प्रस्ताव लाये हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस भावना से उन्होंने तकरीर की उसी भावना से मैं भी अपने खयालात का इजहार करना चाहता हूं जिसमें न कोई पर्सनल हमला हो और न कड़वी बात हो, लेकिन इतनी प्रार्थना करनी जरूर है कि जिस सावधानी के साथ हम लोगों ने उनकी तकरीर को सुना है उसी सावधानी से हमारे मित्र भी मेरी बातों को सुनने की कृपा करें।

मैं यह जानता हूं कि इस प्रस्ताव पर पहले ४ दस्तखत थे, एक दस्तखत आज तसव्वुर किया गया। पांचों दलों का सम्मेलन अब इस प्रस्ताव से जाहिर होता है। मुझे तो यह देखकर ताज्जुब होता है कि अनमेल कैसा! यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैंने देखा कि पालीवाल जी के दल का संगठन झारखंडे राय जी के दल से हुआ। राजनारायण जी के दल का भी अब उससे संगठन दस्तखत की रू से हो गया और हमारे भाई पालीवाल जी के दल का भी हो गया। अगर अब हमारे मित्र देखें तो पी० एस० पी० का कम्युनिस्टपार्टी से मेल कैसा? यह हमारी समझ में नहीं आया। क्या यहीं के लिये यह मेल हुआ है और केरल के लिये यह कोई मेल नहीं है? वहां पर पी० एस० पी० गवर्नमेंट के खिलाफ, किन्तु यहां पर यह गठबन्धन कैसा? मैं यह समझता हूं, अगर हमारे भाई अलीजहीर साहब मुझे माफ करेंगे, कि यह मुता मैरिज जो त्रिलोकी सिंह जी के प्रस्ताव के लिये हैं, वह कल ५ बजे फिर तलाकनामा हो जायगा और यह सब लोग फिर अलग-अलग हो जायेंगे।

मेरा ऐसा खयाल है कि जो इस प्रस्ताव के कारण और उद्देश्य हैं वह बिलकुल साफ हैं। मैं मीठे अलफाज की चापलूसगीरी में नहीं जाऊंगा। मैं यह जानता हूं कि इसके पीछे भावना क्या है। ५ तारीख से जो सत्याग्रह का आन्दोलन होने जा रहा है उसके लिये इस प्रस्ताव के जरिये से बैकग्राउन्ड तैयार किया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि अब जनता बहुत समझदार हो गयी है। किसान भी अब खूब समझता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी भी इस बात को जानते होंगे कि लखनऊ से तो उनको कामयाबी हासिल हो गयी लेकिन मलिहाबाद के किसानों ने उनको डिस्कार्ड कर दिया। वहां से वह कामयाब नहीं हुए। लिहाजा, मैंने यह सही कहा है कि किसान अब खूब समझता है।

जो आज राजनीति हमारे विरोधी भाई अख्तयार कर रहे हैं यह उसी नीति का नतीजा है कि आज हमारे प्रदेश में खाने की समस्या इतनी विकट हो गई है और उसने यह विकट रूप धारण कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पालीवाल जी पुराने साथी हैं और बड़े भाई हैं। मैं उनके दल की सराहना करता हूं। उसमें काफी संजीदा लोग हैं और बड़े और छोटे, हर तबके के लोग हैं। उसमें बड़े-बड़े जमींदार भी हैं। हालांकि उनकी जमींदारी खत्म हो गयी, लेकिन वजेदारी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कोई ऐसा आन्दोलन करना स्वीकर नहीं किया ऐसा मेरा खयाल है। मुमकिन है कि मेरा खयाल गलत हो, लेकिन जब तक कोई कंट्रेडिक्शन न हो, मैं ऐसा ही खयाल करता हूं। उनकी तरफ से कोई एजीटेशन नहीं हुआ। कहीं 'घेरा डालो' आन्दोलन चल रहा है, कहीं सत्याग्रह हो रहा है, कहीं बीज गोदाम पर धावा करके गल्ला लूटने की बात हो रही है.....

श्री त्रिलोकीसिंह--सरकारी बीज गोदाम और बीज गोदाम में अन्तर है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर है तो ठीक है । लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यों-ज्यों आपको सही इत्तला मिलती जायगी आप अपना प्रोग्राम तब्दील करते जायेंगे । मैं लखनऊ की जबान नहीं जानता, लेकिन पूछना चाहता हूं कि इस नीति से क्या होगा ? क्या खाद्य समस्या हल होगी ? कहा गया कि खाद्य समस्या के लिये सरकार को ५ महीने पहले कोई ज्ञान नहीं था । त्रिलोकी सिंह सिंसियर हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ के लोग तो इंसान हैं और इंसानी ताकत जितनी होती है उतनी दूर तक देखते हैं । पांच महीने पहले किस को खबर हो सकती थी कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी अतिवृष्टि होगी, सैलाब होगा, वाटर लागिंग होगी ? कोई नहीं देख सकता था, कोई समझ नहीं सकता था ।

जहां तक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का सवाल था, वहां की स्थिति मुश्किल थी, खराब नहीं थी; और आज भी मैं इसी राय को रखता हूं । लेकिन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की हालत खराब होने की वजह से उसकी मुश्किलात और बढ़ गयीं, इसमें कोई शक नहीं । इसके अलावा असेम्बली शुरू होने के पहले, २१ जुलाई के एक सप्ताह पहले से भुखमरी की खबरें आने लगीं, फलां गांव में दो आदमी मर गये, फलां गांव में तीन आदमी भूख से मर गये । उस समय माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से मुझ से बातचीत हुई इस सम्बन्ध में और मेरी उनकी राय एक थी । वह यह कि चूंकि असेम्बली शुरू होने वाली है इसलिये भुखमरी की खबरें आने लगीं । यह पेशखीमा है और इसी के आधार पर कुछ आन्दोलन किया जायगा ।

मैं कहता हूं कि हमारे देश में गल्ला है. हमारे देश में गल्ले की कमी नहीं, लेकिन जो गलत प्रचार के जरिये से, सवालों के जरिये से, छूट के सवालों के जरिये से रोजमर्रा असेम्बली भवन में एक घंटा खराब किया जाता है उससे एक पैनिक पैदा हो गया है और उसकी वजहसे गल्ले का एराइवल कम हो गया और इसके कारण ही क्राइसेस का बढ़ना लाजमी हो गया । इसकी जिम्मेदारी अगर है तो विरोधी दल के लोगों पर है जिन्होंने कि यह फिजा पैदा की है । मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि हाथरस में जो कहा जाता है कि फलां तारीख को लूट हुई, उसके पहले दिन के आंकड़े देखे जायं तो मालूम होगा कि अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन गल्ले का चौगुना एराइवल था मार्केट में, गांवों से चौगुना गल्ला आया था । और यही बात इस बात को सिद्ध करती है । इसके लिये किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं कि हमारे यहां गल्ला है और उसका एराइवल होने लगा था । लेकिन जिन लोगों ने लूट मार कराना आर्गनाइज किया यह उनकी जिम्मेदारी है कि जिसकी वजह से गल्ला आना बन्द हो गया और क्राइसेस पड़ा ।

हमारे मित्रों ने देखा और पढ़ा होगा, अखबार में यह खबर निकली थी । गोरखपुर के जिले में पूराघाट एक मुकाम है जहां पर एक हजार आदमी मिलानी बन्ध के कटने के बाद रखे गये थे । उनको रिलीफ मेजर दिये गये । वह डोल पर रखे जाते थे । थोड़े दिनों बाद वहां टेस्ट वर्क खोला गया और उन से कहा गया कि काम करके पैसा पैदा करके खाओ । हुआ क्या ? केवल तीन आदमी महज काम करने के लिये गये और बाकी खामोशी के साथ अपने-अपने वतन चले गये । क्या यह भुखमरी की निशानी है ? जो भूखा मरता है वह काम करता है, और अगर उसको काम मिले तो वह करने के लिये हमेशा तैयार रहता है । लेकिन जिसको यह सहारा हो कि अपने घर में जा कर अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है, वह मेहनत करना पसंद नहीं करेगा । क्या यह उदाहरण इस बात का है कि भुखमरी है ?

कहते हैं कि मंत्रिमंडल में कान्फीडेंस नहीं है । क्या उनके कहने से जनता का कान्फीडेंस खत्म हो जायगा ? मैं कहता हूं कि इस तरफ के लोगों का ही नहीं बल्कि जनता के अधिकांश लोगों का इस सरकार में कान्फीडेंस है । प्रदेश की अधिकांश जनता के लोग इस प्रकार के आदमी नहीं हैं कि लखनऊ के आदमियों की तरह एलेक्शन के पहले-पहले एलेक्शन पिटीशन का पहले से इन्तजाम करें । वे दूरंदेश हैं और होशियार हैं और उनसे यह बात छिपी नहीं रहेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि मलिहाबाद के लोगों का कान्फीडेंस त्रिलोकी सिंह में है ? नहीं है, नहीं है, नहीं है ।

श्री त्रिलोकीसिंह—वहां ६६ प्रतिशत वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़े थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप अपनी बताइये, कांग्रेस की जाने दीजिये। कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है, कहीं हारेगी और कहीं जीतेगी, लेकिन फिर भी बहुमत में रहेगी। जिस जनता की बात आप कहते हैं वह अनाड़ी नहीं है कि उनको चुन कर भेजती है।

जहां तक आंकड़ों की बात है, उसका जवाब आंकड़ों से ही मेरे मित्र जो यहां बैठे हुये हैं, वे देंगे; उन आंकड़ों में नहीं पड़ता। मैं उसी बीहड़पन से जवाब दे रहा हूं जिस बीहड़पन से आपने इस प्रस्ताव को रखा है। मैं समझता हूं और माननीय त्रिलोकी सिंह जी भी समझदार हैं, वे भी समझते हैं कि इस नो-कान्फीडेंस के मोशन का क्या नतीजा होने वाला है। दिल का गुबार वे भी निकालेंगे और इधर के लोग भी, लेकिन यह सरकार यहीं रहेगी, यहीं रहेगी, यहीं रहेगी। क्या वे इस बात को जानते नहीं ?

मेरे पास हमारे मित्र प्रताप सिंह जी आये थे। उन्होंने कहा कि मेरे एक मिलने वाले हैं, उनका एडमिशन टी० बी० अस्पताल, गेठिया में करा दिया जाय। मैंने कहा कि ५ तारीख को आइये, तब बतलाऊंगा। जो कोई इस प्रकार से लोग मेरे पास आया करते हैं उनकी सहायता मैं किया ही करता हूं; लेकिन यह इस बात की दलील है कि वह लोग भी इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस सरकार ही रहेगी, कांग्रेस सरकार रहेगी, कांग्रेस सरकार रहेगी। ऐसी चीजें इस बात की दलील हैं कि यह सरकार मुस्तकिल सरकार है। मैं इस बारे में ज्यादा सीरियस नहीं हूं और न माननीय त्रिलोकी सिंह जी ही इस बारे में सीरियस हैं और और भी जो लोग यहां बैठे हैं वे भी इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं कि नतीजे से वे भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। यह तो foregone conclusion है। लेकिन मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहूंगा कि वे झारखंडे राय जी से होशियार रहें। यह तो जाहिर सी बात है कि वे बदलते रहते हैं और हमेशा पहले भी बदलते रहे हैं। इसीलिये आज उनका नया ऐथिक 'अनशन' निकला है। इस समय उनको अपनी ओर आप को मिलाना था, आकर्षित करना था इसलिये उन्होंने यह अनशन अपना लिया। मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहूंगा कि वे श्री झारखंडे राय की चिकनी-चुपड़ी बातों में न आवें। वे तो मुझ से बड़ी मीठी बात कहते हैं, लेकिन मैं समझता रहता हूं कि कहां पर हमको चौकन्ना रहना है . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति का नाम लेने के बजाय पार्टी का नाम ले कर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि वे व्यक्तिगत हमला उसे न समझने लगें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत अच्छा। तो वह कम्युनिस्ट पार्टी है जिससे हमको और आप को भी चौकन्ना रहना है। एक और पार्टी है जिसका बहुत ही लम्बा नाम है, वह तो मैं नहीं कह पाऊंगा। उस सम्बन्ध में मैं पालीवाल भाई का नाम लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं तथा विरोधी दल के नेता हैं, उनसे हमारा पुराना ताल्लुक है जिसको मैं भूलता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जनता में अपराइजिंग होगी जिसको हम नहीं सम्भाल पायेंगे। मैं इस चीज का बिलकुल इकबाल करता हूं कि जनता की अपराइजिंग को कोई भी सरकार नहीं सम्भाल सकती है। लेकिन गुन्डा राइजिंग को हर सरकार सम्भाल सकती है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं कही या कोई व्यक्तिगत बात नहीं कही कि, जो गुंडा एलिमेंट होगा उस को सरकार हर तरह से रोकेगी और मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त साहबान भी उस कार्य में हमारा सहयोग करने को प्रस्तुत होंगे।

एक सदस्य—सहयोग नहीं देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि सहयोग नहीं देंगे तो वे उसका फल खुद भुगतेंगे, उसका खमियाजा उठावेंगे, लेकिन हम अपने फर्ज को अदा अवश्य करेंगे। मैं समझता हूं कि जो

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

आन्दोलन शुरू है उससे जनता का अहित होने वाला है। गांधीवादी वालंटियर्स जो प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी में होंगे उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी होंगे जिससे हिंसा होगी, वायलेंस होगा, ला-लेसनेस होगी। ऐसी हालत में सरकार का कर्त्तव्य होगा कि वह यहां शान्ति स्थापित रखे और शान्ति स्थापित रहेगी, रहेगी, रहेगी। यह सरकार मोम की नहीं है बल्कि यह सरकार लोहे और फौलाद की है और यह जनता की सरकार है। जनता ने उसको यहां शान्ति स्थापित करने के लिये ही भेजा है, यह सरकार अन्याय नहीं कर सकती है। लेकिन यदि कोई आदमी ला को अपने हाथ में लेकर कानून शिकनी करेगा तो सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि सरकार उसको बर्दाश्त भी कर ले तो जनता उस को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कामरोको प्रस्ताव पर विवाद हो तो जरा शान्ति के साथ . . .

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव नहीं है।

श्री राजनारायण—जब अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद हो तो जरा शान्ति के साथ प्रदेश की समस्याओं को समझने की कृपा करें। श्रीमन्, हमारा कर्त्तव्य इस समय कितना दुरूह है इसको आप भी अच्छी तरह से समझते होंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार का भाषण अभी इस सदन में दिया है, मैं समझता हूं कि उससे आप भी समझते होंगे कि हमारा कर्त्तव्य कितना कठिन हो गया है। जहां उन्होंने आज के अविश्वास के प्रस्ताव की बात की और यह साबित करने की कोशिश की कि माननीय त्रिलोकी सिंह या अन्य विभिन्न दल के लोगों द्वारा मिला हुआ यह प्रस्ताव यहां कैसे आया; तो आप के द्वारा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने २५ मई, १९५५ को एक प्रस्ताव दिया था, हमने २५ मार्च, १९५७ को भी एक अविश्वास का प्रस्ताव दिया था जिसके लिये सदन ने अनुमति नहीं दी, फिर ऐसा ही अविश्वास का प्रस्ताव सोशलिस्ट पार्टी ने २८ अगस्त, १९५७ को इस सदन में पेश किया था लेकिन उस समय भी सदन की अनुमति नहीं मिली, फिर ९ दिसम्बर, १९५७ को एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था जिसके ऊपर वाद-विवाद हुआ। माननीय हुकुम सिंह जी किसी गलतफहमी में हैं, वे समझते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव उस समय आया जब कि सब पार्टियां इसको मिल कर ले आयीं। सन् १९५५ में सोशलिस्ट पार्टी ही अविश्वास का प्रस्ताव ले आयी थी; उस समय सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थीं। कहां इनके तर्क थे? मगर वस्तु-स्थिति जो थी, जो प्रदेश की समस्या थी, जो प्रदेश में अराजकता थी, जो प्रदेश में चोरी, डाका, कत्ल बढ़ता जा रहा था उन तमाम वस्तुस्थितियों से प्रभावित हो कर के हमने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था। इसलिए माननीय हुकुम सिंह जी के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि केवल एक मजाक के लिए या भावावेश में आकर या ५ तारीख को जो आन्दोलन होने वाला है उससे प्रभावित हो कर यह प्रस्ताव लाये हैं। हम प्रस्ताव जो लाये हैं, सोच-समझ कर लाये हैं, परिस्थितियों से बाध्य हो कर लाये हैं, और इसलिये लाये हैं कि इस प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार में नहीं रह गया है।

माननीय हुकुम सिंह जी चले गये, मगर मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सदन में बैठे हुये सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा, उन्होंने गैलरी में दर्शकों की ओर भी अपना रुख और हमारा रुख मुखातिब करने की बात की। क्या उनके वोट को लेकर के इस अविश्वास के प्रस्ताव पर निर्णय लेने को तैयार हैं? अगर वह निर्णय लेने को तैयार हों तो मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो इस सदन में और गैलरी में बैठे हुए लोग हैं और इस सदन में तमाम सम्मानित सदस्य हैं उन सब का वोट लेकर के आप अपना फैसला दें। मेरा विश्वास है कि जो दर्शक, जनता के प्रतिनिधि, यहां आये हुये हैं, गैलरी में बैठे हुये हैं, वे ९९ परसेंट

हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और, श्रीमन्, अगर माननीय हुकुम सिंह जी या उनके मन्त्रि-परिषद् के और सम्मानित सदस्यों के मस्तिष्क में जनविश्वास की भावना अभी भी रह गयी हो तो मैं आप के द्वारा यह मांग करूंगा इस सरकार से कि यह इस्तीफा दे और पुनः निर्वाचन कराये। निर्वाचन के बाद पुनः सरकार बने। किसी भी दल की सरकार बने, मुझे उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। कन्धा तो बदल जायगा, परिस्थिति तो बदलेगी। नये लोगों को अपने कारगुजारी, अपना कलाकौशल दिखाने का मौका तो मिलेगा। इसलिये यहां पर एक बहुत सस्ते ढंग की बात कह देना कि कम्युनिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट है, पालीवाल जी हैं, राज-नारायण हैं, त्रिलोकी सिंह हैं, इसके माने क्या हैं? वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराया जाना चाहिए था।

मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो भारत का आर्थिक कार्यक्रम है, अगर मैं आपसे निवेदन करूं तो बिना हिचक के कह सकता हूं कि यहां का आर्थिक कार्य-क्रम विदेशी पूंजी, यहां की अफसरशाही, यहां की ठेकेदारी और संकुचित राजनीतिक स्वार्थों में फंस गया है। इसलिए आज इस सरकार का आर्थिक कार्यक्रम गरीबों की गरीबी दूर करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। क्या आज के पहले हमने इस सरकार से यह मांग नहीं की कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ें आईं, गल्ले की स्थिति खराब है? क्या हमने यह मांग नहीं की थी कि अन्न के अभाव में लोग मर रहे हैं और उनके लिए सरकार बड़ी मन्थर गति से चल रही है? क्या हमने यह मांग नहीं की थी कि करोड़ों-लाखों लोग भुखमरी की संकटापन्न स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या हमने यह मांग नहीं की थी कि बाढ़ और कटाव को रोकने में, बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में समुचित सहायता देने में यह सरकार असफल हो रही है? क्या हमने यह मांग उपस्थित नहीं की थी कि सरकार अपनी मूल्य नीति-विहीनता के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असमर्थ हो रही है? सरकार ने अलाभकर जोतों से आज तक मालगुजारी नहीं उठायी, जमीन का बटवारा नहीं किया, बड़ी जोत और छोटी जोत का रिश्ता नहीं कायम किया। क्या हमने यह तमाम बातें नहीं उठायी थीं? अगर यह काम हुए होते तो जो आज भुखमरी की स्थिति सारे प्रदेश में छायी हुई है, उसमें कुछ सुधार न हुआ होता? अवश्य हुआ होता। क्या हमने अन्न-सेना, शिक्षण-सेना की बात नहीं की थी? क्यों नहीं सरकार ने अन्न सेना की भर्ती की? अगर सरकार ने अन्न-सेना की भर्ती की होती तो नयी जमीन भी तोड़ी गयी होती और आज यह अन्न की समस्या इतने भीषण रूप में सामने न होती, बेकारों को काम भी मिल गया होता। मगर यह सरकार सोती रही। मालूम होता है कि सरकार अंधी हो गयी थी। क्या, श्रीमन्, हमने शिक्षण सेना भर्ती करके बेकारों की समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया था? इस सरकार ने उसे क्यों नहीं माना? क्या हमने सरकार के मनमाने ढंग पर बिक्री-कर, सिंचाई-कर, बिजली-कर, चकबन्दी-कर, ग्राम पंचायत-कर, आदि-आदि करों को बढ़ा कर जनजीवन दूभर करने की ओर सरकार को संकेत नहीं किया था? हमने बार-बार सरकार से कहा कि गल्ले पर बिक्री-कर मत रखो, रोटी पर टैक्स मत लगाओ। मगर आज यह सरकार अपनी हठवादी नीति पर डटी हुई है। प्रदेश के सारे व्यापारी वर्ग के लोग भी महीने की पहली तारीख को सारे बाजारों को बन्द रखते हैं, हड़ताल करते हैं। मगर तिस पर भी सरकार नहीं सुनती है कि रोटी पर से, गल्ले पर से, टैक्स हटाया जाय। क्या, श्रीमन्, सरकार की फिजूल खर्ची के कारण जनता के धन के अपव्यय की ओर हमने सदन में बार-बार चर्चा नहीं की थी? बार-बार की थी। वह ४१ करोड़ रुपया जो बिना वाउचर, ऐस्टीमेट्स, बिना उप-वाउचर, बिना टिकट सहित रसीदों के खर्च कर दिया गया, क्या वह अपव्यय नहीं है? वह ६ करोड़ रुपया जो बिना प्रमाण-पत्र के खर्च किया गया है और आडिट रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है वह अपव्यय नहीं है? फिर भी, सरकार को जनता का विश्वास कैसे प्राप्त हो सकता है? श्रीमन्, शासन सत्ता के विकेन्द्रित करने की बात हमने बराबर आपके द्वारा सरकार के सामने रखी। अगर शासन सत्ता विकेन्द्रित हो गई होती, एग्जीक्यूटिव और

[श्री राजनारायण]

जुडीशियरी अलग हो गई होती तो निश्चित मत है कि आज सारे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, मार-काट फैली हुई है इसकी रुकावट होती। मगर यह सरकार उधर से अलग रही। खेतों में, मिलों में पैदा होने वाले सामानों के सम्बन्ध में हमने बारबार निवेदन किया कि मूल्यों का संतुलन होना चाहिये, गेहूं, कपड़ा, चीनी, सीमेंट के भाव में न्याययुक्त संतुलन स्थापित होना चाहिये। मगर सरकार असफल रही, आगे नहीं बढ़ी। बिना इन कामों के किये क्या सरकार जनता का कष्ट निवारण करने वाली सरकार अपने को कह सकती है? हरगिज़ नहीं कह सकती। उसको कैसे जनता का विश्वास प्राप्त हो सकता है, जो सरकार पूंजी परस्त नीति अख्तियार करे?

श्रीमन्, जो राष्ट्र तथा जनहित विरोधी मजदूरों के खिलाफ़ काम हुए हैं उसके फल-स्वरूप आज मिलों में तालाबन्दी हो रही है, मजदूरों की छटनी हो रही है, मिलें बन्द हो रही हैं। कानपुर के मजदूरों में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। क्या आप कह सकते हैं, या हुकुम सिंह जी या और कोई मंत्री कह सकता है, कि उसने मजदूरों की भलाई के लिये कुछ किया है? सरकार बिल्कुल असमर्थ रही।

हमने बड़ी और छोटी आमदनी में १० और १ का अनुपात स्थापित करने की बात कही। मेरा दावा है कि अगर यह अनुपात स्थापित किया गया होता, तदनुरूप प्रदेश के आर्थिक ढांचे को कार्यान्वित किया गया होता तो करोड़ों रुपया सरकार को मिलता जिससे गरीब जनता की तरक्क़ी हो सकती थी। मगर सरकार असमर्थ रही है। मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ीं, बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाहें बढ़ीं, अन्य विशेष सुविधायें मिलीं, अस्पतालों में विशेष दवा दारू का प्रबन्ध हुआ, मगर छोटे-छोटे कर्मचारियों के लिये इस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस ओर ध्यान तक नहीं दिया। आज सरकार की वही दशा है जैसी अंग्रेजी सामन्तशाही साम्राज्य में हुआ करती थी।

बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमने बार-बार निवेदन किया कि इसके आवश्यक अंगों को कार्यान्वित किया जाय लेकिन नहीं हुआ। अगर किया गया होता तो बहुत कुछ हरिजनों और पिछड़ी जातियों का भला हुआ होता। उनकी आज जो जिन्दगी दूभर अवस्था में चल रही है उससे पार पाये होते।

अजीब तर्क है। श्रीमन्, अंग्रेजी भाषा, हिन्दी के हिमायती माननीय मुख्य मंत्री और गृह-मंत्री हैं मगर क्या आज इस सरकार की हिम्मत है कि सार्वजनिक कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग का वहिष्कार करें? क्या सरकार की हिम्मत है कि वह बच्चों का अनिवार्य रूप से अंग्रेजी का पढ़ाना बन्द करे? मेरा कहना है कि अगर यह काम किया होता तो प्रदेश में भ्रष्टाचार की कमी होती, नये जीवन का संचार हुआ होता, नई धारा प्रवाहित हुई होती। मगर सरकार उसी पुरानी नीति पर चलती जा रही है जिससे चोरी, डाके, कत्ल बढ़ रहे हैं। समय नहीं है वरना आंकड़े देता।

अब मैं आपके द्वारा इस प्रदेश की अन्न समस्या के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जरा गौर से सुनें। सन् १९४२-४३ में प्रदेश में गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मेज़, चावल सब मिला कर १,०१,८०,००० टन गल्ला पैदा हुआ था। मेरे पास अलग-अलग फिगर्स (आंकड़े) भी मौजूद हैं लेकिन समय कम होने के कारण बता नहीं सकूंगा। सन् १९५२-५३ में वही सब अन्न ९६,५९,८२५ टन हुआ। देखा जाय करीब ५ लाख टन पैदावार घटी है जिसमें गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मेज़ और चावल सब शामिल हैं। यह सरकार किस मुंह से कहने का दावा कर सकती है कि प्रदेश के अन्न उत्पादन में बढ़ावा किया है? आंकड़े देने हों तो दे लें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मगर सच बात यही है और निश्चित मत है, प्रत्यक्ष है कि प्रदेश की जनता भुखमरी की ज्वाला में कराह रही है। देखा जाय आबादी कितनी थी। श्रीमन्, हमने उसके आंकड़े निकाले, १९४२-४३ में एक व्यक्ति के पीछे ४ मन ३४ सेर ८ छटांक गल्ला पैदा होता था और फिर १९५२-५३ में ४ मन ८ सेर आध

छटांक के आंकड़े उपलब्ध हुये और १९५६–५७ के जो आंकड़े उपलब्ध हुये, उनके मुताबिक महज ४ मन प्रति व्यक्ति का उत्पादन रह गया है और फिर भी यह सरकार जनता की सेवा करने का दम भरती है। तो अगर सरकार केवल बिना किसी तरह का उचित काम किये हुये ही इस तरह का दम भरती है तो इससे देश की जनता किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पायेगी। कैसे देश का हित होता है, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। हमने पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) गल्ले का सवाल गवर्नमेंट के सामने रख दिया और उसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे प्रदेश में भुखमरी है। जो पश्चिमी एरिया हमारा सरप्लस कहा जाता था वह अब सरप्लस एरिया नहीं रह गया है, वहां पर इस समय २५ से ४० फीसदी फसल मारी गयी है और जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तो हमारे एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी का यह उत्तर होता है कि हमारी बात गलत है। देवरिया जिले की भुखमरी के जवाब में मंत्री जी का कहना यह है कि वहां पर ज्यादा गल्ला पैदा हुआ है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की जो चकबन्दी की योजना है वह भी खराब है। उसने गल्ले के उत्पादन में कमी कर दी है, आज जनता में हाहाकार मचा हुआ है, भुखमरी की समस्या आज यहां प्रदेश में मुंह बाये खड़ी है क्योंकि लोगों के घरों में आज अन्न खाने को नहीं मिल रहा है। जहां पर भी यह चकबन्दी की योजना चलाई जा रही है वहां पर बरसाती फसल नहीं बोयी जा रही है। कुछ स्थानों पर रबी की फसल नहीं बोयी गयी थी, इसका उत्तर सरकार के पास क्या है, उसका उत्तर अवश्य ही हमें मिलना चाहिये। चल करके स्थानों पर देखना चाहिये कि क्या हालत है, ऐसे ऐसे स्थान मौजूद हैं कि जहां पर अभी तक फसल नहीं बोयी गयी है और न पहले ही बोयी गयी थी।

श्रीमन्, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तैश में आ करके, बड़े आवेश में आकर के यह कह दिया कि फतेहगढ़ में लूट हुई है, हाथरस में लूट-खसोट हुई है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि फतेहगढ़ में १ सेर ४ छटांक और १ सेर ६ छटांक का गल्ला बिक रहा था यानी २८–२९ और ३० रुपये मन तक का गल्ला वहां पर बिका। यह सही है कि वहां पर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गये थे और उन्होंने वहां पर गाड़ी वालों को दो सेर का गेहूं बेचने पर राजी किया था। जब सोशलिस्ट पार्टी वाले वहां से चले गये तो वहां के दूकानदारों ने औरतों पर प्रहार किया, उनकी चूड़ियां तक टूट गयीं तो वहां पर जनता ने दो सेर का गल्ला लिया गाड़ी वालों से। इसको लूट कहना कहां तक सही है? प्रदेश की जिस जनता ने यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिये बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से यह भी कदम नहीं उठाया तो फिर वहां की जनता क्या कर पायेगी?

मैं आपसे हाथरस की भी बात बता देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को गलतफहमी है और मेरा तो ऐसा विचार है कि उनको सूबे की स्थिति का भी पूरा-पूरा ज्ञान नहीं है। हाथरस में भी इसी महंगाई के कारण इस तरह की घटना घटी है। इस तरह की गलत भावना से प्रेरित हो कर यदि कोई सरकार इस तरह की चर्चा करे तो यह कुछ शोभनीय नहीं है। सरकार को वह स्थिति तो देखनी चाहिये थी कि आज प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है जनता भूख से तिलमिला रही है लेकिन सरकार के मंत्रि-परिषद् के लोगों के ऐशो इशरत में किसी तरह की कमी नहीं होती है, तो क्या इस तरह से जनता का लाभ हो सकता है? और, एक ओर तो जनता भूख से तड़प रही है और दूसरी ओर नवाब वाजिदअली शाह की तरह ऐशो इशरत में हमारे सरकारी मंत्रिगण की जिन्दगी बीत रही है और प्रदेश की स्थिति की तरफ से सरकार आंखें बन्द किये हुए सोती रहे तो यह कभी भी बरदाश्त करने के योग्य स्थिति नहीं है। इसलिये इन्हीं परिस्थितियों से बाध्य हो कर के हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाये हैं।

यहां पर 'घेरा डालो' आन्दोलन की चर्चा हुई लेकिन 'घेरा डालो' आन्दोलन का ५ सितम्बर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे प्रदेश में 'घेरा डालो' आन्दोलन ११ जुलाई से शुरू है, उस समय

[श्री राजनारायण]

अविश्वास के प्रस्ताव की चर्चा नहीं थी। उसके बाद फिर यह २१ जुलाई को शुरू हुआ और फिर ९ अगस्त को किया गया। इसका मतलब यह है कि जनता कहती है कि जब तक हमें खाने को गल्ला नहीं दिया जायेगा यह 'घेरा डालो' आन्दोलन तेज ही होता जायेगा और उसको यह सरकार किसी भी तरह से रोक नहीं सकती है। हमारा 'घेरा डालो' आन्दोलन आरम्भ हो गया है और उसको अब तो और सफलता प्राप्त होगी क्योंकि कांग्रेस का 'घेरा तोड़ो' आन्दोलन शुरू होगा। सोशलिस्ट पार्टी का 'घेरा डालो' का औचित्य और सार्थकता तो कांग्रेस के 'घेरा तोड़ो' कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा 'घेरा डालो' आन्दोलन सफल हो। माननीय पुलिस व गृह मन्त्री के बारे में कहना चाहता हूं, इज्जत की बात दूसरी है, लेकिन वे कहते हैं कि आप ऐसा करके गुंडाशाही करते हैं, और इस तरह से गुंडागीरी पनपेगी, मैं कहता हूं कि यह गुंडागीरी नहीं है, लेकिन सरकार स्वयं गुंडागीरी को अपना रही है, सरकार गुंडागीरी को अपनाने की जिम्मेदार है, हम नहीं, सरकार अराजकता फैलाने की जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। आज यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं, तो मैं कहता हूं कि १० मई, सन् १९५७ को सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जब सत्याग्रह किया गया था, तो उसमें जिस तरह से पहले भय था, क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे या इस प्रकार का एक भी उदाहरण उपस्थित करने के लिये तैयार हैं कि उस सत्याग्रह में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक कंकड़ी भी फेंकी गई हो? माननीय मुख्य मन्त्री ने गोरखपुर में एलान किया था कि वह सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह को युद्ध की संज्ञा देंगे, और युद्ध अपराधियों की तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे। सरकार की ओर से ऐसा किया भी गया, मारा गया, घसीटा गया, गलत मुकदमों में फंसाया गया, मगर सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की शांति भंग नहीं हुई। हम अहिन्सक रहे, क्योंकि जनतांत्रिक पद्धति तथा प्रणाली में हमारी अटूट श्रद्धा थी। हम जनतंत्र की पद्धति में पूरी तरह विश्वास करते हैं, डाक्टर राम-मनोहर लोहिया को उस समय जिस प्रकार से जेल में पकड़ कर ले जाया गया वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने धैर्य रखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन जनता से क्षमा प्रार्थी होने की बातें सरकार की तरफ से नहीं की गईं। वैसे व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी कुछ कर सकता है, किसी भी घर में जाकर कोई एक आदमी को मार सकता है मगर हमने साहस के साथ अहिंसा का मार्ग अवलम्बन किया। उस समय हमारे कुर्ते फाड़े गये और हमारे साथ जो व्यवहार किया गया वह कदापि प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, डाक्टर राम-मनोहर लोहिया को जबरदस्ती कोर्ट में उपस्थित किया गया, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंसा को नहीं अपनाया गया। हम तब भी अहिंसा के धर्म का पालन करते रहे और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते रहे। आप दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। "एक्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट"। इस तरह से कोई भी समस्या नहीं सुलझ सकती है। हम ने मांग की है, श्रीमन्, कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे और इस भुखमरी को दूर करने के लिये जीने लायक दो माह तक पका-पकाया भोजन जिनके पास अन्न व पैसा नहीं है, सबको मिले। इसमें सरकारी बजट का केवल ७, ८ करोड़ रुपया खर्च होता है। यदि सरकार ७ करोड़ रुपया इसके लिये खर्च करती है तो नर कंगाली नहीं रहेगी और सरकार के डेढ़ अरब के बजट को देखते हुए यह बहुत बड़ी रकम भी नहीं है।

दूसरी हमारी मांग है कि जिस किसी मंडी में १८ रुपये मन से ज्यादा गल्ला बिकता हो, तो सरकार उसके स्टाक को जब्त कर ले और उस गल्ले को सस्ते गल्ले की दूकानों के जरिये जनता में सस्ते भाव पर बेचे। हमने इसके अलावा सस्ते गल्ले की दूकानों की मांग प्रति न्याय पंचायत के आधार पर की है, जहां ४० मन प्रति दिन की बिक्री हो और कम से कम तीन सेर फी रुपये गेहूं बिके। इसके अलावा हमारी मांग है कि अभावग्रस्त क्षेत्र में सरकारी लगान, पंचायती टैक्स, कोआपरेटिव कर्जे तथा तकावी की वसूलयाबी बन्द हो। इसके अलावा सस्ता बीज, खाद, पानी तथा दूसरे साधनों की वहां पर समुचित व्यवस्था हो।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा और माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि राम-राज्य की चर्चा रोज ही इस सदन में चला करती है, तो राम-राज्य के अन्दर भवभूति के उत्तर कांड में रामचरित मानस में जो कुछ कहा गया है वह इस प्रकार से है :

"स्नेहम् दयान्च सौख्यम् च यदि वा जानकी मपि,
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा ।"

उन्होंने कहा है कि यदि स्नेह को, दया को, स्वयं को, लक्ष्मी को व प्राणों से भी प्रिय जानकी को भी त्यागना पड़े, तो लोकहित के लिये उसे छोड़ने में मुझे तनिक भी व्यथा न होगी । तो श्री सम्पूर्णानन्द जी भी जनहित में और लोकहित में अपनी सरकार का इस्तीफा दे दें और पुनः निर्वाचन करायें और पुनः निर्वाचन कराकर जनता का विश्वास प्राप्त करें ।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—डिप्टी स्पीकर महोदय, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में अविश्वास का अस्त्र एक भीषण अस्त्र समझा जाता है जिसका प्रयोग कुछ खास हालात में किया जाता है । कुदरतन अविश्वास के प्रस्ताव की बात सुनने के बाद यह आशा की जाती है कि जो महोदय उसको पेश करेंगे वह सरकार की बदगुमानियां, उसके कार्यों की विफलता आदि के बारे में कोई खास किस्म का रहस्योद्घाटन करेंगे और इसी खयाल से ऐसे विषय में लोगों को दिलचस्पी पैदा होती है ।

मुझे अफसोस है कि मैंने श्री त्रिलोकी सिंह और श्री राजनारायण जी दोनों के भाषणों को काफी गौर से सुना और उसके बाद जो मैंने अपना मानसिक स्तर बना रखा था कि आज हमें कुछ मौलिक किस्म की बातों को जानने का मौका मिलेगा, कुछ खास किस्म की अगर कोई बदगुमानियां होंगी तो उनको सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही । जो कुछ उन्होंने कहा उसके आधार पर हमें सोचना पड़ता है कि क्या वाकई उन बातों को कहने के लिये अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की जरूरत थी । माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो चार्ज लगाया है, जो उन का कहना है और जिसके लिये उन्होंने इस सरकार को दोषी ठहराया है वह यह है कि सरकार को अन्न की समस्या के बारे में कोई अन्दाजा नहीं था और उनके कैलकुलेशन बिलकुल गलत निकले हैं । बहरहाल, कैलकुलेशन तो किसी के भी गलत हो सकते हैं । जिस किस्म की बातों से अन्न समस्या के बारे में कैलकुलेशन लगाया जाता है, खासतौर से खेतिहर देश की अन्न समस्या के बारे में जो कि कितनी ही प्राकृतिक बातों पर मुनहसिर है, उस के बारे में ठीक अन्दाजा लगाने का गर्व तो कोई भी सरकार नहीं कर सकती । जिसका खेती से अधिक सम्बन्ध है वह भी इस तरह का अन्दाजा लगाने में गलत हो सकता है ।

चुनांचे यहां का अनुभव भी यह बतलाता है कि २ साल में जिस तरीके से इस सूबे में कभी पानी की कमी, कभी उसकी बढ़ती और सैलाब आदि ऐसी चीजें हैं जिन पर बहरहाल कभी किसी सरकार का कोई कब्जा नहीं हो सकता है । इसलिये इन दैवी कारणों से जो समस्या पैदा होती है वह समस्या ऐसी होती है कि उसका मुकाबला सारे राष्ट्र को करना होता है, वह किसी एक पार्टी की ही जिम्मेदारी नहीं है । हम समझ सकते थे यदि वह यह बताते कि ये-ये स्कीमें लाई जा सकती थीं और वे नहीं लाई गईं, कोई सरकार दोषी तभी हो सकती है जब वह जो कुछ कर सकती थी, जो सामान उसके पास थे उन सब का वह उपयोग न करे और उसके बाद अगर समस्या इस तरह की पैदा हो तो कुदरतन उसके खिलाफ यह कहा जा सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसी गलती की । खाद्य समस्या के बारे में जो दो चार मौलिक कदम उठाये जा सकते थे, यह कि जमीन से लोगों को लगाव पैदा हो, जमीन का लोग अपने को मालिक समझें और उसके लिये जमींदारी अबालिशन हुआ ।

[श्री गोविन्दसहाय]

दूसरा कदम यह हो सकता था कि जो छोटे-छोटे खेत हैं उन को जमा किया जाय, कन्सालिडेशन हो, यह जारी है और अनुभव यह बताता है कि जहां-जहां कन्सालिडेशन हो गया है वहां एक दो साल बाद कुछ फसलें अच्छी हुई हैं और पैदावार बढ़ी है। फिर उसके बाद यह कि नहरें, कुयें आदि ज्यादा बनाये जायं, जो छोटे कुयें हैं उन को फिर से गहरा कराना, मरम्मत कराना ताकि वह अधिक पानी दे सकें। अब सवाल यह है कि अगर इसमें किसी सरकार ने कोताहअन्देशी की है तो वह चीज सामने आने के बाद सदन को और सब लोगों को मौका मिल सकता है कि मौलिक कदम उठाया और नहीं उठाया गया। इस बारे में कोई बात नहीं कही गयी, यह चार्ज भी नहीं लगाया गया। चार्ज यह लगाया गया है कि बावजूद इसके कि नहरें खुदी हैं, कुंएं बने हैं, पानी आया है, मगर पानी में ऐसी तासीर है कि जिधर जाता है सूखा हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मेरा विश्वास है कि उत्पादन इस प्रदेश में बढ़ा है। जितने साधन इन्सानी हो सकते हैं, इन सीमित साधनों में एक सरकार के पास जो कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्तर्गत काम करती है, जिसकी सीमाएं हैं, बन्धन हैं, उसके अन्दर जितने साधन हो सकते थे वे जुटाने की चेष्टा की गयी और अगर उसके करने में कोई गलती हुई है तो दूसरी बात है।

यह बतलाया गया है और मुझे हैरत हुई कि श्री त्रिलोकी सिंह जिनके लिये काफी मेरे हृदय में, मैं ही नहीं इधर के काफी लोगों के दिलों में इज्जत है, हम सब लोग पुराने साथी हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, आज उन्होंने अपनी दलील में चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान पढ़ा। बयान यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि हम बढ़ते हुए दाम नहीं रोक सकते। मैंने भी वह उनका बयान पढ़ा है और उन्होंने कहा है कि जहांतक प्राइसेज के बढ़ने का ताल्लुक है यह प्रदेश से सम्बन्ध नहीं रखता है, यह आल इंडिया प्रश्न है और इस प्रश्न को किसी जादू या कानून से नहीं रोका जा सकता है।

दूसरे, उन्होंने यह कहा है कि अनुभव यह बताता है कि हमने जो पहले तजुर्बा किया था ट्यूबवेल वगैरह का, मेजर इरिगेशन वर्क्स का, अब मेजर इरीगेशन वर्क्स के साथ जो माइनर इरिगेशन वर्क्स हैं उनके ऊपर भी हमको जुटना चाहिये और उनका उपयोग करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन-सी ऐसी बात थी जिससे साबित हो सकता था कि अब उन्होंने खुद तसलीम कर लिया है कि यह चीज हमारे कब्जे से बाहर की बात है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है।

इसी तरीके से राजनारायण साहब ने एक चार्टर पढ़ा। ठीक बात है। उन्होंने कुछ बातें कहीं और वे ऐसी हैं कि जो अगर इस देश में लागू हो जायेंगी तो मुमकिन है कि जितने नतीजे आज निकलते हैं उससे कुछ ज्यादा निकल आयें। यानी, जैसे लैंड आर्मी की बात है। लैंड आर्मी की बात बहुत अच्छी है, मगर आज जैसी पार्लियामेंटरी पद्धति है उसमें राजनारायण जी को हक है कि अगर हम लोगों से कहें कि तुम्हें कम्पलसरिली लैंड पर काम करना पड़ेगा तो उनको यह हक है कि कहें कि यह बेगार ली जा रही है, तो ऐसे वातावरण में, ऐसे सीमित ढांचे में कोई लैंड आर्मी इकट्ठी की जा सकती है? लैंड आर्मी की बात कहना और यह बेकारी दूर करने की बात कहना ये सब बातें कमांड इकोनामी में मुमकिन हो सकती हैं, पार्लियामेंटरी पद्धति में उतनी तेजी से उसके नतीजे नहीं निकलते हैं। इसलिये यह कहना कि हमने तो एक साल पहले ये बातें कह दी थीं तो वे बातें नामुमकिन हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कह दिया है कि क्यों नहीं गांव सभाओं का टैक्स खत्म किया जाय? क्यों नहीं पंचायतों का टैक्स खत्म किया जाय? क्यों नहीं फलां टैक्स खत्म किया जाय? तो उन्होंने जो कहा है कि टैक्स खत्म किये जायं, ठीक है लेकिन जो सरकार अपना काम फैलायेगी और जिससे यह आशा की जाती है कि उसकी पढ़ाई की, भूख की, कपड़े की और स्वास्थ्य की सब की जिम्मेदारी है, वह यह सब जिम्मेदारी पूरी करे इस कहने के अनुसार कि कोई टैक्स न लगे, यह दलील और यह मंतक मैं नहीं जानता कि किसी सरकार के लिये मुमकिन है।

टैक्सेज लगते हैं, टैक्सों का फैलाव होता है। लेकिन टैक्स भी न लगे वह सब काम हो जायं, यह दलीलें अच्छी लग सकती हैं, जनता पर असर डालने के लिये या फौरी असर पैदा करने की जहां बात हो, लेकिन व्यावहारिकता यह नहीं बताती।

मैं समझता हूं कि हमारा दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होना चाहिये, इस खयाल से भी व्यापक होना चाहिये कि आज इधर लोग बैठे हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि वह हमेशा शासन में ही रहेंगे, इसलिये उसका एक मियार रहता है कि जो अपोजीशन के लोग हों वह कोई ऐसी बात न करें जो उनको खुद निभानी मुश्किल हो जाय और ऐसा करने से लोगों का जनतन्त्र में से विश्वास हटने लगता है। जैसे कि ट्रावंकोर में दोनों पार्टीज को, पी० एस० पी०, को भी और कम्युनिस्ट पार्टी को भी कुछ व्यावहारिक अनुभव हुआ है और मैं आशा करता था कि इस अनुभव से लाभ उठाया जायगा। और लाभ उठा करके एक ऐसा व्यावहारिक दृष्टिकोण पैदा किया जायगा जिसके मातहत लोगों के अन्दर जन्तन्त्र के प्रति एक मुहब्बत और लगाव पैदा हो। जहां तक इन बातों का ताल्लुक है, जैसी कि मैं आशा करता था कि आज के दिन कुछ मौलिक पालीसीज के बारे में चर्चा होगी, मुझे खुशी है कि त्रिलोकी सिंह जी को सिवाय खाद्य समस्या के किसी और मसले पर इतना मतभेद नहीं है। शासन की प्रणाली कैसी हो, शिक्षा कैसी हो ऐसी किसी चीज को उन्होंने चर्चा नहीं की। वे समझते भी नहीं कि सरकार को कुछ ये बातें करनी चाहिये या नहीं। उनको सिर्फ एक ही एतराज है और वह है खाद्य समस्या के बारे में। सारी उनकी बहस फूड प्राब्लम के ऊपर है। क्या उस फूड प्राब्लम के लिये, जिसके बारे में काफी घंटे इस सदन में खर्च किये जा चुके हैं, टैक्सपेयर का काफी रुपया खर्च किया जा चुका है, यह वोट आफ नो कांनफीडेंस लाने की जरूरत थी? वोट आफ नो कांनफीडेंस आखिरी शस्त्र का प्रयोग बिना किसी ऐसे कारणों के होना उसकी उपयोगता को नष्ट करना है और उसमें से लोगों का विश्वास भी हटाना है। यह एक जिम्मेदार सदन है। इसमें जो इधर के या उधर के लोग बातें करते हैं उनका करोड़ों आदमियों की जिन्दगी पर असर पड़ता है। इसलिये अगर हम इन चीजों के अन्दर संजीदगी न रख करके एक बहस का अखाड़ा इस सदन को बना दें तो मुझे डर लगता है कि कहीं लोगों का हमारी बातों में विश्वास न हट जाय।

मुझे कोई ज्यादा मौका इस वक्त उनके जवाब में यह बताने का भी नहीं है कि आखिर सरकार ने क्या-क्या किया। मैं यह मान कर चलता हूं कि जंग के बाद का वक्त हर मुल्क के लिये एक खतरनाक वक्त होता है जो कई मानों में जंग के जमाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जंग के जमाने में अर्थ व्यवस्था अस्त व्यवस्त होती है। तमाम रोजगार जो जंग के जमाने में खुल जाते हैं, जंग के बाद नये ढांचे पर बनाये जाते हैं। इस देश में जंग के बाद आजादी आई, पार्टीशन आया, उसमें तबाही और बरबादी आई, अर्थ व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हुई। जिन वाकयात के सायों में हमने काम किया उन वाकयात को सामने रख कर ही एक हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि आया जो कुछ मुमकिन था वह करने की कोशिश की गयी या नहीं।

अन्त में मैं एक चेतावनी देकर के खत्म करता हूं। बहस के नतीजे में न इधर के लोगों को कोई शक है न आपको कोई शक है। फर्क इस बात का है कि जिस किस्म की बहस हम करते हैं उसका वातावरण पर क्या असर पड़ता है। थोड़ा बहुत जो मैं इतिहास को पढ़ता हूं, मुझे ऐसा दीखता है कि आज जनतन्त्र प्रणाली प्रायः सब देशों से नष्ट होती जा रही है और लोगों का विश्वास इसमें से हटता जा रहा है क्योंकि इसके जो चलाने वाले लोग हैं वे चाहे इधर के हों या उधर के हों, दोनों की जिम्मेदारी है। अगर वे किन्हीं स्टैंड्स को कायम नहीं करेंगे और बात-बात में एक अस्त्र जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिये उसका प्रयोग करेंगे या उसका गलत प्रयोग करेंगे तो उसमें से अगर लोगों का विश्वास हट गया तो मुझे डर लगता है कि जो हिन्दुस्तान के इर्द-गिर्द देश हैं उनमें जो हश्र हुआ, लेबनान में, आधे पाकिस्तान में, बरमा में, ईराक में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, वह हिन्दुस्तान में न हो। सिर्फ हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश बाकी है जिसके अन्दर जनतंत्र का ढांचा बना हुआ है इसलिये इसके चलाने की जिम्मेदारी दोनों तरफ के लोगों की है और अपोजीशन की ज्यादा है क्योंकि वह यह दावा करती है कि वह इस मौजूदा सरकार से अच्छे ढंग से सरकार को भी चलायेगी और व्यवस्थाओं को भी चलायेगी।

[श्री गोविन्द सहाय]

इसलिये अगर उनके तरीकों में ऐसी बातें होंगी तो मुझे डर लगता है कि कहीं इतिहास लिखने वाला वही बात न लिखे जो कि सन् १९३३ के वाकयात के बाद जर्मनी के बारे में लिखा था। अगर इस देश में इस प्रणाली से लोगों का विश्वास हटता जाता है तो न यह पार्टी रहेगी, न वह पार्टी रहेगी। मुझे यह दीखता है कि उसके बाद तानाशाही ताकतें आयेंगी जो मजाक उड़ायेंगी दोनों तरफ के लोगों का और ज्यादातर अपोजीशन के लोगों का कि उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा किया, जब कि लोगों के दिल दिमाग को मजबूत बनाने की जरूरत थी, जबकि उनके अन्दर डेमोक्रेसी में विश्वास पैदा करना जरूरी था, उन्होंने लोगों के अन्दर भीख मांगना कि सरकार यह देगी वह देगी, ऐसी प्रवृत्ति पैदा की। यह कोई तरीका अन्न की समस्या को हल करने का नहीं है। इसलिये हमें एक तरफ अन्न का उत्पादन बढ़ाना है, व्यवस्था में तब्दीली करनी है, दूसरे जिनको कम मिलता है उनके अन्दर हमें सहन करने की ताकत भरनी है।

श्री उपाध्य —अब आपका समय खत्म हुआ।

(श्री अवधेशप्रतापसिंह का नाम पुकारा गया।)

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से सुबह प्रार्थना की थी कि विरोधी दलों के माननीय नेताओं को २०,२० मिनट दिये जायें। इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य हिस्सा लें उनको १० मिनट का समय नियुक्त किया जाय, किन्तु उस समय विरोध हुआ था इस कारण अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि १५ मिनट रहे। लेकिन अगर रूल्स (rules) आप देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें "शैल" शब्द का प्रयोग किया गया है, "विल" का प्रयोग नहीं है। इस वास्ते मेरा अनुरोध है कि यदि समाजवादी पार्टी को कोई एतराज न हो तो १० मिनट रखें क्योंकि काफी लोग बोलने के लिये उत्सुक हैं और उन्हें समय नहीं मिल सकेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और १५ मिनट ही चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह आप समाजवादी पार्टी की ओर से बोल रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे साथी सुरथबहादुर शाह जी ने कहा कि सब की ख्वाहिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा ले सकें। इसलिये मुझे अपनी पार्टी की ओर से कोई एतराज नहीं होगा यदि १० मिनट कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने चूंकि अवधेश प्रतापसिंह जी का नाम बुला लिया था, इसलिये उनके लिये १५ मिनट का समय रहेगा और बाकी लोगों को १० मिनट दिये जायेंगे।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय त्रिलोकी सिंह जी तथा अन्य नेताओं द्वारा इस समय सदन में प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो अपने को अंतर्यामी होने का दावा करते हैं और अपने को बीहड़ भी कहते हैं, मैं उनके लिये इसमें कुछ विशेषण और जोड़ देता हूं कि वह बेढब और निराले भी हैं। (व्यवधान) अब सुनते जाइये इस पर कोई असर नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश की इस सरकार को फौलादी सरकार के नाम से पुकारते हैं, जो अपने को जर्मनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का दूसरा बिसमार्क समझे बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि उन्होंने अपने मखौलपन का दर्शन दिया जिससे हम भी कुछ कह सकें। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने मुख से, अपने बल से, अपनी शक्ति से वीर कहलाते हैं, वह हमेशा स्मरण रखिये कि कायर हुआ करते हैं और यह कायरता का प्रमुख चिन्ह है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि वह आज गुंडाशाही समाज करना चाहते हैं। मैं आप के द्वारा पूछना चाहता हूं कि राज्य किस का है? अगर वह सेल्फ लिक्वीडेशन में बिलीव करते हैं तो साबित करें कि गुंडाशाही क्या है? मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई गईं यह गुंडाशाही से किस हद तक कम माना जा सकता है।

मान्यवर, जैसा कि उन्होंने कहा कि सच्चाई का जादू इस तरफ से बोल रहा है तो मैं यह कह रहा हूं कि आज नहीं तो थोड़े दिनों के उपरान्त यह जादू उस तरफ से बोलेगा और देश पर अधिक प्रभाव होगा। मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि त्रिलोकी सिंह जी से उनको यह शिकायत है या वह उनकी प्रशंसा कर रहे थे अपने शब्दों में कि वह नान-सीरियस हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तो नहीं, लेकिन हां, स्वास्थ्य मंत्री जी नान-सीरियस हो सकते हैं। श्रीमन्, मैं किसी बात पर आपत्ति नहीं करता हूं क्योंकि संसार में यह विदित है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा सीरियस रहा करते हैं और बहुत से लोगों में यह पैत्रिक गुण हुआ करते हैं कि वह सदैव नान-सीरियस रहें....

माननीय मंत्री को लखनऊ में रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं और उनको जो खूबियां मिली हैं, अफसोस है, कि हमारे नेता विरोधी दल को न मिलीं। उनको जमींदारों की बजंदारी याद आती है उसके लिये मैं आभारी हूं। उसी बजंदारी का पालन करते हुए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज उसी बजंदारी के नाते मैं शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं कि १,००० रुपया खर्च करके जो मजा नहीं ले पाते वह माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज हमें इस सदन में प्रस्तुत किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रताप सिंह जी हमारे पास आये थे। श्रीमन्, महाभारत में जब भीष्म पितामह शैय्या पर लेटे थे तो अर्जुन आशीर्वाद लेने गये थे। तो प्रताप सिंह आशीर्वाद लेने के लिये उनके पास गये थे।

आपने अनमेल की बात कही। इसी विधान भवन में जब कि माननीय राजा जगन्नाथ-बख्श सिंह के खिलाफ वोट आफ नो कान्फीडेंस मोशन आया था, माननीय चिन्तामणि ने मूव किया था जब कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री भी सदस्य थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--नहीं थे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टियों की केरल की बात कही। मैं इसको छोड़ देता हूं पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, वरना उन भाइयों को शिकायत होगी कि उनका हक मैं ले रहा हूं। लेकिन उसका जवाब मुंहतोड़ मिलेगा और शीघ्र ही मिलेगा। आज हम पर यह लांछन लगाया गया है कि इस प्रदेश में भुखमरी नहीं है। आज यह कहा जाता है कि अपोजीशन ने क्रिएट किया है। यह सरकार और माननीय गृह मंत्री और उनके साथी जिस कुम्भकरणी निद्रा में मग्न हैं उससे जगाना बहुत कठिन है। जागता तो वह है जो सोता रहता है। जो जागता रहता है उसको नहीं जगाया जा सकता। अगर कोई नेत्रयुक्त होते हुए भी न देखे तो उसके लिये कोई उपाय नहीं है।

श्रीमन्, बड़ी लज्जा की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि उनको माननीय पालीवाल जी की पार्टी का नाम याद नहीं है। स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल उनको याद नहीं है। वह एक मिनिस्टर हैं, उनको एक पार्टी का नाम तक नहीं मालूम है (हंसी)। श्रीमन्, यह हंसने की बात नहीं है। लेकिन इस गैर-जिम्मेदाराना ढंग से अगर कोई भी मंत्री उस जगह बैठता है तो इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं होंगे।

अभी मैंने माननीय गोविन्द सहाय जी को सुना। वह मौलिक सिद्धान्त, मौलिकता और मौलिक नीतियों का प्रचार कर रहे थे। अगर हमने यह गलती कि मौलिक सिद्धांतों पर प्रकाश

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

नहीं डाला तो यह गलती वह क्यों करते हैं? हम तो सुनना चाहते हैं। लेकिन हम थक गये हैं सुनते-सुनते एक ही चीज को। आप यह कहते हैं कि अपोजीशन यह नहीं बताता कि गल्ले का उत्पादन किस तरह बढ़ाया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि गल्ले का उत्पादन कम है तो आप के फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में है कि हमारे प्रदेश की गल्ले की स्थिति भयंकर है। इस चीज को राज्यपाल महोदय ने भी स्वीकार किया है कि स्थिति खराब है।

फिर आप फरमाते हैं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कोई आज नई चीज नहीं है। हम कोई बालक नहीं हैं जिसको पढ़ने इस सदन में आये हैं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है। क्या उनके यहां यह होता है कि कोई दूसरी पार्टी राज्य के खिलाफ कोई स्वरूप अख्तियार नहीं करती या उसका विरोध वहां पर नहीं होता? आप हमारी बातों का क्या यह मतलब लगाते हैं कि जो बातें हम यहां पर नहीं कहते हैं हम उसके समर्थन में हैं और यह समझा जाय कि उसके लिये हमारी कोई शिकायत नहीं है? हम यहां पर जो यह नो-कान्फिडेन्स का मोशन डिस्कस करने आये हैं तो उसका मतलब यह है कि सर्वांगीण रूप से हम सरकार की सब नीतियों का विरोध करते हैं जिसके लिये हम चाहते हैं कि भगवान् के लिये, इस प्रदेश के लिये आप यहां से जाइये और इन कुर्सियों को छोड़िये और नहीं तो जो कुछ हो रहा है उसका फल आप भुगतेंगे।

मान्यवर, इस सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन उन विभागों से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जाता। हमारे माल मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। अगर किसी लेखपाल के खिलाफ एक शब्द भी कह दिया जाय तो उनका मुखारविन्द एकदम लाल दिखाई देने लगता है और आस्तीन ऊपर चढ़ जाती है और वह आवेश में अपने को भूल जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप को तो शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि आप भी आस्तीन चढ़ाये हैं। (हंसी)

श्री अवधेशप्रतापसिंह--श्रीमन्, यह तन्जेब का कुर्ता है और वह खद्दर का कुर्ता है। इसमें बहुत अन्तर है (हंसी)। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे महायुद्ध के बाद जब गल्ले का भाव उच्च शिखर पर था तो उस समय गेहूं का भाव १४ रुपए १ आना १ पाई मन था और उस समय चावल का भाव १९ रुपये १० आने ८ पाई मन था। मैं केवल इस चीज को दिखाने के लिये बता रहा हूं कि जिस जमाने में यहां पर क्रान्तिकारी राज्य की स्थापना की जा रही है उस जमाने में प्रदेश की अन्न की स्थिति क्या है। आज प्रदेश के अन्दर भुखमरी का बोलबाला है। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों के समक्ष यह आंकड़े रखना चहता हूं जिससे यह पता लग जायगा कि यह वृद्धि ५५८ फीसदी हो चुकी है। चावल का भाव १९३९ ई० में ४ रु० ८ आने मन था। सन् १९४८ में वही चावल का भाव १४ रुपये मन हो गया और सन् १९५८ में वही भाव फिर ३२ रुपये मन पर आ चुका है। अब आप गेहूं के भाव को लीजिये। सन् १९३९ ई० में गेहूं का भाव ३ रुपये ४ आने मन था। सन् १९४८ में वही गेहूं का भाव १५ रुपये मन हो गया और सन् १९५८ में वह गेहूं २६ से २८ रुपये फी मन बिक रहा है।

अब मैं फिर अपने दोस्त की तरफ घूमकर आता हूं क्योंकि हमारे दोस्त गोविन्द-सहाय जी आजकल इवैल्यूएशन कमेटी के चेयरमैन हैं और वह इस बात को जानते हैं कि आजकल प्लानिंग के अन्तर्गत कितनी प्रगति प्राप्त हो चुकी है। जो योजनायें प्लानिंग की बनाई जाती हैं उनका दोष यह है कि जो चीज या जो सुझाव आज हम उनके लिये स्वीकार नहीं करते कल उसी को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि जिन योजनाओं पर हमें खामोश बैठना चाहिये था, उनको हमने प्राथमिकता दी और जिनको प्राथमिकता देनी चाहिये थी उनकी हमने उपेक्षा की। यह सदन के इधर के लोग ही नहीं, उधर के लोग भी समझते हैं। प्रायरिटी उन योजनाओं

को नहीं दी गयी कि जिनको देनी चाहिये थी। विधान सभा का मार्ग न सजाया जाता, बहुत सी बेकार इमारतें न बनायी जातीं, बहुत सा रुपया पी० डब्लू० डी० और नहरों के इंजीनियरों की जेब में न जाता और उसका दुरुपयोग न हुआ होता तो क्या अच्छा न हुआ होता? क्या उस रुपये को कृषि संचालन हेतु नहीं लगाया जा सकता था?

प्रदेश में ३१ एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हैं जिनमें जुलाई, १९५७ में ४०,५०२ एजूकेटेड अनइम्प्लायड थे जिनकी तादाद जुलाई, १९५८ में ५६,९७४ हो गयी। क्या इन योजनाओं का फल यह होना चाहिये था कि किसी किस्म की बेरोजगारी बढ़े? आप वर्गविहीन समाज चाहते हैं। क्या यह मिडिल क्लास को मिटाकर ही बनाया जा सकता है? आज हमारा मिडिल क्लास नष्ट भ्रष्ट हो रहा है और इसका नतीजा यह होगा कि किसी तरह की भी सीसाइटी नहीं बन पायेगी। यही एक क्लास है कि जिसकी बदौलत आप यहां विराजमान हैं और इस क्लास को नष्ट करने की जिम्मेदारी आज सरकार पर है।

श्री रुकनुद्दीन खां (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने इस रेजोल्यूशन को जिस वक्त पेश किया और उसके साथ ही सब से पहले अपनी अपालोजीज भी पेश कर दीं सरकार से, चाहे साबिकादस्ती की बिना पर या और किसी वजह से, मगर मैं यह देख रहा था और मैंने इस बात को महसूस किया कि आपकी तकरीर कुछ बादिल नाख्वास्ता हो रही है। आप मजबूर किये जा रहे हैं कि आप इस तरह की तकरीर पेश करें। बहरहाल, जो सूरत रही हो, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि गुफ्तार में कुछ गरमी आयी। यहां तक कि बहस के दौरान में कुछ भाइयों ने गालियां भी बकनी शुरू कर दीं। "जबां बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजै दहन बिगड़ा"। मुझे कोई सफाई की तमन्ना नहीं है। मैं मशकूर हूं जनाब का और सिर्फ इतना चाहता हूं कि जरा ठंडे दिल से आप सुनें.....

श्री उपाध्यक्ष—आप माइक्रोफोन पर बोलिये।

श्री रुकनुद्दीन खां—मैं माइक्रोफोन पर ही बोल रहा हूं, हुजूरवाला।

(शोर, तालियां और 'मुकर्ररइरशाद' की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—यह मुशायरा नहीं है, मैं 'वाह-वाह', 'मुकर्ररइरशाद' कहने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रुकनुद्दीन खां—मैं अपने भाइयों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा मंशा हरगिज यह नहीं है कि इस बहस-मुबाहिसे में किसी खास किस्म की गरमी पैदा की जाय। मैं किसी शख्शियत पर हमला नहीं करना चाहता, मगर यह कहने पर मजबूर हूं कि अदम एतमाद का रेजोल्यूशन जो आया है यह अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां रखता है और अगर जिम्मेदारियां रखता है तो ऐवान इसके साथ-साथ इस बात पर मुतबन्नी है कि कोई ऐसी बात कही जायगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट फिर खयाल करे। मेरे भाई ने यह भी बतलाया कि वह जानते हैं कि इस प्रस्ताव का क्या नतीजा होने वाला है। क्यों जनाब, अगर आप यह जानते हैं तो फिर गाये गीत को गाये जाना और अपनी बीन बजाये जाना, यह कहां की दानिशमन्दी है? इस प्रस्ताव के सिलसिले में जरूरत थी कि ऐसी बातें बयान की जातीं जिनसे गवर्नमेंट आगाह होती। मगर मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें मुझे बिलकुल मायूसी रही। मुसीबत आसमान से जो आती है वह किसी के कब्जे में नहीं है। ऐसे माहौल में हालात पर काबू रखना अगर तनहा सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाय तो यह भी गालिबन गवर्नमेंट के इमकान से बाहर है। इस वक्त जरूरत है कि जनता मुस्तैदी के साथ, यहां के बैठने वाले, इस ऐवान के, मुस्तैदी के साथ और हमारे देहात के लोग भी मुस्तैदी के साथ और ठंडे दिल से इस बात की कोशिश करें कि यह अनाज की मुसीबत कैसे टले।

[श्री रुकनुद्दीन खां]

यह जरूर है कि मुसीबत आई है मगर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी फरमाया कि मार्च के जमाने में हमने एक प्रस्ताव से सरकार को आगाह कर दिया था कि ऐसी चीज आनेवाली है। तो क्या गवर्नमेंट बेखबर थी या बाखबर थी? वह बाखबर थी पहले से ही। अगर नहीं होती तो अनाज का वह ज़खीरा जो उसने इस वक्त खोल दिया है वह कैसे हो सकता था? गवर्नमेंट जानती थी कि ऐसी मुश्किल सूरत पैदा होने वाली है और उसके लिये उसने इन्तजाम रखा।

इस वक्त जो मतालबा किया गया उसके साथ यह धमकी भी दी गई कि हम आन्दोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, सिविल डिसओबीडियेंस करेंगे, मरनव्रत रखेंगे। मैं निहायत अदब के साथ उनकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यह वक्त इन बातों के करने का नहीं है। यह भी इत्मीनान गवर्नमेंट को दिलाया जाता है कि हम कोई बदअमनी नहीं फैलाना चाहते हैं और साथ ही यह कहा जाता है कि हम गोदामों के गल्ले पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा करेंगे और उसे तकसीम करेंगे और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये उसकी क़ीमत सरकारी खजाने में जमा करेंगे। इससे ज्यादा नासमझी की और क्या बात हो सकती है? कितनी भी जबरदस्त कोई पार्टी हो उसका कन्ट्रोल जनता के ऊपर उस हद तक नहीं हुआ है कि वह उसे पुरअमन रख सके। फिर, इस किस्म की तक़सीम और डकैती में फर्क क्या है? क्या आप चाहते हैं कि कानून-शिकनी इस तरीक़े पर चलाई जावे कि कोई गवर्नमेंट ही न रहे?

उन्होंने कहा कि इस्तीफा दीजिये। बहुत अच्छा, साहेब। लेकिन यह प्रस्ताव से नहीं हो सकता। साथ ही आप यह तो बताइये कि आप किस पार्टी की गवर्नमेंट बनावेंगे? गवर्नमेंट कांग्रेस की ही रहेगी चाहे नेता कोई भी हो। आप फ़रमाते हैं कि यह लोहा है, हम इसे गला देंगे। मैं अर्ज़ करता हूं कि यह पत्थर की चट्टान है कि कोई बहिया भी इसे नहीं हटा सकती है। जो शख्स इससे टक्कर लेगा वह सिवाय इसके कि अपने सिर को नुकसान दे और कुछ नहीं कर सकता। उनको चाहिये था कि इस मुसीबत के जमाने में कोई चारासाज़ी या हमनवाई करते और गवर्नमेंट का हाथ बंटाते कि जहां गड़बड़ी हो उसे दूर किया जाय।

मैं अपने ही जिले की बात कह सकता हूं। मैंने अपने जिले में देखा है कि जहां देहात में भी दूकानें कायम करने का मतालबा हुआ वहां दूकानें रखी गयीं। अब लीजिये शिकवे और शिकायतें शुरू हो गयीं। मिलेगा सिर्फ २५ मन गल्ला और आप चाहते हैं कि हम तमाम आबादी को खिला दें। यह कैसे हो सकता है? विरोधी दल का भी हर भाई जानता है कि इस सूबे में टोटल राशनिंग बिलकुल नामुमकिन है और उस की जरूरत भी नहीं है चूंकि गल्ले की कमी उस हद तक नहीं है। देहात में मैंने तो यह देखा कि अगर कोई दूकान कायम हो गयी तो उससे चाहे फायदा हो या नहीं, यह शिकायत बढ़ गई कि हमको नहीं मिलता। जाहिर है कि सब को नहीं मिल सकता। छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में हम सब को गल्ला देते हैं मगर बड़ी म्युनिसिपैलीटीज़ में यह मुमकिन नहीं है। मैं अर्ज़ करूंगा कि इस वक्त जो सूरत पैदा हो गयी है वह बिलकुल नामुनासिब थी। गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट को हम अपनी तरफ से यह जरूर एतबार दिलाना चाहता हूं कि हमारा पूरा विश्वास आप के ऊपर है, मुझे यक़ीन है, और पूरा यक़ीन है।

"न खंजर उठेगा न तलवार उनसे,
ये बाज़ू मेरे आज़माये हुये हैं।"

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भले आदमी को अगर वक्त से पहले कोई बात करने की जरूरत पड़े तो उसे करने की तकलीफ होती है। अगर त्रिलोकी सिंह जी ने आम चुनाव में इस सरकार को हराने का मौका न लेकर तीन वर्ष पहले अविश्वास का प्रस्ताव लाने का अवसर आया तो उससे तकलीफ होना स्वाभाविक है। मुझे इससे तकलीफ हुई। किसी भले आदमी को तकलीफ हो सकती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय गोविन्दसहाय जी ने और एकाध और साहबान ने यह फ़रमाया कि कोई बुनियादी बात नहीं कही गयी। अन्न की बात तो बुनियादी बात उधर से समझी नहीं जाती है। अगर अन्न की बात उधर से बुनियादी बात समझी जाती कि अन्न ब्रह्म है, उसके बिना यह शरीर क़ायम नहीं रह सकता, इस भौतिक शरीर को कायम रखने के लिये अन्न की नितान्त आवश्यकता है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बच्चों की-सी बातें न होतीं जो कोई भी इस तरह की बात कहता है वह मुझे अबोध लगता है और उसकी जगह अभी मां की गोद में खेलने की होनी चाहिये। प्लानिंग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सब से ऊपर प्रायोरिटी अन्न उत्पादन को दी। अभी कुछ दिन पहले जो सारे देश के सर्वमान्य नेता हैं, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, उन्होंने भी बंगलौर में कहा कि ११ वर्षों के बाद इस वक्त हमें यह अहसास हुआ है कि मुल्क में हमने गलती की और वह गलती यह थी कि हमारा ध्यान खेती की तरफ नहीं गया, इसलिये हम बहुत गलतियों में पड़ गये। हम अब महसूस करते हैं कि उधर कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं अपने को कम पढ़े लिखे लोगों में समझता हूं। मालूम नहीं कि जिन्दगी भर मेरा यह डर बना रहेगा, और मैं चाहता हूं कि बना रहे मगर उधर के लोगों से मैं यह उम्मीद करता हूं कि कम से कम वे जवाहरलाल जी की बात तो पढ़ लें जिनके बल पर यहां बैठे हुए हैं, उनकी बात भी पढ़ने की तकलीफ वह गवारा नहीं करते। उस तकलीफ को न करने की वजह से वे इस तरह की बातें कहते हैं, जो सदन में हंसी की बात हो सकती है कि अन्न की बात करना बुनियादी बात नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में पंचवर्षीय योजना पर सब से ज्यादा रुपये किस चीज पर खर्च किया गया, किस काम पर व्यय किया गया ? लोगों पर टैक्स लगाया गया, लोगों पर सख्तियां की गयीं और यह सब किस काम पर खर्च करने लिये की गयीं ? अगर यह देखा जाय तो मालूम होगा कि सब से ज्यादा रुपया ऐग्रीकल्चर की उन्नति के लिये खर्च किया गया और उसके द्वारा जो अरबों रुपया विदेशों में जाता था उस को बचाने का प्रयत्न किया गया। मैं माननीय गोविन्द सहाय जी, मुख्य मंत्री जी तथा अन्न और खेतों से ताल्लुक रखने वालों की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह कहते हैं कि सन् १९५१–५२ में अन्न का उत्पादन ९६,९६,००० टन हुआ। मोटे तौर पर ९७ लाख टन पैदा हुआ। १९५५-५६ में आप कहते हैं कि वह बढ़ कर १,१६,००,००० टन हो गया, १९५६-५७ में १,२१,००,००० टन हुआ और १९५७–५८ में जिसकी करेक्ट फिगर तो मुझे मालूम नहीं लेकिन कहा गया कि ५ लाख टन का जो उत्पादन बढ़ रहा था उसमें कुछ बाधा पड़ गयी, कुछ कमी हो गयी फिर भी वह १,२१,००,००० टन तो था ही। यह उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं की बिरादरी के दूसरे साहब जो उनके रिश्ते में कुछ लगते होंगे वे केन्द्र के खाद्य मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन हैं, वे कहते हैं—

"Our experience has been that all the southern States are improving in their per-acre yield somewhat, while in the northern States the per-acre yield is declining. That was the unfortunate evidence that we gathered from figures and from information with regard to U. P. and Bihar."

अजितप्रसाद जी यह कह रहे हैं। अब मैं किसकी बात मानूं ? यू० पी० सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। जब मैं यह बात कहता हूं कि दूसरे सूबे भी तो अनाज की मांग करते हैं, तो आप क्यों नहीं मांग करते हैं, लेकिन हमारी सरकार कहने में शरमाती है। मैंने कल माननीय अन्न मंत्री जी से पूछा कि मेहरबानी कर के बताइये कि केन्द्रीय सरकार ने तो ५० से ७५ हजार टन देने का वायदा कर लिया, लेकिन आप ने उनसे क्या मांगा था। उन्होंने कहा कि यह तो दो गवर्नमेंट्स के बीच की बात है, इसको नहीं बताया जायगा। यह कौन सी न्याय संगत बात है कि हमें यह नहीं बताया जा सकता कि आप दोनों में क्या बातें हुईं। मैं जानता हूं कि आप क्या कहते हैं और आप ने क्या कहा होगा। अब मैं उस पर आना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५७ में भी हमको यह बीमारी थी, उस वक्त यू० पी० की गवर्नमेंट

[श्री गेंदासिंह]

ने उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा, उसके बारे में मैं यह लोक सभा की प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। मुख्य मंत्री महोदय उस को देख लें तो अच्छा होगा। यह मैं १४ मई, सन् १९५७ की प्रोसीडिंग्स से पढ़ रहा हूं। श्री अजित प्रसाद जैन कहते हैं —

"The demand of the U. P. Government for the hill districts and Eastern U. P. where the *rabi* crop has suffered, has been accepted in full. 15,000 tons of wheat per month will be made available to the U. P. Government for distribution in these areas up to the end of September when the position will be reviewed."

मैं इस "In full" पर विशेष जोर देता हूं।

अब केरल की बात भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुना दूं कि तंजौर और आन्ध्र डिस्ट्रिक्ट के बाजारों से जो वे गल्ला लायेंगे ही, वह तो उनके लिये खुला ही रहेगा।

इसके अलावा वे फरमाते हैं —

"Those sources are open to the State but the Government of India have, during the four months from January to April, supplied 78,000 tons of rice for distribution through 4,000 and odd fair price shops."

इन ४,००० दूकानों की मार्फत वे ७८,००० टन गल्ले का बटवारा करेंगे। (लाल बत्ती जलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन मिनट वक्त और दे दिया जाय, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। तो ७८,००० टन का हिसाब लगावें तो इस हिसाब से ५०,००० मन गल्ले का बटवारा इन ४,००० दूकानों से डेली होता है। लेकिन यू० पी० में जब कि रबी की फसल बर्बाद हो गयी है और इसको चरणसिंह जी भी कहते हैं कि पिछले साल से इस साल रबी की फसल ज्यादा खराब हो गयी है, तो उसको १५ हजार टन ही गल्ला मिलता है। कहां केरल को तो ७५ हजार टन चावल हासिल हो और हमारे यहां की यह हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना यह है कि आज सारे स्टेट्स में अगर हमारी इतनी उपज नहीं है तो ईमानदारी की बात यह है कि हमारे अपने ही घर में जो है उसकी ही बात सोचें। मैं ईस्टर्न यू० पी० और पहाड़ी इलाके की बात नहीं कहता क्योंकि आज तो हमारी ग्रेनरी में ही आग लगी हुई है। आज अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, और मुरादाबाद के भाई भी भूखों मर रहे हैं। पूर्वी जिलों को तो आदत थी भूखों मरने की, लेकिन पश्चिमी जिले जिनके यहां कभी भुखमरी नहीं होती थी, जो कभी भुखमरी का इलाका नहीं था, वह इलाका भी आज इस सरकार की अदूरदर्शिता, जिद और तमाम गलत चीजों के कारण तबाह हो गया है।

और बातों को तो मैं छोड़ ही देता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां सरकार दिन पर दिन हमारे स्तर को बढ़ाती जा रही है वहां टेस्ट वर्क की मजदूरी आठ आने के बजाय चार आने की करती जा रही है। सन् १९५२ में टेस्ट वर्क की मजदूरी आठ आने से शुरू होती थी लेकिन जैसे-जैसे सरकार सारे देश की हैसियत को बढ़ाती जाती है वैसे-वैसे ही साधारण लोगों की हैसियत को भी बढ़ाती जाती है।

श्री चरणसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने यही न कहा कि सन् १९५२ में आठ आने मजदूरी थी?

श्री गेंदासिंह—मैंने कहा कि उस वक्त आठ आने से मजदूरी शुरू होती थी और आज चार आने से मजदूरी शुरू होती है। एक बार पार्लियामेंट में भी इस सम्बन्ध में क्वेश्चन किया गया था, जिसका जवाब दिया गया था कि हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में चार आने मजदूरी का रेट नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इसका जवाब दें कि आखिर ऐसी बात यहां क्यों है? उनके ही बगल में जो बिहार है वहां तो १२ आने मजदूरी है और बंगाल में १ रुपये से लेकर २० आने तक मजदूरी है, यानी सब जगह १२ आने से

ज्यादा मजदूरी है लेकिन हमारे यहां चार आने ही मजदूरी रहेगी क्योंकि हमारी हैसियत बढ़ती जाती है ! बिहार में तो १५,००० दूकानें रहेंगी लेकिन हमारे यहां उनकी तादाद मुश्किल से ३,००० ही है। आखिर माननीय मंत्री जी इसका जवाब तो दें कि यह क्या बात है।

माननीय हुकुमसिंह की तरफ से तीन मर्तबा मुक्का ठोक-ठोक कर ऐसी बात कही गयी जिससे बहुत ठंढे आदमी को भी गुस्सा आ जाय। मैं बिना गुस्से के यह कहना चाहता हूं कि माननीय हुकुमसिंह या उनकी सरकार से आरजू करके, उसके पैर छू कर और जितने भी मौके कहने के लिये हो सकते हैं, उन मौकों पर सारी बातें कही गयीं और जब उसका कोई नतीजा नहीं निकला तब उसके बाद यह फैसला पी० एस० पी० या दूसरी पार्टियों ने किया। मैं समझता हूं कि उनके पास डंडा है, बन्दूक है, तोप है, पल्टन है, पुलिस है, यह सारी ताकत है। लेकिन क्या वह यह समझते हैं कि उनका साथ छूट जाने के बाद हमारे में एक वह स्पिरिट नहीं रह गयी है कि हम बन्दूक और तोप और उनकी पल्टन का मुकाबिला कर सकें ? हम मुकाबिला करेंगे और मैं कहता हूं सरकार से एक मर्तबे नहीं दस मर्तबे यही कहता हूं कि सरकार को शऊर के साथ और हिम्मत के हाथ हमारे ऊपर डंडा चलाने के लिये और गोली चलाने के लिये तैयार होना चाहिये। हम आज उत्तर प्रदेश की ६,३२,००,००० जनता की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि आज अगर हिम्मत हो तो इस्तीफा दो और चलो मैदान में। सिर्फ इस अन्न वाली समस्या पर यह सरकार फिर लौटकर के नहीं आ सकती। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, बिना किसी गरमी के और बिना किसी गुस्से के कि आखिर हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है। अगर आप का कुछ कर्त्तव्य है तो हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है। अगर बैठ कर विचार विनिमय के साथ शऊर के साथ कोई बात कहना चाहते हैं तो उसमें मैं समझता हूं कि हमेशा रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अगर आप धमकी से यह चाहेंगे कि हमको कर्त्तव्य से विमुख कर दें तो आप की धमकी से हम अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हम आपके सारे जुल्म को बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से जब से कि मन्त्रि-परिषद् पर अविश्वास का यह प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है कदाचित् इस सदन के कई माननीय सदस्यों के सामने यह प्रश्न आया हो कि आखीर कौन सी नयी बात इस सदन के सामने कही जा रही है जिसके लिये कि अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा गया है। मैं खयाल करता था और मैं यह थोड़े से विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह कोशिश की कि उन चीजों को मैं समझने की चेष्टा करूं जो कि विरोधी दल के नेता साहब आज इस सदन के सामने रखना चाहते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी की बात, उनकी चेतावनी और कुछ थोड़ी सी चीजों, जिसके लिये निमन्त्रण दिया है, को भी समझने की मैंने चेष्टा की।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस प्रदेश में ही नहीं अपितु सारे देश में निस्सन्देह हम कुछ नयी परम्परायें स्थापित कर रहे हैं। हमारा जनतंत्र नया है, प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली को हमने स्वीकार किया और उसके लिए इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने त्याग, तपस्या, और बलिदान किया है। आज जब कर्तव्यों का स्मरण माननीय गेंदा सिंह जी इस सदन को दिलाना चाहते हैं तो क्या मैं यह नम्रतापूर्वक कहने का अधिकारी नहीं हूं कि कर्तव्यों का स्मरण कदाचित् मेरे सामने जो सदस्य बैठे हुए हैं उनको भी करना पड़ेगा ? मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में जिसको कि हम बहुत कुछ इस सदन में काम में लाते हैं उन स्थितियों का वर्णन किया गया जिसमें कि अविश्वास के प्रस्ताव लाये जाते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार निस्सन्देह किसी भी विरोधी दल को हमेशा अवसर प्रदान करती है कि उस पर वह बहस करे। लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव केवल इस काम के लिए लाया जाता है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय उसके सम्बन्ध में निस्सन्देह यह भावना हो कि अविश्वास का प्रस्ताव आने के बाद में हम जाकर के आलटरनेटिव सरकार, विकल्प की सरकार, बनायेंगे और इस प्रदेश का शासन करेंगे। जिस दल में यह शक्ति हो और जो दल इस भावना

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

अविश्वास का प्रस्ताव लाये उसके लिये मुबारक हो और यही नहीं श्रीमन्, बल्कि हमारी ओर से उसका स्वागत भी हो। लेकिन मैं पूछता हूं कि कौन-सी विकल्प की सरकार, कौन सी आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की शक्ति माननीय त्रिलोकी सिंह जी या उनके दल और उनके दल न कहें श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि विरोधी दल के किस दल के नेता में या किस दल में आज यह शक्ति है कि एक विकल्प की सरकार, एक आलटरनेटिव गवर्नमेंट, बनाने के लिए वह यहां तैयार है? और यदि नहीं है तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शायद उनको अधिकार है प्रजातन्त्र के अन्तर्गत कि वह, मैं उस शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं करना चाहता हूं, प्रजातन्त्र के साथ में खिलवाड़ खेलें। उनको हम भी देखेंगे, अखबार में भी देखेंगे और प्रदेश के बाहर की जनता भी देखेगी। किन्तु वह आज विश्वास कर सकते हैं कि कृपा करके यह याद रखें कि यदि कर्तव्यों का वह स्मरण दिलाना चाहते हैं तो प्रजातन्त्र के साथ खिलवाड़ बन्द करें तो प्रजातन्त्र, प्रदेश और देश तथा शासन की महान् परम्पराओं के प्रति न्याय करेंगे जिनको प्राप्त करने के लिये प्रदेश में, देश में, हममें से बहुत से साथी अपने जीवन का काफी भाग दिये हैं।

श्रीमन्, खाद्य समस्या के बारे में कहा गया। मेरे मित्र माननीय राजनारायण जी ने जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनका जिक्र किया। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने शायद यह कहने की चेष्टा की कि अगर कीमतें बढ़ें तो उसका दायित्व हम पर है। यही नहीं, यह भी कहने की चेष्टा की और मुबारक हो उनको उनकी शब्दावली, उन्होंने अपनी शब्दावली में हमको किन्हीं बातों का दोषी ठहराने की चेष्टा की। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से वह उस दल से सम्बन्धित नहीं हैं, लेकिन उनके साथी माननीय त्रिलोकीसिंह जी उस दल से सम्बन्धित हैं, जिस दल के महान् नेता श्री अशोक मेहता साहब को इस देश में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में जांच करने का कार्यभार सौंपा गया था। अब से बहुत पहले उन्होंने अपनी याचिका में उन चीजों का जिक्र किया था जिनके द्वारा देश में खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी और हुई। उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि कहा कि खाद्यान्नों की बढ़ोत्तरी का कारण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, यदि कोई आज यह समझे कि किसी देश में या प्रदेश में वहीं की स्थितियों के कारण खाद्यान्नों की कीमतें घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं तो गलत है। १९५१ के बाद सारे एशिया के देशों में खाद्यान्नों में ७ और ९ प्रतिशत से ज्यादा कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। अमरीका में स्वयं ४, ५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। भारतवर्ष में १९५५ के मुकाबले में १९५७ में प्लस ३२ का अंक बढ़ोत्तरी का द्योतक समझा गया। यही नहीं हमारे प्रदेश में उसके मुकाबले में बढ़ोत्तरी का अंक कम था। यही नहीं १९५३-५४ में एक विचित्र बात पैदा हुई और खाद्यान्नों की कीमतें गिरने लगीं। जब गिरने लगीं तो यह तो हुआ ही, यहां पर खाद्यान्न खरीदा नहीं गया बल्कि एक दशक के पश्चात् देश में से खाद्यान्न के निर्यात से रोक उठायी गयी और १९५५ का समय आया तो उसके बाद मेहता साहब ने यह कहा कि बाजरा, ज्वार और मक्का इन तीनों की पैदावार में मौसम की खराबी से एकदम कमी आयी। शायद यह सदन इसको मुनासिब समझे कि मैं उन अंकों को इस सदन के सामने रख सकूं। ज्वार की पैदावार के अंक में १३३·४ के स्थान पर ९८·५ का अंक आया। मक्का की पैदावार का अंक १२७·९ के स्थान पर १११·१ आया और बाजरे की पैदावार का अंक १२७ के स्थान पर १००·१ आया और इसी प्रकार से और भी दूसरे अन्नों की पैदावार में कुछ कमी १९५५ में आयी। इसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जब कमी आयी तो कुछ लोगों ने अपने यहां अन्नों को इकट्ठा करना शुरू किया। स्पेकुलेशन्स चले और व्यापारियों ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। यदि हमारे मित्र कहते हैं कि हम बेखबर थे, तो उनको मालूम नहीं है कि हमने १९५४-५५ से सतर्कता बरतना शुरू कर दी। जैसे ही हमको पता लगा, जैसे ही हमको देश में इन ट्रेन्ड्स का और परिस्थितियों का ज्ञान हुआ, १९५४-५५ से हमारे यहां जो कठिनाइयां पैदा हुईं, हमारे यहां मौसम ने साथ नहीं दिया, प्रकृति हम से खिलवाड़ कर रही थी, हमारे पूर्वी इलाकों में कैसे इस प्रकार की बातें हुईं जो कि लग तार चार-चार वर्ष तक कायम रहीं। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि हो गयी तो कभी सूखा पड़ा, कभी पाला पड़ा और किसानों को कई

तरह की कठिनाइयां हुईं, तो यहां पर सूबे में कई वर्षों से चलती चली आ रही थी। हमारे यहां पहाड़ी इलाक. में स्वाभाविक रूप से अन्न की बहुत बड़ी कठिनाई है और जो कि वहां पर सदा से चला आया है, तो उसके सम्बन्ध में हम सतर्क हुए और १९५५-५६ से ही हमने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। सन् १९५५-५६ में हमने १,८५,४४,००० रुपये का गल्ला प्राप्त किया और उसी जमाने में हमने फ्लड रिलीफ शाप्स भी स्थापित क. और उनके द्वारा गल्ले का वितरण किया गया। इसके अलावा इस पर १६,७३,००० रु. ये का खर्चा सरकार को अपनी ओर से करना पड़ा। फिर १९५६-५७ में हम और भी सतर्क हुए और ९०९,३०,००० रुपये का गल्ला केन्द्र से प्राप्त किया गया और उसका वितरण किया गया और उसमें भी १६,०८,३०० रुपये के लगभग हमारा व्यय हुआ।

सन् १९५७-५८ की फूड एण्ड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट इस सदन में रखी गयी और उसके इन्ट्रोडक्शन में हमारी ओर से यही कहा गया था कि हमारी ओर से कुछ भी कार्य किये गये हैं उनके द्वारा कीमतों में कुछ कमी हुई है, हम ने कहा कि प्राइसेज ईजी हैं और यही नहीं श्रीमन् बल्कि हमको और भी बहुत कुछ करना पड़ा। हमने इस सम्बन्ध में कहा था कि हमने पहले से ही ७५ हजार रुपये का कोर्स अनाज भर लिया क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल था कि अनाज की कीमतों में कुछ बढ़ती होगी। आपको शायद अचम्भा होगा और हमारे उन माननीय सदस्यों को भी आश्चर्य होगा, जिनकी ओर से कि यह प्रस्ताव आया है कि १९५६ में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में हमारी सरकार की स्थिति स्पष्ट थी और १९५८ के जनवरी के महीने से गेहूं की कीमत कम हुई। जनवरी के महीने में गेहूं की कीमत १५ रुपये ५५ नये पैसे फी मन थी लेकिन मार्च के महीने में १५ रुपये ३९ नये पैसे कीमत हो गयी। इसी तरह से चने में १०·८६ के स्थान पर १०·६९, बाजरे में ९·३३ के स्थान पर ९·२३ की कमी हुई लेकिन मार्च के महीने में एक घटना घटी और अप्रैल के महीन में पहले पखवाड़े में हमारी मंडियों में ७८ प्रतिशत अधिक अनाज आया और यह सभी सदस्यों को मालूम है कि सन् १९५८ के अप्रैल के महीने के पहले पखवाड़े में सन् १९५७ के अप्रैल के पहले पखवाड़े की निस्बत अधिक अन्न आया और फिर दूसरे पखवाड़े में जितना पहले गल्ला आया था, उसमें कमी हो गयी। उसके बहुत से कारण हैं, मैं उनका जरा-सा आपकी आज्ञा से जिक्र कर देना चाहता हूं।

श्रीमन् मैं बहुत सी बातों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि स्थिति के ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिये। माननीय गेंदासिंह जी और दूसरे बहुत से लोग बराबर केरल का जिक्र किया करते हैं, कई बार उन्होंने...

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। प्रातःकाल ही इस सदन में यह निश्चय हुआ था कि सदस्यों को केवल दस मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि वे डिप्टी मिनिस्टर हैं। मंत्रि परिषद् में उनका भी समावेश है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह व्यवस्था तो केवल मिनिस्टरों के लिये ही थी कि उनको २० मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य भारतीय संविधान को पढ़ लें तो बात स्पष्ट हो जायगी। माननीय उप-मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं यह जिक्र कर रहा था कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में मंडियों में गेहूं का आयात कम हुआ तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने क्या विकल्प था। हम क्या करते, हमारे पास केवल दो ही तरीके वितरण के थे। मैं माननीय गेंदासिंह जी की सूचना के लिये यह बता देना चाहता हूं कि शायद उनको ज्ञात होगा कि केन्द्र से केरल को केवल ३६ हजार टन अनाज तीन महीने में मिलता है। इस उत्तर प्रदेश को पिछले पांच महीनों में केन्द्र से औसतन करीब-करीब ६० हजार टन गेहूं प्रति माह मिला है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

यहां पर दूकानों की संख्या के बारे में मेरे मित्र ने कहा। मेरा खयाल है कि हमारे पास दूकानें ज्यादा हैं और यदि हम चाहें, तो इनकी संख्या और बढ़ा सकते हैं। यदि हम चाहें, जो गेहूं हमें केन्द्र से मिल रहा है, उससे हम दूकानों की संख्या च गुनी कर सकते हैं। इस समय हमारी संख्या ३,८०० है और हम उससे भी ज्यादा संख्या बढ़ा सकते हैं। केरल का हवाला दिया जाता है, तो वहां पर वे लोग अनाज का प्रोक्योरमेंट भी करते हैं और उसका वितरण भी करते हैं, लेकिन हमारे यहां यह बात नहीं है। यदि हम भी यह समझते और यही उचित समझते तो टोटल प्रक्योरमेंट करते और इसके साथ ही टोटल राशनिंग भी करते। लेकिन यहां पर तो यह कहा जाता है कि दुकानें यहां कम हैं जबकि बिहार में, केरल में और वेस्ट बंगाल में इतनी ज्यादा हैं। मैं चाहता हूं कि हमें इस प्रकार की आंकड़ों की बातों में नहीं जाना चाहिये। हम दुकानों की संख्या बढ़ा सकते हैं और हमारे पास इसके लिये अनाज भी है, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ मिलेगा, ऐसी हमारी कल्पना नहीं है।

श्री गेंदासिंह—केरल को चावल कितना मिलता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने बतलाया कि तीन महीने में उनको ३६ हजार टन अनाज मिलता है, तो यदि चावल को मेरे मित्र अनाज न समझते हों, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आज की परिस्थिति में जो हमारे देश में विकल्प है, उसके होते हुए भी इस सरकार का यह इरादा नहीं है कि वह कंट्रोल के सिद्धान्त को फिर से यहां लागू करे। कंट्रोल की व्यवस्था यहां पर तभी लागू की जा सकती है जबकि वह आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाय, क्योंकि कंट्रोल लगाने से बाद में बहुत सी समस्यायें पैदा हो जाती हैं। कंट्रोल से हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है और एक बार कंट्रोल हो जाने के बाद उसके बिना ठीक तरह से कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिये कंट्रोल हमारा अन्तिम कदम है। जिस समय कि यह हमारे लिये अनिवार्य हो जायगा, हम उस समय कंट्रोल करेंगे।

मेरे मित्र ने हमें कर्तव्य का स्मरण दिलाया, तो मैं अपने कर्तव्य में शायद कुछ पीछे रह जाऊंगा, यदि मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कहूं। मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी प्रजातन्त्र का पालन पूर्णरूप से करना जानते हैं। मेरे मित्र श्री राजनारायणसिंह ने २३ सितम्बर, सन् १९५७ को सरकार के प्रति सब से पहले अविश्वास का प्रस्ताव किया था और उस समय आपने डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धान्तों का जिक्र किया था और बतलाया था कि डेमोक्रेसी क्या है। आज भी उनके क्या सिद्धान्त हैं ? लेकिन डेमोक्रेसी के सिद्धान्त रूप में यह बात है कि "दि पार्टी इन मैजारिटी, दि पार्टी रिप्रेजेन्टिंग दि मैजारिटी हैव ए राइट टु रूल"। किन्तु मैं अपने मित्रों से यहां पर यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यदि वे लोग हमको रिप्लेस करके रूल करने की चेष्टा करना चाहते हैं, तो हम भी यहां पर रूल करने की चेष्टा करेंगे और रूल जरूर करेंगे। यदि हमारे मार्ग में रोड़े अटकाने का प्रयत्न किया जायेगा, तो हम उस का भी मुकाबिला करेंगे। हमें इसके साथ ही बहुत सोच समझ कर इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिये कि किस ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और किसने नहीं किया है।

यदि आज प्रदेश में अन्न की वजह से इतनी परेशानी है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? यदि हाथरस में इस तरह से विरोधी पक्षों की तरफ से गेहूं आने में रुकावटें न पैदा की जाती, तो शायद अन्न की समस्या हल करने में इतनी परेशानी न बढ़ी होती। इस तरह से काम करके हमारे मित्रों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है या नहीं, यह सोचने की बात है। आपकी तरफ से "घेरा डालो" आन्दोलन चलाया गया और गेंदा सिंह जी की तरफ से दूसरा आन्दोलन चलाया गया। एक सज्जन का 'आधा लगान' करने का आन्दोलन चलेगा, एक साहब अनशन कर रहे हैं, कोई घेरा डालेंगे इस तरह के आन्दोलन मेरे मित्र चलायेंगे और उसके बाद कहा जायगा कि तुम बुरे हो और हम अच्छे हैं।

समय हुआ, अन्त में मैं केवल इतना कहूंगा कि कृपा करके मेरे मित्र इतिहास के पन्नों को काला करने की चेष्टा न करें। इतिहास ने कुछ उत्तरदायित्व उन्हें और कुछ उत्तरदायित्व हमें सौंपा है; हम जहां तक हम से हो सकेगा उस का पालन करेंगे लेकिन मेरे मित्र अगर इस देश में प्रजातन्त्र को फूलने-फलने देना चाहते हैं तो उसके रास्ते में रोड़ा न बनें और इस देश में सुव्यवस्थित ढंग से प्रजातन्त्र को चलाने के लिये सब प्रकार की सहायता दें।

श्री राजनारायण—मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि इसके पूर्व जो अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय सम्भवतः आपकी यह व्यवस्था थी कि इस परपज के लिये डिप्टी मिनिस्टर भी एक साधारण मेम्बर की हैसियत रखते हैं। यह मुझे मालूम है....

श्री उपाध्यक्ष—आप अभी उनको बोलने दें। जिस समय माननीय अध्यक्ष समय तय किया करें, उसी समय यह भेदभाव समय का आप तय कर लिया करें....

श्री राजनारायण—यह लिखा रखा है इस विषय में....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष से आप इसकी सफाई कर लें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमान् जी, हमें भी अवसर बोलने का दिया जाय, हम भी अपने विचार रखेंगे....

श्री उपाध्यक्ष—आप को तो माननीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है, आप को समय अवश्य मिलेगा।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं अकेला नहीं बल्कि इस समय इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये प्रदेश की ६ करोड़ जनता खड़ी हुई है। आपको मालूम होगा कि ६ करोड़ जनता इस का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई है। तमाम जिलों से, शहरों से, कस्बों से, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, सब तरफ से, इसको समर्थन प्राप्त है। इस समय किसान भी आपके विरुद्ध उठ रहा है, मजदूर भी उठ रहा है, विद्यार्थी भी इसका समर्थन कर रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कौंसिल भवन के सामने २५०–३०० आदमी आज भी जमा हैं।

प्रश्न यह है कि यह परिस्थिति किसने पैदा की? यह आपने पैदा की है, हमारा मतलब, 'आप' के माने सरकार से है। यह परिस्थिति जो पैदा हुई है उसकी जिम्मेदार यह सरकार है और उसने झूठे आंकड़े पेश करके इस प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है और हमारे माल मंत्री जी ने यह परिस्थिति इन आंकड़ों के द्वारा पैदा की है। आज के पांच साल पहले भी सवा ६ लाख एकड़ पर्ती जमीन जो थी अब वह ३१ लाख एकड़ परती हो गयी है। यह आप के ही कारण हुई है और इसी कारण से खाद्य समस्या गम्भीर होती चली जा रही है....

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह ३१ लाख का फिगर कहां से मालूम किया है?

श्री सजीवनलाल—अगर मंत्री जी को हमसे कुछ जानना हो तो वह कमरा नम्बर १०४ में आयें तो पूरे तौर से उन्हें फैक्ट्स एन्ड फीगर्स दिये जा सकते हैं। जब आपने यह परिस्थिति पैदा की और कोई व्यवस्था ठीक से नहीं की। आपने तमाम नलकूप बनवाये, नहरें बनवाईं, कुएं गहरे कराये, सब कुछ किया लेकिन फिर भी सिंचाई का रकबा घट गया और फिर भी आपने कान से सुन कर, आंख से देख कर नहीं सोचा कि गल्ले की समस्या इतनी गम्भीर होती चली जा रही है। एक मास पहले तक आप कहते थे कि हमारे यहां गल्ले की समस्या इतनी गम्भीर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार हमेशा कहती रही कि यह समस्या गम्भीर नहीं, उनके कान खोलने के लिए हर साल मेमोरेंडम के जरिये से, पत्रों के जरिये से और प्रश्नों के जरिये से कोशिश की गयी लेकिन उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची और फिर भी ढिनाई करते रहे तो

[श्री सजीवनलाल]

रास्ता कौन-सा चुना जाय ? जब रास्ता चुना गया तब खाद्य मंत्री भी भागे हुए दिल्ली गये, यहां के और मंत्री लोग भी सोचने लगे कि वास्तव में स्थिति हमारे सूबे की ऐसी है । जब इस तरह की स्थिति हमारे देश में है, हमारे प्रान्त के अन्दर है तो यह जिम्मेदारी किसकी है ? यह सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी सरकार की जिम्मेदारी है जिसने अपने कानों में परदे जमा रखे हों और जिसे पता नहीं है कि इस स्थिति का किस तरह से मुकाबला किया जाय । तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जिससे देश के अन्दर या हमारे प्रान्त के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा हो जो अशान्तिमय हो, लेकिन यह तो सरकार ऐसी है जो हर चीज से जो उसके सामने रखी जाय, इनकार करती है ।

दूसरे हमें यह कहना है उनसे कि जब यह स्थिति पैदा हो गयी तो ११ साल से यह बराबर दिन पर दिन संकट आते चले जा रहे हैं । ११ साल से बार-बार जब आवाज उठी तो आपने कहा कि विरोधी पार्टियां राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसे सवाल उठाती हैं । ११ साल से तो आप ही रा नीतिक फायदा उठाते रहे । ११ साल से अगर आप खाने की समस्या, कपड़े की समस्या, गरीबी दूर करने की समस्या हल करते तो हम फायदा क्यों उठाते, आप ही फायदा उठाते, लेकिन आपने कभी इस तरफ नहीं सोचा । हम मजबूर हैं, हम बाध्य किये जाते हैं तब हम लोग इन चीजों को उठाते हैं । कोई शौक नहीं है और न यह विचार है कि हम इस खाद्य समस्या को लेकर देश के अन्दर कोई राजनीतिक फायदा उठायें । आज जैसी परिस्थिति है, हम चाहते थे कि आप भी सब लोगों के साथ मिल करके इन सब चीजों को सोचते और देश के निर्माण का, विकास का और देश के अन्दर जो यह विषम परिस्थिति पैदा हुई है उसके हल करने का एक रास्ता चुनते, लेकिन आपको इससे हमेशा इनकार है ।

हमारे श्री गेंदा सिंह जी ने कहा है कि इनके खयाल, अभी पं० जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, उनसे भी नहीं मिल पा रहे हैं । उन्होंने कहा है कि जब देश की समस्या ऐसी जटिल है तो हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है । लेकिन आप नहीं चाहते हैं दूसरों का सहयोग । अगर नहीं चाहते हैं तो रास्ता कौन-सा होगा ? वह रास्ता या तो आप बतायें या मैं बताऊं जिससे आप कुछ सीखें और उस सीख के आधार पर यहां इस खाद्य समस्या को हल किया जा सकता है ।

दूसरे, इस प्रदेश में जो लाखों एकड़ जमीन पड़ती पड़ी है, चौधरी चरण सिंह जी, लाखों एकड़ जमीन पड़ती पड़ी है, उस जमीन को आप कृपया गरीब किसानों में जो मेहनत करने वाले हमारे देश के हैं और जो अन्न पैदा करने वाले हैं उनमें बांटें तो फिर देखिये कि दो साल के अन्दर हमारे प्रान्त की पैदावार बढ़ती है या नहीं । पैदावार बढ़ सकती है यदि आपने जो हजारों बीघों के फार्म किये हुए हैं जिनमें कुछ पैदा नहीं होता और वह पड़ती पड़े हुए हैं उनको अगर गरीब किसानों में वितरित करने की व्यवस्था की जाय । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस परिस्थिति से मुकाबला नहीं कर सकते । तो आप उनको देखिये चल कर और गरीब किसानों में बांटिये । टैक्स लगाने से, लगान बढ़ा देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है । तो हम आपके द्वारा उनसे अपील करेंगे कि जब यह चीज होगी तभी हमारे देश की पैदावार बढ़ेगी । हमारे किसान अच्छे-अच्छे बीज ऊसर खेती के अन्दर लगा सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं, तभी हमारे देश की यह समस्या हल की जा सकती है। इस तरह के अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि दो-दो और एक-एक हजार एकड़ के तमाम फार्म इस सूबे में हैं और उनमें इस समय बहुत मामूली खेती हो रही है । अगर उनके फार्मों पर किसी तरह से गरीबों को अधिकार दिया जाय तो हम समझते हैं कि पैदावार बढ़ेगी ।

आप चाहे जितने आन्दोलन करवाइये, चाहे यह कहिये कि जापानी ढंग से धान लगाया जाय, चाहे रबी का आन्दोलन करवाइये लेकिन यह समस्या ऐसे हल होने वाली नहीं है । आपके आकड़े झूठे आंकड़े हैं । पटवारी वहां से लिखता है कि १० बीघा, कानूनगो के पास जब वह जाती है तो वह दस के ऊपर शून्य बढ़ा कर १०० कर देता है और इस प्रकार

पता नहीं कितने झूठे आंकड़े सरकार के पास आते होंगे। तो उन आंकड़ों से अगर आप जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं मानता हूं कि आप बड़े आंकड़ेबाज हैं लेकिन उसकी आड़ में सबको भ्रम में डालने से यह समस्या हल नहीं होगी और न आंकड़ों के द्वारा झूठे तथ्य देने से ही समस्या हल होगी। इसीलिये सरकार के ऊपर अविश्वास है।

बार-बार सरकार कहती है, खाद्य मंत्री कहते हैं, मुख्य मंत्रीक हते हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो जखीरेबाजों का पता लगाने के लिये खुफिया पुलिस का इस्तेमाल किया जायगा। तो क्या आज भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, एलेक्शन के जमाने में काफी रुपया चन्दे के रूप में जखीरेबाजों से उनको मिला होगा। इस वक्त की लिस्ट उनके पास मौजूद होगी। उसी से पता लगा लिया जाय कि कौन जखीरेबाज है?

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि पांच मिनट मुझे ज्यादा दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आज यह व्यवस्था सख्ती से बरती जायगी। आप को १२ मिनट दे दूंगा।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हुई हूं। आप एक अबला जान के नहीं बल्कि सबला जान के मेरी बात को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे निश्चय है कि आप कहीं न कहीं पहुंच जायेंगे। जो प्रस्ताव इस वक्त हमारे सामने हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि मौजूदा सरकार अपने प्रबन्ध को ठीक से नहीं कर सकी और जो इस प्रस्ताव के पेश करने वाले हैं वे चैलेन्ज देते हैं कि आप जाइये, हम इसको ठीक तरह से सम्हाल लेंगे। अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार तो यदि केवल ८६ सदस्य खड़े हो जायं तो मिल जाता है, लेकिन यह इस्तीफा मांगने का अधिकार इनको कहां से मिल गया? हम तो २८६ बैठे हैं और यह सब मिल कर केवल १४१ होते हैं और हम से इस्तीफा देने के लिये कहते हैं। हम २८६ से पूछ तो लिये होते कि हम तैयार हैं या नहीं।

दूसरे प्रजातंत्र के अन्तर्गत यह कायदा है कि अगर हम अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते हैं तो जनप्रिय हों। इस में सत्ता लेने के दो ढंग हैं। एक तो जनता की सेवा से और दूसरा जो कि सत्ता में हैं उनकी टांग घसीटने से। अगर ये जनता के प्रिय होना चाहते हैं तो जरूरी है कि जनता की सेवा करिये और जनता इनका साथ देगी। तीन वर्ष एक नेशन के जीवन के अन्दर कोई चीज नहीं होती। तीन वर्ष के बाद फिर चुनाव जब आये तो जनता इनको सहयोग दे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे भाई उतने समय में ही टांग घसीट कर काम करना चाहते हैं। इससे ये जनता के जनप्रिय तो नहीं होंगे। हां, इनको कुछ हानि अवश्य हो जायगी। हमें गद्दी से उतारने का तरीका मैं बतलाती हूं कि जनता के बीच में, जनता के हित में सामने वाले भाई काम करें तो जनता जरूर इनको मानेगी। लेकिन सवाल यह है कि न तो इनको ऐसा करना है और न जनता को ही इनको सहयोग देना है और इसका मतलब क्या होगा कि वर्षों तक यह चीज हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन मैंने तरीका बतला दिया है।

अब मैं यह बतला दूं कि कच्ची खाद और फल इन दोनों के अन्दर एक से तत्व होते हैं। कच्ची खाद का ठीक प्रयोग किया जाय तो सुन्दर-सुन्दर फल तैयार हो सकते हैं जैसे अनार, सेब और सब्जियां। अगर कच्ची खाद को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू किया जाय तो नतीजा यही निकलेगा कि बदबू फैलेगी और बीमारी फैलेगी। अगर हमने इसको धरती में रख दिया तो प्रकृति की सहायता से धरती में से सुन्दर फल निकलेंगे इस समय जब देश के अन्दर अनाज का संकट था तो मौका था कि इसका इस्तेमाल किया जाता और गांवों में जाकर लोगों को बतलाते कि किस तरह से अनाज का प्रयोग कम हो सकता है। एक महीना हो गया है लेकिन कुछ नहीं किया गया है। हमारी तो डेढ़ छटांक से गुजर हो

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

जाती है। गांवों में देख लीजिये कि जो लोग सजग थे उन्होंने अपने यहां सावां बो लिया था। हमने यह गाइडेंस दी थी कि इतना जरूर बो लो कि तुम्हारी फेमिली कम से कम महीना भर काट ले। लोगों ने सहयोग दिया और उनके पास सावां हो गया और वह महीने भर गुजर कर लेंगे, इससे कुछ सहायता हो जायगी । इसी प्रकार से हमारे भाई भी उनके सामने कोई चीज रखें तो हो सकता है कि वह इनको सहयोग दें।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है। यह सबको दुखदायी होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह कहेगा कि यह अच्छी चीज है ? किसको यह पीड़ित नहीं करेगी ? लेकिन याद रखियेगा कि "Even dark cloud has a silver lining" इस समय महंगाई है, लखनऊ तथा इलाहाबाद आदि जगह की मंडियों में जाकर देख लीजिये कि क्या हो रहा है। आज व्यापारी बम्बई, सी० पी० तथा अन्य प्रदेशों से अनाज ला रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो व्यापारी अनाज क्यों लाते और उस दशा में कितनी कठिनाई हो जाती और प्रदेश का क्या रूप हो जाता ?

माननीय पालीवाल जी ने कहा था कि सरकार की नीयत ठीक, कोशिश ठीक, बहुत कुछ किया भी है लेकिन नीति ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने बतलाया नहीं कि सरकार की नीति में क्या कमी है ? सरकारी नीति को गलत बताया, लेकिन जब तक वह बतला न दें कि हमारी नीति में कहां गलती है तब तक क्या समझ में आये और कैसे सुधार हो। कुछ भाइयों ने कह दिया कि गल्ला सीज कर लिया जाय। अफसोस है और मैं आपको बतलाती हूं कि अगर वह गांवों में या मंडियों में गये होते तो इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल न किया होता। मैं अपनी कांस्टीटुयेन्सी के एक-एक गांव के एक-एक घर को जानती हूं। मुझ से आप पूछ लीजिये। मैं जानती हूं कि इस समय विरोधी दल की ओर से क्या प्रचार होता है। गांवों में यह प्रचार होता है कि शहरों की मंडियों में बड़े-बड़े व्यापारियों ने अनाज जमा कर लिया है और शहरों में यह प्रचार किया जाता है कि गांवों में बड़े-बड़े किसानों ने अनाज इकट्ठा कर रखा है। मैं किसी की अक्ल पर शक नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं गांवों के अन्दर जाती हूं तो पाती हूं कि बड़े से बड़ा किसान जेवर गिरवी रख कर अपने मजदूरों को, निराई करने वाले, जोतने वालों को अनाज मोल ले कर दे रहा है। किसी के कुत्ता काट गया है कि वह अन्दर रख कर मोल ले कर देते ?

बड़े-बड़े व्यापारियों का हाल सुन लीजिये। मैं इलाहाबाद मंडी की बात करती हूं। कहा जाता है कि गल्ला भरा पड़ा है उसको सीज क्यों नहीं करते ? मंडी में मैं क्या पाती हूं ? हमने व्यापारी को नादान समझ लिया है, कोई भी व्यापारी इतना नादान नहीं होता कि जब उसको मालूम हो कि गल्ला सिर पर आने वाला है, १५, २० दिन के अन्दर आ जायगा, मूंग और ज्वार आ गयी है, सांवा होना शुरू हो गया है, तब वह छिपा कर रखेगा ? वह तब छिपाता है जब वह समझता है कि अभी बहुत दिन तक अनाज नहीं आने वाला है। उसको बेचने में दुगुना पैसा मिलता है। इतनी देर में कई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो डबिल कास्ट आ जाती है। तो कहां छिपा कर रखेगा ? अनाज भी कहां से सीज किया जाय ? अगर सीज करने की परिस्थिति होती तो बात दूसरी थी। सीज करने की परिस्थिति नहीं है।

यह भी कहा जाता है कि बाहर के देशों से गल्ला मंगवा लिया जाय। आ रहा है अमेरिका से गल्ला। उस पर सवा अरब रुपया लग रहा है ! १२ सेर फी आदमी एक साल के लिए। एक महीने में एक सेर। एक दिन का आधी छटांक और रुपया सवा अरब। अगर हमने जनता को यह बात बता दी होती कि इस आधी छटांक अनाज की जगह पर सब्जी का प्रयोग कर ले और मैं ऐसी पत्तियां बता सकती हूं जिससे गुजर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर लिया करें, तो अरबों रुपया बच जाता। नारों से यह चीज नहीं चल सकती। यह काम से चलेगी।

सुझाव हमको क्या-क्या दिये जाते हैं ? एक तो जनता की सुविधा के लिए यह किया जायगा कि सरकारी गल्ले के जो गोदाम हैं उन पर रेड किया जायगा । रेडिंग से क्या होता है ? इतनी साधारण-सी बात नहीं है । इसके कांसीक्वेंसेज और रिजल्ट्स सब माननीय सदस्य समझते होंगे । इससे एन्टी-सोशल एलीमेंट्स एनकरेज होंगे। हमारी सरकार और हम ऐसा नहीं, कि इतनी जल्दी यह चीज होने देंगे । इस हमदर्दी से हम बाज आये कि जिसको जरूरत है उसके पास अनाज न पहुंचे । सरकार का ध्यान भी उनको दबाने में लग जाय और हमारे भाइयों का ध्यान उसे करने में लग जाय तो अनाज कौन पहुंचाये ?

दूसरी चीज अनशन की है । उनके त्याग के आगे, उनकी देशभक्ति के आगे मैं अपना सिर झुकाती हूं । लेकिन माननीय सदस्य याद रखें कि अगर एक त्यागी आदमी, गलत रास्ते को अख्तियार कर लेता है तो उससे ज्यादा नुकसान पहुंचता है बनिस्बत उस व्यक्ति से जो कि भीतर से ईमानदार न हो और दूसरे को धोखा देने वाला हो । तो इस ईमानदारों के गलत रास्ते पर चले जाना ही इन्सान को किस नतीजे पर पहुंचायेगा, यह खुद ही माननीय सदस्य अन्दाजा लगा लें । सबको यह मालूम है कि अपनी यह सरकार तपे हुये लीडरों के हाथ में है । साधन की कमी होते हुए भी सांस फुला कर नहीं बैठे हैं । हम सब इस बात को समझते हैं और हम सब इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे । हम इस बात को समझते हैं कि यह परिस्थिति ऐसी है जिसका मुकाबला किया जा सकता है और निश्चय ही कोई चीज हमारे रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं और अपने उधर के भाइयों से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह एक मास तक कोई शोर न करें । किसानों को अच्छे-अच्छे सुझाव दिया जायं और उनके पास जाकर उनको परिस्थितियों का सामना करने के लिये समझाया जाय । वहां पर जो अमीर हैं उनसे भी प्रार्थना की जाय । इस तरह से हम सब मिलकर यदि जनता की सेवा करेंगे तो यह संकट दूर हो सकता है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिये ।

***श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी-दल की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज प्रदेश में खाद्य स्थिति गम्भीर होती जा रही है और इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि यह रूप दिन ब दिन विकट होता जाता है ।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अगर कुछ दिनों तक इस चीज को बढ़ने दिया गया और हमने इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं किया तो हमारे हाथ से देश की व्यवस्था निकल जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी विचित्र बात कही कि आज सदन में अलग-अलग बैठने वाले विरोधीदल के लोग आपस में गठबन्धन कर बैठे हैं । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जरा नजर डालकर दिल्ली की तरफ देखें कि जहां पर कार्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस ने विरोधी पार्टी से किस तरह का गठबन्धन करके वहां पर किया है ? अगर आप और चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाऊं कि केराला में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाया । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आज प्रदेश के अन्दर हमारे यहां देहातों में जबकि गेहूं १६ रुपया मन बिकता था, अब २६, २७ और २८ रुपये मन बिक रहा है । क्या बात है जिससे ऐसी परिस्थिति आ गयी है ? अगर अन्न के भाव किसी तरह से घटते नजर नहीं आते हैं और कोई उपाय इस तरह से नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल]

हम यह देखते हैं कि लगभग ८ महीने से विरोधीदल की ओर से बराबर यह बात कही जाती रही है कि प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न का संकट बढ़ रहा है और माननीय मंत्री जी बराबर इस बात का आश्वासन देते रहे हैं कि हम किसी को प्रदेश में मरने नहीं देंगे और हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मौजूद है मगर इसके साथ ही इस प्रकार की सूचना प्रदेश के कोने-कोने से बराबर आती रही है कि तमाम जगहों पर भूख से लोग मरते रहे हैं। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे यहां प्रदेश में स्थिति खराब होती चली जा रही है।

सोलह महीने पहले जब हम लोग यहां आये थे तब से अब तक इस बीच में गल्ले के दाम बहुत बढ़ गये हैं। उस समय १७, १८ रुपये के भाव गेहूं बिक रहा था किन्तु अब वह २६-२७ रुपये के भाव पर बिक रहा है। कोई कारण समझ में नहीं आता कि यदि गल्ले की पैदावार बढ़ रही है तो उसका दाम भी बढ़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। उस ओर से कहा जाता है कि तमाम विरोधी पार्टी के लोग इसमें बढ़ावा दे रहे हैं और इस वजह से यहां पर भाव बढ़ रहे हैं। अभी थोड़े दिन हुये खाद्य मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि कुछ लोगों के यहां हम तलाशी लेने वाले हैं और अन्न का जो होर्डिंग करते हैं, उसको हम बाहर निकालेंगे। इस सम्बन्ध में विरोधी दल की ओर से इस बात का स्वागत किया गया था। मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमें इससे असंतोष रहा और हम आज देखते हैं कि बाजार में आज १ सेर ६ छटांक का गेहूं तो जितना चाहें मिल सकता है, लेकिन सस्ते भाव पर वह नहीं मिल पाता। लखनऊ की मंडियों में पर्याप्त मात्रा में हम को गेहूं मिल सकता है, लेकिन उचित भाव न होने के कारण जनता भूखों मरती है। उसकी क्रय-शक्ति कम हो गयी है और वह उस अनाज को खरीदने में असमर्थ है। तो मेरी यह प्रार्थना है कि इस समस्या को सब लोग विशेष रूप से देखें। यह कोई दलगत समस्या नहीं है। यह हमारे देश और प्रान्त की एक मुख्य समस्या है जिसमें हमारा प्रान्त विकट रूप से फंस गया है। और अगर यही हाल रहा तो संभव है कि आगे के आने वाले दिनों में और कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाय।

तमाम पार्टियों की ओर से तमाम बातें कही जाती है, लेकिन हम लूट-पाट की बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। उनको बढ़ावा देने का मतलब यह होगा कि देश में गड़बड़ फैल जायगी और उससे संकट का हल न निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि हम सब मिलकर, बैठकर इस समस्या पर विचार करें क्योंकि हम सब मानते और जानते हैं कि खाद्य समस्या विकट है और वह और विकट रूप धारण कर रही है। तो इसलिये हम सब बैठें और देखें कि किस तरह से इसका हल निकल सकता है।

आज उस ओर से गौरव के साथ कहा जाता है कि हम बहुमत में हैं, आप अल्पमत में हैं और इसलिये आप क्या कर सकते हैं? इस अविश्वास के प्रस्ताव से क्या लाभ होने वाला है? कम से कम जनता तो जान सकती है कि हम क्या कहते हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारी सरकार, जो कुंभकरणी निद्रा में सो रही है, उसको जगाने के लिये हम यह प्रस्ताव लाये हैं। विरोधी पक्ष से भूख हड़ताल और दूसरे प्रदर्शन करने की बात भी इसलिये है कि सरकार जागे और इस ओर ध्यान दे ताकि देश की स्थिति ठीक हो। इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि यह बातें ठीक नहीं हैं।

अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हम इस गुन्डागर्दी को बरदाश्त नहीं करेंगे। सोचने की बात यह है कि गुन्डागर्दी किस ओर से होती है? मैं रुदौली नगर की एक बात बतलाऊं। वहां नोटीफाइड एरिया है और इस समय जबकि किसी के पास अन्न नहीं है, केवल लोगों को तंग करने के लिये पार्टीबाजी के आधार पर बीसियों टैक्स लगा दिये गये हैं और सरकार की ओर से अपनी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये जो-जो तरीके अपनाये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां रुदौली में एक कांग्रेसी मंडल के प्रमुख व्यक्ति के यहां पांच वैगन कोयला पकड़ा गया है जिस मामले को कि वहां के बड़े-बड़े लोग दबा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लखनऊ में भी जब दूकानें खुलने की मांग आती है, तो अभी

में होटल में बैठा हुआ सुन रहा था, एक व्यक्ति कह रहा था कि ५०० रुपया हो तो हम को दूकान मिल जायगी। तो इस तरह का भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है। इसको समाप्त करने के लिये सरकार उचित कदम उठाये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री गंगाप्रसादसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टीकाराम पुजारी—अध्यक्ष महोदय, सब नेताओं का समय आ गया, श्रीमन्, हमारा समय नहीं आया। सब बोले हैं ३५ मिनट, ४० मिनट, लेकिन हमको समय नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—आपको भी समय मिलेगा। आप अभी बैठिये।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, माननीय त्रिलोकी सिंह जी द्वारा उपस्थित प्रस्ताव, जिसको पेश करने में उनको गौरव की अनुभूति भी हुई, दुःख है कि मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस प्रस्ताव का मेरुदंड, जहां तक मैं समझता हूं, अन्न का अभाव है। अन्न के अभाव के सम्बन्ध में बोलते हुए श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा कि इस समस्या के कारण, इसकी वजह से स्वयं उनको रूहानी, जिस्मानी और दिमागी तकलीफ है।

मैं उनकी तकलीफ के अहसास से अपने को वाबस्ता करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बावजूद उन सब अहसासों और कोशिश करने के बाद भी हमारी खाद्य स्थिति सुधर नहीं पायी। हमारी तकलीफ उन किसानों की तकलीफ के मुताबिक है जो सुबह से शाम तक चिलचिलाती हुई धूप में गन्ने की फसल को पैदा करता है, उसमें पानी लगाता है और सब कुछ करने के बाद भी वह देखता है कि उसकी वह फसल बरबाद हो जाती है। मैं त्रिलोकी सिंह जी से बाअदब अर्ज करूंगा कि उस किसान के दिल में क्या टीस होगी, उसको एहसास करें। उसके प्रति आपके दिल में दर्द है, मैं इसकी इज्जत करता हूं लेकिन जरा यह तो खयाल कीजिये कि क्या जब से हमारे हाथ में शासन सूत्र आया है हमने जो कुछ सही समझा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? हम उस तरफ आगे बढ़े हैं और हमने इस प्रदेश की तरक्की के लिये यह समझा है कि हमें खाने के मसले को हल करना पड़ेगा। जो भी कुछ हमारे सामने साधन थे, अपनी अकल के मुताबिक हम उनको अमल में लाये। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि "मैन प्रपोजेज एन्ड गाड डिस्पोजेज"। आदमी कुछ सोचता है और होता है कुछ और। हमने कोशिश की, बारहा कोशिश की, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के सामने हमारी एक न चल सकी। हम सात सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारा प्रदेश कभी ओलों का शिकार होता है तो कभी अनावृष्टि का। बाढ़ के मारे हम विशेष चिंतित हैं। फिर भी हमने अपनी तमाम कुव्वत को लगाया कि गल्ले के मामले में किसी प्रकार से हमारा प्रदेश आत्म-निर्भर हो जाय लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं हो सके। आज हमारे पास गल्ला उतना नहीं है जितना होना चाहिये। मैं त्रिलोकी सिंह जी से बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस चीज को तो मानती ही है कि हमारे यहां गल्ले की कमी है, पर हल क्या है? आप कहते हैं कि सारे प्रदेश में भूख का तांडव-नृत्य हो रहा है। यह सही हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तांडव-नृत्य को समाप्त करने के लिये कौन-सा तरीका आपके पास है? क्या यह भुखमरी का राक्षस, जो आपके कथनानुसार नग्न रूप में हमारे सामने है उसको और नचाने से समस्या हल हो सकती है?

हमारे दिल में टीस है। हम उद्योग कर रहे हैं लेकिन उद्योग करते हुए भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या विरोधीदल का यही तरीका है, जिस तरीके का सहारा लेकर, उत्तर प्रदेश की भूमि पर वे चल रहे हैं? मैं पूछता हूं कि क्या हमारे जीवनकाल में और आपके जीवन काल में ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां उत्पन्न न होती रही हैं? १९४४ में बंगाल में फेमिन हुआ, क्या उससे आप बच सके? आपकी पार्टी तो उस जमाने में सींकचे में बंद थी, लेकिन क्या पीपुल्स वार का नारा लगाने वालों ने उस समय हिम्मत की कि वे सत्याग्रह करते? उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया। क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई हंगर स्ट्राइक नहीं किया, कोई और प्रकार का आन्दोलन नहीं चलाया और न कोई आंदोलन उस समय किया ही जा सकता

[श्री गंगाप्रसादसिंह]

था ? उस समय हमारे संविधान के मातहत शासन नहीं था। अगर आप करते भी तो नतीजा कुछ और ही होता ।

जहां-जहां और जिस-जिस देश में जब भी प्राकृतिक आपदायें आयी हैं तथा जहां कहीं एक देश ने दूसरे देश पर हमला किया तो विरोधी पक्ष ने ट्रेजरी बेंच के साथ उतनी ही हिम्मत के साथ कदम-ब-कदम, सीना से सीना मिला कर देश की रक्षा करने में और देश की समस्या हल करने में सहायता की। क्या यह सही नहीं है कि जब चर्चिल की फौज और रूसी फौज दोनों मिलकर हिटलर के हमले का जवाब रूसी मैदान में दे रही थीं तो इंगलैन्ड की खाद्य स्थिति बहुत खराब हो गयी थी ? जहां तक अंडे का ताल्लुक है, एक-एक अंडा एक-एक और डेढ़-डेढ़ रुपये पर बिकता था और बिस्कुट तथा पाव रोटी की कीमत बहुत बढ़ गयी थी।' उस जमाने में मुखालिफ और सरकारी पक्ष ने जिस हिम्मत से काम किया वह सचमुच वहां के इतिहास का अमर पन्ना है। उनके और चाहे जो कुछ काम हो लेकिन हमारा खयाल है और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनके अच्छे काम हैं उनसे हमको सबक लेनी चाहिये। आप देख रहे हैं कि आपके नजदीक ही पड़ोस में पाकिस्तान मुल्क है, वहां की खाद्य स्थिति कैसी है ? लेकिन मैंने यह नही देखा है कि इस तरह की बातें विरोधियों द्वारा वहां होती हैं। मैं आपसे बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि आप जितनी तकलीफ का एहसास करते हैं उसको मैं भी अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन आप यह न समझें कि जितनी तकलीफ आपको है उससे कम तकलीफ हमको है। यह सारी स्थिति खाद्य की कमी की वजह से है लेकिन हम सिर्फ भाषण करें और प्रचार करें तो इससे यह समस्या नहीं हल होने वाली है।

आज मैंने एक जगह अखबार में पढ़ा कि श्रद्धेय मुकुटबिहारी लाल जी ने कांग्रेस के लिये यह कहा है कि केवल भाषणों से और प्रचार से खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है। मैं उनकी उस राय से बिलकुल मुत्तफिक हूं, लेकिन साथ ही साथ में आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये कौन-सा ठोस कदम आप के पास है। आप कोई सुझाव दें। इस मामले में हम आपसे एक इंच भी पीछे रहने वाले नहीं हैं और न रहेंगे। लेकिन सिर्फ प्रचार और भाषणों से इस प्रदेश की खाद्य की कमी की जो भयावह स्थिति है उसको राजनीतिक मोहरा बनाने से न इस देश का फायदा होगा और न इस प्रदेश का। मैं आपसे बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि जब से पोलिटिकल साइंस पैदा हुई, जब से राजनीतिक चेतना हुई तब से इस भू-तल पर हजारों राजनीतिक पार्टियां आयीं और चली गयीं और विशेषकाल से बहुत सी पार्टियां इस देश में और हमारे प्रदेश में हैं और उनमें कुछ चली भी जा सकती हैं। तो पार्टियों का आना-जाना एक छोटी-सी बात है पर राष्ट्रीय इतिहास के जीवन में जो तहजीब और तमद्दुन, जो संस्कृत और सभ्यता सदियों से इस देश में आ रही है वह सुव्यवस्था में है। हमको समाज में उच्छृंखलता की स्थापना न करके उस तहजीब और तमद्दुन को कायम रखना है। इस अमूल्य सभ्यता को जिस पर कि हमारे भारत को ही नहीं बल्कि सारे देशों को नाज है, उसको खराब करने की कोशिश न करें।

आखिर में एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि यह खाद्य समस्या है जिसकी बिना पर तुम लौटकर के नहीं आओगे। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि हम लौटकर के न आयें लेकिन हम अपने उसूलों को किसी मूल्य पर छोड़ने वाले नहीं हैं। हम न आयें, न सही, हमको उसका अफसोस नहीं होगा। अगर हमारे हिन्दुस्तान की तहजीब और तमद्दुन बरकरार रहे, जिस पर कि हमारे हिन्दुस्तान की रीढ़ अवलंबित है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। यह तो सियासत है। आप आज वहां हैं, कल यहां आ सकते हैं, परसों कोई दूसरा आ सकता है लेकिन मेहरबानी करके समाज में उन तत्वों का विकास आप न करें जिनसे हमारा समाज उच्छृंखलित एवं विघटित हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी के इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज तक जब कभी भी पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या का प्रश्न सदन के अन्दर और सदन के बाहर देखने सुनने को मिलता था तो मुझे आश्चर्य सा होता था। जब यह सुनता था कि पूर्वी जिलों में देवरिया, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर आदि जिलों के गांवों में लोग आम की गुठली इत्यादि चीजें खा रहे हैं, तो वास्तव में मुझे आश्चर्य होता था। परन्तु अपने इन थोड़े दिनों की छुट्टियों में इन क्षेत्रों में जाकर मैंने स्वयं देखा, खासकर सीतापुर जिले में और अपने क्षेत्र में लोगों को खजूर के दरख्त को काट कर के और उसके अन्दर का गूदा खाते हुए मैंने स्वयं देखा है और वहां के कांग्रेस के प्रमुख लोगों को कहते हुए सुना है और श्रीमन्, यही नहीं, बल्कि वहां के प्रमुख कांग्रेस के जो गांव के नेता हैं उनसे पत्र के रूप में मैंने लिखित भी लिया है.....

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)---गांव का नाम जरा बता दीजिए।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---तेरवा, मिश्रिख में महेशपुर गोंदलामऊ, ये वह गांव हैं कि जिनमें खजूर के दरख्त साफ हो गये हैं। हमारे माननीय सदस्य जो उधर से हमारे जिले के सदस्य हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खाद्य समस्या ऐसी होते हुए भी जहां हम सहयोग करना चाहते हैं कुछ माननीय सदस्य उन क्षेत्रों में, जहां से विरोधी दल के लोग जीत कर आये हैं, प्रचार करने जाते हैं बताओ वोट तुमने दिया था फलां पार्टी को, वह क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं वह लोग, क्या उनसे तुमको लाभ हुआ है? खजाने की कुंजी अपने पास लिये बैठे हो, गल्ले के ढेरों पर अपना कब्जा किये बैठे हो, और बदनाम कर रहे हो विरोधी दलों के उन आदमियों को जो उन क्षेत्रों से अक्सरियत से जीतकर आये हैं।

श्रीमन्, अभी हमारे माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि खाद्य की समस्या के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आया है। बहुत अहम समस्या है आप जानते हैं। छोड़ दीजिये खाद्य समस्या को। आप पुलिस के अत्याचार ले लीजिये। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। प्रश्न भी किया मगर श्रीमन्, आपकी अनुमति नहीं मिली। रोजा अफ्तारी करने के बाद इमदाज नाम का मुसलमान पकड़ा जाता है पुलिस के हाथों और उसको मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि अदालत में हाजिर होते-होते मर जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब इन्क्वायरी करने जाते हैं, मैजिस्ट्रेट साहब के हाथ में वह दरोगा जिन्होंने मारा, वह कांस्टेबिलान सब इन्क्वायरी कराने के लिये मैजिस्ट्रेट साहब को ले जाते हैं और मैजिस्ट्रेट साहब एक दीवाल की आड़ बना लेते हैं। एक तरफ पुलिस अधिकारी बैठते हैं और दूसरी तरफ प्रजातन्त्र के नाम पर इन्क्वायरी करते हैं।

श्रीमन्, पुलिस के अत्याचार भी छोड़ दीजिये। गबन की बातें लीजिये। सीतापुर जिले में म्युनिसिपिल बोर्ड में कितना गबन हुआ? उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लखनऊ म्युनिसिपिल बोर्ड के अन्दर जहां माननीय मंत्री लोग रहते हैं उनकी नाक के नीचे आडिट नोट रखा हुआ है ४,४४,००० रुपये का गोलमाल हुआ है। मगर क्या हुआ? अब यह आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इस गोलमाल के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं।

सीतापुर सहकारी कार्यालय में आग लगायी जाती है या यों कहूं कि आग लग जाती है। इन्क्वायरी होती है, जनता में अफवाह है कि १,५०,००० रुपये का गबन है। इन्क्वायरी में अभी कितना गबन आता है कोई तादाद नहीं मालूम हुई।

आपके सम्मुख टैक्सों की बात करूं तो शायद वह भी पुरानी बात होगी। परन्तु आज जो बहस हो रही है उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मीरे मजलिस रहे और

[डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा]

यों तो बहुत अधिक अनुभव नहीं है सदन में बैठने का, मगर पिछले डेढ़ साल से देख रहा हूं जो कोई मंत्री भाषण देने के लिये खड़े होते हैं तो सबसे पहले तो न मालूम क्या उम्र दराज होते हुए, सिन रसीदा होते हुए भी उनकी आस्तीनें चढ़ जाती हैं और आस्तीन चढ़ने के बावजूद भी यह तुर्रा अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिनसे रक्षा, पुलिस विभाग या गृह विभाग से कोई संबंध नहीं, मगर तुर्रा उन्होंने दिया है कि अगर कोई भी शान्ति भंग करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा तो उसका मुकाबला किया जायगा। क्या है? ठीक है मुकाबला करने के अरमान अगर हैं तो हमारी वह सभ्यता है, वह परम्परा है, हमने कंस का मुकाबला किया है, रावण का मुकाबला किया है और अगर उसके बाद जोर जुल्म अजमाना चाहते हैं तो हमारे सीने खुले हुए हैं। बारबार डराना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं १० मई को हमारा आन्दोलन शुरू हुआ, हम जेलों के अन्दर गये, बड़े अरमान थे आपके दिलों में, कौन झुका? हम झुके या सरकार झुकी? इसका इतिहास साक्षी है। हम दूकानें नहीं लुटवाना चाहते, कोई विरोधी पक्ष का आदमी यह नहीं चाहता कि देश के अन्दर अराजकता बढ़े।

श्रीमन्, मैं आपके सामने बड़े अदब से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार और जनता के बीच जो तार लगा हुआ है, सरकार और जनता के बीच में जो सम्बन्ध है वह किसी तरह से टूटने न पाये और अगर टूट गया तो श्रीमन्, यह पुलिस, यह फौज और यह आपके हवाई जहाज और आपकी तोपें फिर उस संबंध को जोड़ नहीं सकती हैं। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहूंगा कि आज सरकार को अगर जरा भी गैरत है तो वह अपना इस्तीफा दे दे बजाय इसके कि कल यह प्रस्ताव पास हो; इसलिये यही उचित है कि सरकार अपना इस्तीफा दे दे। श्रीमन्, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव आज यहां पर आया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। मुझे यहां पर आये हुए करीब डेढ़ वर्ष हो गये और अब यह दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव आया है। मैं तो यह समझता था कि म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में छोटे-छोटे विषयों पर भी अविश्वास के प्रस्ताव आया करते हैं लेकिन विधान सभा, जिसके ऊपर कि जिम्मदारी है, साढ़े ६ करोड़ इन्सानों के भाग्य के निर्णय का भार है, वहां पर डेढ़ वर्ष में दो अविश्वास के प्रस्ताव आयें तो एक मजाक-सा मालूम होता है। पहला जो प्रस्ताव इस तरह का श्री राज नारायण जी ने पेश किया था उस समय भी यह कहा गया था कि यदि सरकार चाहती है कि नेता विरोधी दल प्रस्ताव लाते तो इसके बाद फिर अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा अगर आपने हमारी बात को न माना। मैं तो यह समझता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव तभी आया करते हैं जब कि सरकार की नीति में बड़ी भारी खराबी हो जाय तो उस सरकार को हटाने के लिये और नयी सरकार बनाने के लिये बड़ी संजीदगी से अविश्वास के प्रस्ताव आया करते हैं। लेकिन यहां पर हर ६ महीने में छोटी-छोटी बातों पर अविश्वास के प्रस्ताव आया करते हैं तो इसकी कोई माकूलियत नहीं है। केवल विरोध करने के लिये ही यह लाये जाते हैं और विरोधी पार्टियां जो हैं, वह हमेशा इसी नीयत से लड़ा करती हैं।

मान्यवर, विरोधी पार्टियों ने बहुत सी बातें कही हैं, माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत बातें कहीं और हमारे एक भाई ने यहां तक कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको ललकारा है। मैं कहता हूं कि उन्होंने ललकारा नहीं है बल्कि उन्होंने तो सरकार की क्या ड्यूटी होती है उसको बताया है। हो सकता है कि जरा सी बात धीरे की जाय लेकिन वे ताकतवर हैं क्योंकि गवर्नमेंट को चला रहे हैं इसलिये उन्होंने कर्त्तव्य से बाध्य हो करके ऐसे जोरदार शब्दों में अपनी बात को कहा और वह इसलिये कहा है क्योंकि वे गांधी जी के अनुयायी हैं। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो किसी ने गांधी जी से पूछा कि यह तो हिंसा है। पोलैंड को क्या करना चाहिये, उसे हथियार डाल देने चाहिये या हमला

करे, तो गांधी जी ने कहा था कि अगर पोलैंड जर्मनी पर हमला करके उसको बिलकुल खत्म भी करदे तो भी वह अहिन्सा है। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपन कर्त्तव्य से बाध्य होकर ऐसी बात कही है। यह एक कटु सत्य उन्होंने कहा है और हमारे विरोधी दल के नेता, जिनके द्वारा कि यह प्रस्ताव आया है, अगर उनको भी सरकार बनाना पड़े और सरकार को चलाना पड़े तो उनकी ओर से भी इसी प्रकार की बातें की जायेंगी। ट्रावनकोर-कोचीन में प्रजा समाजवादी पार्टी की सरकार थी। श्रीमन्, पिल्लई मुख्य मंत्री थे। उनकी सरकार को भी गोली चलानी पड़ी। कई आदमी मरे थे। नागपुर में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग होती है और उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं, श्री जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता जैसे दिग्गज विद्वान वहां पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने भी इस बात को जस्टिफाई किया था कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिये, उसे अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये सख्ती से काम लेना पड़ता है। केरल में भी साम्यवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है और वहां पर भी उनको कड़ुआ इन्जेक्शन देना पड़ा। वहां पर लोगों ने कानून को तोड़ा तो अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये उनको बाध्य होकर गोली चलानी पड़ी।

तो मैं यह कह रहा हूं कि एक पार्टी की जो सरकार होती है, वह बांध बनवाती है, नहर बनवाती है और तकावी आदि देती है और इसके अलावा बड़े-बड़े काम भी करती है और जब देश या प्रदेश की शान्ति व्यवस्था में खतरा पैदा हो जाता है तो वह कड़ुवे घूंट भी देती है और लाठी चार्ज भी करती है और गोली भी चलाती है। हमारे यहां जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, उनकी भी सरकार होगी, तो उनको भी समय पड़ने पर गोली चलानी पड़ेगी। इसमें प्रचार करने की कोई बात नहीं है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, अनोखा है। यहां बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, मैं यह आशा करता था कि वे कुछ ऐसी चीज कहेंगे जिससे कि हमें कोई सबक मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कि राज्यपाल महोदय के भाषण के समय जिस प्रकार से खाद्य समस्या, बेकारी की समस्या व अन्न की समस्याओं पर विचार प्रकट किये गये थे, उसी तरह से इस संबंध में भी बातें कही गयीं। उनका यह विश्वास है कि असल में वे ही जनता का असली प्रतिनिधित्व करते हैं और भुखमरी तथा अराजकता, जो आज फैली हुई है, उसे वे ही दूर कर सकते हैं। उनका खयाल है कि उधर बैठने वाले ये सब काम कर सकते हैं और हम जो इधर बैठने वाले हैं, वे रिएक्शनरी हैं।

मान्यवर, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और मैंने पहले भी कई बार इस सदन में कहा है कि हमारे यहां खराबियां हैं, पुलिस में खराबियां हैं, दूकानों की संख्या और बढ़नी चाहिये, हमारे जिले में भी दूकानें काफी नहीं हैं और वहां दूकानों की कमी है। गल्ले की दूकानें बढ़ानी चाहिये। पूर्वी जिलों में कई साल से बाढ़ आती है, सरकार को उसके लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये। हमारे यहां भी ऐसी दशा में लगान वसूली होती है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम अपनी गलतियों को मानते हैं और यह समझते हैं कि जिलों में इस तरह की समस्याओं को हमें हल करना चाहिये। और सरकार उनको हल करने के लिये प्रयत्न भी करती है यदि कोई शिकायत हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रिगण से मिलकर दूर की जा सकती है। लेकिन आपकी तरफ से समझा जाता है कि आप ही जनता का सही हित करने वाले हैं। मान्यवर, एक चीज यहां पर कह दूं। हमारे यहां एक व्यक्ति हिन्दू यूनीवर्सिटी से निकले हैं। वह कहते हैं कि एक बड़े विद्वान और पंडित हैं, जो कहा करते थे कि मनुष्य कुछ भी करे, लेकिन उसको खराब बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिये। हमारे मुसलमान भाइयों के यहां क्या है, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हिन्दुओं में यह है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मी या भगवान का नाम लेते हैं। भविष्य में क्या होगा, खराब शब्द नहीं कहा जा सकता है, असेम्बली का भवन गिर जायेगा या कोई और दुर्घटना हो जायेगी। इसलिये मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह सदैव खराब बात अपने मुंह से न कहें। हममें कमी है क्योंकि हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा है, हमारा खून चूसा गया है। इस गुलामी के बाद जब

[श्री मुक्तिनाथ राय]

हम स्वतंत्र हुए हैं, तो हममें खराबियां भी हैं और कमजोरियां भी हैं और सरकार की तरफ हर कोशिश की जाती है कि खराबियों को वह दूर करे। विरोधी दल की तरफ से आन्दोलन चलाये जाते हैं और इस तरह से व जो आन्दोलन चला रहे हैं वह जनतंत्र की पद्धति में बाधा डालना चाहते हैं। मैं तो देहातों में जाता हूं और वहां देखता हूं कि आज क्या स्थिति है। किसी कमजोर को ठीक तरह से खाने को नहीं मिल पाता है, तो वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन आप जिस तरह से आन्दोलन कर रहे हैं, उससे तो गांवों में यह होगा कि जो ताकतवर है, वह कमजोर के घर से गल्ला निकाल लेगा, गड़बड़ी फैलायेगा। मैं आप से कहता हूं कि आप को इन बातों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। जो भी परिस्थिति है, हमें गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार करना चाहिये। अगर आप इस तरह से आन्दोलन करेंगे तो इससे बदअमनी फैलेगी। मैं विरोधी दल के मान्यवर नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे तो हमसे ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, हम उनको अपने से ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। तो उनको चाहिये कि वे ऐसी परिस्थिति न पैदा करें कि इस प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता खतरे में पड़ जाये। जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करता हूं। जिस प्रकार से कट मोशन होता है, और बाद में वह वापस कर लिया जाता है, उसी प्रकार से मेरी आप से प्रार्थना है कि आप कल ५ बजे इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापस ले लीजिये। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विरोधी पक्ष की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान सरकार के विरुद्ध लाया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरे समर्थन का एक विशेष कारण यह है कि हम निरन्तर यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारे शासक दल को, वर्तमान सरकार को स्वयं अपने में विश्वास नहीं रह गया है। आज जब से इस प्रस्ताव पर विचार आरम्भ हुआ है उस समय से निरन्तर हमने यह अनुभव किया है कि उस ओर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के जितने भाषण हुए उनमें एक विशेष प्रकार की ऐसी परस्पर विरोधी भावना और भ्रान्ति मयता प्रतीत होती थी कि मानों वह स्वयं इस सरकार में विश्वास खो चुके हैं और वह यह निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें और क्या न करें। आज यहां खाद्य के विषय को लेकर बहुत सी बातें कही गयीं और दोनों ओर से इस विषय पर काफी प्रकाश डाला गया परन्तु केवल खाद्य समस्या ही इस अविश्वास के प्रस्ताव का कारण नहीं है यह तो इस बात का प्रतीक है यह मंत्रिमंडल इस प्रदेश के शासन का भार वहन करने में असफल रहा है। ११ साल में जब से यह सरकार बनी है करोड़ों रुपया इस देश के गरीब लोगों का इस बात पर खर्च हुआ है कि नियोजन के द्वारा इस प्रदेश की खाद्य स्थिति को सुधारा जाय। इसके अतिरिक्त दूसरी दिशा में भी सुधार का प्रयास हुआ है, किन्तु निष्फल। खाद्य का प्रश्न विशेष रूप से एक ऐसा मौलिक प्रश्न है, जीवन का आवश्यक अंग, फिर भी भोजन देने में यह सरकार समर्थ नहीं हो सकी जब कि उसने अपनी बहुरंगी स्कीमों द्वारा करोड़ों रुपया इस प्रदेश की जनता का नाना प्रकार से व्यय किया है। आज प्रदेश में असह्य महंगाई है, अन्न का अभाव है और कहीं-कहीं लोग आज अखाद्य भी खा रहे हैं। मैं बहुत संकोच के साथ निवेदन करूंगा कि इन चीजों को, उस तरफ के सदस्यों ने बहुत हल्का कर के लिया और जितना ध्यान इस तरफ देना चाहिये था वह नहीं दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग अशान्ति फैलाने की बात करते हैं, जो लोग बार-बार जनआन्दोलन की बात करते हैं उनकी गुंडागर्दी को यह सरकार बरदाश्त नहीं करेगी...

श्री अध्यक्ष—यह गुंडागर्दी जो आपने कहा, उनकी गुंडागर्दी, यह कहना उचित नहीं है।

श्री रामकुमार वैद्य—श्रीमन्, मैंने आन्दोलन के बारे में कहा था। मैं यह कह रहा था कि इस तरह का आन्दोलन कोई जानबूझ कर नहीं कर रहा है। यह सत्य है तथ्य है कि आज प्रदेश के कोने कोने में अनाज के असह्य बढ़े हुए भाव से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे उसका अभाव न भी हो।

में स्वयं इसी लखनऊ के बाजार में अपने खर्च के लिये गेहूं खरीदने गया तो रकाबगंज के करीब में, जो यहां की बड़ी अनाज की मंडी है, वहां गेहूं का भाव २९ रुपया ६ आना मन का था। जो आज हमारे यहां के औसत आदमी की स्थिति है और जो औसत आय है, हममें से करोड़ों आदमी आज ऐसे हैं कि जिनकी आय ४०-५० रुपये मासिक से अधिक नहीं है उनका निर्वाह न जाने कैसे होता होगा वह हम नहीं समझ सकते। हमारी ओर से जब ऐसी हालत बताई जाती है तो उधर क लोगों को कुछ बुरा सा लगता है ऐसी दशा में हम नहीं समझ पाते कि आखिर विवाद की बात क्या है, आप भी स्वीकार करते हैं कि यह कीमतें आज असह्य हो रही हैं और जनता एक विशेष कठिनाई में है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे समय में शब्दों की बहस छोड़ी जाय और समुचित उपचार समस्या को हल करने का किया जाय। हमें देखना चाहिये कि कितना अभाव है और कहां रिक्तता है और बेचैनी है। इसका क्या प्रबन्ध शीघ्र से शीघ्र हो सकता है, यही हमें सोचना है।

मैंने सुबह से, जैसो कि मुझे आशा थी, कोई जवाब उधर से निश्चित रूप से नहीं सुना केवल समालोचना तो सुनने को मिली लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि क्या विशेष कारण हैं जिनकी वजह से परिस्थिति इतनी बिगड़ी। जब विरोधी पक्ष के लोग सही तरीके से सरकार के सामने सुझाव रखते हैं कि ऐसा किया जाय, ऐसा किया जाय, तब उस पर भी उचित विचार नहीं किया जाता। हम यह भी स्वीकार करत हैं कि इधर के सभी सुझाव मान्य नहीं हो सकते फिर भी जो बातें इधर से कही जाती हैं या सुझाव दिये जात हैं उनमें कुछ न कुछ तथ्य तो अवश्य होता है। अभी कुछ दिन पहले माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर इसी तरह से भाव बढ़ते गये तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे क्योंकि वह समझते हैं कि यह गल्ले की समस्या मनुष्य कृत है और मुनाफाखोरी इसके मूल में है। लेकिन बड़ा खेद है कि कई हफ्ते इस बात को हो गये, लेकिन कोई ऐसा कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। हम सरकार की परिस्थिति को समझते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, महाभारत के प्रसंग में कहा गया है कि जब धृतराष्ट्र अपना कोई कर्तव्य निश्चित नहीं कर सके तो उन्होंने कहा—

"जानामि पापं नच मे निवृत्ति, जानामि पुण्यं नच मे प्रवृत्ति।
केनामि देवेन हृदिस्थितेन, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमिः॥"

तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जानती है भली भांति बुराई की जाती है। सरकार जानती है कि अभाव का, अशान्ति का, असन्तोष का कारण क्या है। सरकार भली भांति जानती है कि उसको देखना चाहिए। वह बुनियादी तौर पर कमजोर हो चुकी है, समाजवाद की बात कहती है, लेकिन पूंजीवाद से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जानती है कि मुकाबला करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के हाथ मजबूत नहीं हैं कि वह मुकाबला करे और वह आज विपरीत कार्यवाही कर रही है। आज हमारे लिए कहा जाता है कि हम अशान्ति को जन्म देते हैं, हम लोगों को बतलाकर यह जघन्य अपराध करते हैं।

इस आदरणीय सदन के बाहर कहीं भी देखा जाय तो लोगों के सामने एक ही प्रश्न है कि क्या होगा, लेकिन जब हम कहते तो सरकार के लिए वह प्वाइंट आफ आर्डर बन जाता है, सम्मान का प्रश्न बन जाता है। उस समय सरकार कहती है कि तुम कैसे कहते हो? मैं जवाबी हवाला देता हूं कि स्वयं भी सरकार कहती है कि कई फसलें बिगड़ चुकी हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि अगर ऐसी बातें कही जाती हैं तो क्या दोष है? इस बात के कहने में क्या आपत्ति है कि बाढ़ आयी है और दो साल से हमारी पैदावार खत्म हो रही है? हम आपसे यह आदर्श मनवाना चाहते हैं कि इस प्रान्त में अन्न का अभाव है और सामान्य-जन का जीवन त्रस्त हो गया है और मैं और मेरे साथी विरोधी पक्ष के लोग आपसे बार-बार यह मांग करते रहे हैं कि इसकी आप कोई व्यवस्था कीजिये, लेकिन सिवाय इसके कि आपने कुछ आंकड़े समझाये और कुछ नहीं किया।

आपने अपनी बात को तो स्वयं असत्य सिद्ध करने की चेष्टा की, फिर हमारे सामने और क्या दूसरा रास्ता है? हम सब विरोधी पक्ष के लोगों ने विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं ने आपके ऊपर अविश्वास प्रगट करने के लिए यह प्रस्ताव उपस्थित किया और मुझे पूर्ण आशा है कि

[श्री रामकुमार वैद्य]

इस बात से हमारे इस सदन के सभी आदरणीय सदस्य भली भांति अवगत हैं। वह जानते हैं कि प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी किसकी है? तो जब तक भूख का प्रश्न है, जीवन निर्वाह का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न सामने है तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी के अनुशासन के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। मुझे आशा है कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वह उस उत्तरदायित्व को छोड़ दे जिसका वहन करने में वह सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुई है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव जो इस सरकार में अविश्वास के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसको विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विरोध, पार्टी का सदस्य होने के नाते नहीं है, बल्कि विरोध करने का कारण यह है कि मुझे यह भय लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार जो एक ठोस तरीके से स्वराज्य के बाद से अब तक चलती आयी, आज कुछ शिवजी के बरातियों का हमला होने के बाद, इस राज्य का और ६,००,००,००० जनता का क्या होगा। मैं सोचता हूं, मेरे भाई इस बात को सुनकर कुछ घबराते हैं और खास तौर से उस समय से जब से स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा था कि—"मैं इस राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा"—तो कुछ भाई बोलते समय उस बात पर नाराजगी जाहिर करते रहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने गुंडागर्दी रोकने के लिए क्यों मुक्का उठाया। मैं इस बात से डरता हूं कि अगर सरकार नहीं रोकेगी तो यह बाबा पल्टन, पी० एस० पी० और सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जो इकट्ठी हुई है, जो इस हमले को किये हैं वह अलग-अलग कौन-सी सरकार बनायेंगे और इस ६,००,००,००० जनता का कौन-सा ठोस काम कर सकेंगे? अविश्वास का प्रस्ताव आया क्यों, इस बात को सुन कर मेरे साथी चाहे वे इधर बैठे हों या उधर, कुछ परेशान से मालूम होते हैं। लेकिन मुझको परेशानी इसलिये नहीं मालूम होती क्योंकि इस राज्य में सरकार बनाने के बाद से लेकर अब तक उन पार्टियों के, जो विरोधी कही गयी हैं, मुकाबले में कुछ न कुछ किया है। जब इस सरकार की ओर से जमींदारी उन्मूलन का कानून पेश किया गया था तब भी उधर के बैठे हुए लोगों ने बहुत चीं चपड़ मचाई थी। जब दसगुना लगान जमा करके यहां के काश्तकारों को भूमिधर बनाने की बात कही गयी थी तब भी उधर के बैठे हुए लोगों ने अपनी पूरी शक्ति से उसका विरोध किया था। जब यहां की सरकार ने इस राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिये कदम उठाये तब भी उधर के लोगों ने टैक्स न दो, मालगुजारी न दो, इन तमाम बातों को हंस करके, रो करके, जेलों में जा करके और अंगूठा दिखा करके इस सरकार का विरोध करने का माकूल प्रदर्शन किया। वही बात आज भी वे कर रहे हैं।

आज जब कि यह प्रान्त खाद्य संकट से गुजर रहा है, जब कि सब को मिल कर इस बात की चेष्टा करनी चाहिये थी कि इस समस्या का हल हो तब भी यह बात कही जाती है कि न खेलेंगे, न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। आज भयानक तरीके से बाढ़ आयी है, पूर्व और पश्चिम में पानी भरा हुआ है, माननीय राजनारायण जी की खाद्य समस्या वाली सेना तो तैयार है लेकिन बह में बांध काटने के लिये या कहीं उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिये किसी सेना का उन्होंने संगठन नहीं किया। केवल इस बात के लिये सेना का संगठन किया कि आज मुल्क में अभाव है तो चलो घेरा डालो ताकि कचहरी और अदालत में और इस प्रदेश में जनता की व्यवस्था करने का कोई उपाय यह सरकार सहूलियत से न कर सके। घेरा डालने का मतलब यह होता है कि अगर कोई आदमी काम करने जाता है तो उसको न जाने दिया जाय। करना तो उनको यह चाहिये था कि हम माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करते लेकिन बात घेरा डालने की कही जाती है।

सभी पार्टियों ने किसी न किसी रूप में कुछ प्रदर्शन किया। तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी जो लखनऊ के एक बहुत अच्छे आदमी कहे गये हैं उन्होंने इस बात को सोचा कि शायद हमारी पार्टी पिछड़ जायेगी इसलिये यह तय किया कि ५ तारीख से सभी गल्ले की दूकानों को गल्ला वितरित कर देना है, शान्तिमय तरीके से। त्रिलोकी सिंह जी लखनऊ की राजधानी में रहते

हैं जहां नवाब वाजिद अली शाह रहते थे। गल्ले की दूकानों को वितरित कर देने का मतलब तो यह हुआ कि लूट लो और बांट दो। इसका नतीजा यह निकलेगा कि अभी इस लखनऊ के रहने वाले लोग २१ रुपये मन का गेहूं पा जाते हैं वहां उस दिन से उनको १ छटांक का भी गल्ला इस लखनऊ में नहीं मिलेगा और राजधानी उजड़ जायगी। जिस लखनऊ के लिये लोग कहा करते हैं कि बड़ी सुन्दर जगह है, मैं देखूंगा कि यह लखनऊ वीरान भी हो जायगा। इस डर से मैं यह कहने आया कि यह बाबा पल्टन क्या करने जा रही है? बार-बार यह कहने की चेष्टा की जाती है कि हम न तुमको चलने देंगे और खुद भी नहीं चलेंगे। कोई सुझाव अब तक जब से यह नयी सरकार बनी माननीय नेताओं की ओर से जो विरोधी कहे जाते हैं नहीं दिया गया। वस्तुतः ये विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरे असहयोगी हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्होंने विरोधी दल को कई बार बाबा पल्टन कहा है। मैं माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था चाहता हूं कि यह कहां तक संसदीय है?

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं तो इसका मतलब यही समझा हूं कि हम लोग बाबा हैं।

श्री अध्यक्ष---तो फिर उन्होंने आप लोगों को साधू लोगों की पल्टन बताया। यह कोई बुरी बात नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके द्वारा दिये गये संकलनों की यह एक प्रति है जिसमें अप्रैल, १९५२ से ५७ तक के संकलन हैं जहां पर भी सदस्य महोदय ने यह कहा है कि यह विरोधी दल नहीं बल्कि विद्रोही दल है, असहयोगी दल है, यह असंसदीय है। मैं आपके द्वारा.....

श्री अध्यक्ष---इस पर आप इस समय बातचीत नहीं उठा सकते हैं। आप दूसरा समय लें।

श्री केशव पांडेय---श्रीमन्, मुझे अधिक प्रमाणों के देने की जरूरत नहीं पड़ी और माननीय सदस्यों ने स्वयं सिद्ध कर दिया कि जब हमारी तरफ से कोई बोलने को खड़ा होता है तो उधर से कोई न कोई एक पर्चा लेकर खड़ा हो जाता है। अर्थ निकले या न निकले, लेकिन यह कहा जाता है कि मैं विरोध करता हूं। मैं कौन से प्रमाण दूं और मैं कैसे समझाऊं कि यह सरकार जनमत से चुनी हुई २४४ सदस्यों की सरकार है और उसके विरुद्ध अनधिकार चेष्टा करने वाली पार्टी को मैं कौन सी पार्टी कहूं।

इसके बाद मैं यह भी देखता हूं कि जब अंग्रेजों के साथ हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी उस समय हम लोग जेलों में बन्द थे तब भी एक पार्टी का उस समय कहना यह था कि सरकार की पूरी-पूरी मदद की जाय क्योंकि आज सारे संसार में यह युद्ध जनता के खिलाफ हो गया है। इसलिये सरकार की पूरी-पूरी मदद की जाय। आज उन्हीं का कहना यह है कि हमारी जनता भूखों मर रही है तो ऐसे उपाय करें कि जो गल्ले की दूकानें हैं उन पर गल्ला ही न मिले जिससे लोग भूखे रह कर जल्दी से जल्दी मर जायं।

श्रीमन्, इसी तरह मेरा खयाल है कि उधर के लोगों से शायद किसी ने यह कहा था और शायद इधर के किसी भाई ने कहा हो कि जब बंगाल में हक साहब की मिनिस्ट्री थी तो उस समय ४४ लाख आदमियों को भूख से मार डाला गया था। श्रीमन्, इसी प्रकार की राय देने वाले लोगों, ठकुरसुहाती कहने वाले लोगों की वजह से ही हक साहब की मिनिस्ट्री में ४४ लाख आदमी भूख से मार डाले गये थे। इसलिये मुझे आज इसी बात का डर है कि मेरे प्रान्त में भी इसी प्रकार की राजनीति के खड़े होने पर और इस अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर मेरे राज्य में भी यही बात होने वाली है। इसलिये श्रीमन्, मैंने कहा था कि जो फौज एक कमांड

[श्री केशव पांडेय]

में नहीं चलती है, आगे पीछे चलती है, उसी के लिये मैंने बाबा पल्टन कहा है। इससे मैंने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं किया है और न किसी व्यक्ति के लिये कहा है और न किसी व्यक्ति का मैंने नाम ही लिया है।

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी, जो अपने प्रदेश के पूर्वी जिलों की आवाज उठाने में अपना सानी नहीं रखते हैं और हम लोग भी उनको तरजीह देने की कोशिश करते हैं, उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि जब राज्य में अन्न की जरूरत है तो वह यह कह कर उठ कर चले गये कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चला।

श्रीमन्, प्रदर्शन के बारे में एक मित्र ने कहा कि विद्यार्थी कर रहे हैं, एक साहब ने यह कहा कि बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक साहब ने यह कहा कि दर्शक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सस्ती नेतागिरी की आवाज में प्रदर्शन करने वाले लोग क्यों नहीं मिल जायेंगे ? हम लोग ८५ हजार आदमी थे। उस समय अंग्रेजों को मददगार मिल जाते थे तो कुछ लोग ऐसे हों कि जिनकी मदद इनको मिल जाती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को उठा लिया जाय और यदि नहीं उठाया जाता है तो इसको कड़ाई से वापस कर देना चाहिये।

(श्री टीकाराम पुजारी का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन ५ मिनट और बैठे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। मैं तो कुछ ऐसी बात नहीं कहूंगा लेकिन दो बातें कहूंगा। एक तो यह कि ठाकुर साहब ने कहा था कि हम कम्युनिस्टों से डरते हैं और दूसरे यह कहा था कि यह जो हमारे जनसंघी हैं, थोड़े दिनों से ही आ गये हैं। लेकिन ठाकुर साहब इस समय नहीं हैं, वरना मैं उनसे कहता कि आज के जमाने में अगर डायर होता तो सरकार उसको टिकट देती।

श्री अध्यक्ष—आप माइक्रोफोन पर धीरे से बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी—हम लोगों ने ही अंग्रेजों को निकाला है। ठोकरें खाकर सन् १९२१ से १९४२ तक एक-एक परिवार के ११-११ आदमी अंग्रेजों से लड़े हैं। आज हमसे वह कहते हैं कि तुम कांग्रेसी नहीं हो। मैं कांग्रेसी नहीं कहता हूं। यह कांग्रेसी तीन तरह के होते हैं—असली, फसली और नकली। असली तो जानते हैं कि ये वही हैं जिन्होंने अंग्रेज को निकाला। लेकिन फसली वे हैं जो जब हम जेल से आते थे तो वह कहा करते थे कि गांवों में हमने बड़ा प्रचार किया। नकली कौन थे ? १५ अगस्त को आजादी मिलते ही कह रहे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। उन्होंने देश को बरबाद किया। वे पुश्तैनी गुलाम होते हैं। हमारे यहां पुश्तैनी गुलाम रहते हैं। रूस में पुश्तैनी गुलाम २० फी सदी, अमेरिका में २५ फीसदी, और हिन्दुस्तान में ६५ फी सदी पुश्तैनी गुलाम हैं। उनका सरकार के ऊपर कब्जा है। जब तक यह पुश्तैनी गुलाम नहीं हटाये जायंगे तब तक न सरकार बचेगी, न देश बचेगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अब प्रस्ताव पर आ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी—आ गया। पश्चिमी जिलों में गल्ले के ऊपर जो हाहाकार मचा हुआ है, दो एक बात उस सम्बन्ध में कहूंगा। हमारे यहां गरकी और चोआ के कारण फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। गरकी या चोआ से ईख में पानी भर जाता है दो-तीन फुट, जिससे ईख खत्म हो गयी है। मई के महीने में १४ रुपये मन गेहूं लाल, १५ रुपये मन फारम का, १०-११ रुपये मन चना, १०-११ रुपया मन जौ बिका, जून-जुलाई और अगस्त में। वही गेहूं आज किसानों को २७-२८ रुपये में मिल रहा है। उन्हीं की कुल्हाड़ी और उन्हीं को काट रही है। श्रीमन्, आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि खेतिहर मजदूर का गुजारा किसानों के जरिये से

ही होता है। गरकी ने पश्चिमी जिलों को तबाह कर दिया। श्रीमन्, ६-६ मील लम्बे, ३-३ मील चौड़े, ४-४ गज गहरा पानी भरा है। लाखों हजारों एकड़ में पानी भरा है। खरीफ तो खत्म हो गयी, लेकिन वह खेतिहर मजदूर जो किसानों के सहारे गुजर करता था उसके लिए कोई जिन्दगी का सहारा नहीं है। उनके ऊपर जल्दी से जल्दी गौर किया जाय। जो अलाभकर जोत वाले होते हैं, जिनके पास दस एकड़ से कम जमीन होती है वह कुछ तो लगान में दे देते हैं, कुछ आबपाशी में दे दिया, कुछ सोसायटियां चली हैं—सोसायटियों में एक बड़ा भारी तमाशा है। हमारे यहां सवाई पर गल्ला देने की बहुत पुरानी प्रथा थी। ब्याज खोर गल्ला दिया करते थे। लेकिन हमको यह पता नहीं था कि हमारी सरकार के जमाने में भी सवाई लगायी जायगी। मेरा सुझाव है कि मन पर ९ धड़ी लिया जाय। एक राजा को गाने-बजाने का शौक था। उसके यहां बहुत से गाने बजाने वाले जाया करते थे। एक आदमी लकड़ी की सारंगी बना कर और गज हाथ में लेकर बजाने लगा तो बजे कहां? और बाजे बज रहे थे, हंसराज, हारमोनियम, ढोलकी, और पखावज बजाने वाले थे। तो और के लिये १० रुपया, १५ रुपया इनाम, लेकिन उसके लिये २५ रुपया इनाम दिया। जो और वहां पर अच्छे-अच्छे गाने बजाने वाले आये थे, उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छा रहा। उनमें आपस में एक होड़ सी हो गयी। दूसरे दिन फिर गाना बजाना शुरू हुआ। जब वहां पर उसको बजाया गया तो लोगों ने पूछा कि भाई यह बताओ कि यह बाजा क्या है? उसने कहा कि यह सामूहिक बाजा है। लोगों ने कहा कि भाई इसको अलग-अलग बजाओ उसने कहा कि यह अलग-अलग नहीं बजेगा। सब को जब मिला कर बजाया जायगा तब तो यह बजेगा, यह तो सामूहिक बाजा है। सबको मिलाने पर ही बजता है नहीं तो नहीं बजता है। इसी तरह से सब लोग मिल कर किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर और गरीब लोगों की और पूर्वी जिलों की सहायता करोगे तब वहां पर कुछ असर हो सकता है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ सितम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर)

(प्रतिलिपि)

जिला सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया

दिनांक ८ अप्रैल, १९५८

श्री जिलाधीश महोदय,

देवरिया ।

आपको भली भांति ज्ञात है कि सन् १९४९ से अब तक देवरिया जिले में रबी एवं खरीफ की फसलों की बरबादी प्रायः होती रही है । सोशलिस्ट पार्टी ने समय समय पर प्रस्तावों सम्मेलनों एवं नाकामयाबी पर सत्याग्रहों द्वारा सरकार का ध्यान इधर आकर्षित किया है । किन्तु अब तक के इन कार्यवाहियों को राजनीतिक दांव पेंच, मान अपमान का नाम दे टाल मटोल किया गया है । सरकारी उत्पादन आंकड़े और गैर सरकारी उत्पादन आंकड़ों में कभी समानता नहीं हो सकी है जिससे किसानों को कानूनी हक के मुताबिक भी सुविधा नहीं प्राप्त हो सका है और राज्य एवं जिलाधिकारियों के गलत आंकड़ों के पीछे राजनैतिक पार्टियों को बदनाम एवं किसानों का शोषण करने का बहाना मिला है ।

मैं जानता हूं कि आप किसी भी तरह जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते यह नहीं चाहेंगे कि देवरिया जिला के किसान परेशान हों और उनके सही स्थिति पर पर्दा डाला जाय । इस लिये मैंने उचित समझा है कि इस मामले में मैं आपको सहयोग दूं और लूं । यह अप्रैल का महीना है, गांवों में अभी खलिहान लगे हैं । मैं चाहता हूं कि रबी फसल के सही सही उत्पादन के निराकरण हेतु देवरिया जिला के चार तहसीलों में ५, ५ गांव आप स्वयं चुन लें और आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा इसकी लगे हाथ-जांच करावें कि प्रति एकड़ उत्पादन क्या है । उचित समझें तो हमें भी सूचना दे दें कि हम भी साथ में रह कर सही स्थिति का अध्ययन करें और करावें । हमने आपको यह पत्र जानकर कि पूरे जिले में बारह आना के लगभग फसल को क्षति पहुंची है लिखा है । किन्तु यह चाहता हूं कि आगे इस तरह का झगड़ा उपस्थित न हो कि फसल के उत्पादन में सरकारी एवं हमारे आंकड़ों में अन्तर हो जिसके शिकार किसान बनें ।

आशा है आप ध्यान देंगे और उत्तर भी ।

आपका,

ह० रामेश्वर लाल,

प्रधान मंत्री,

जिला सोशलिस्ट पार्टी देवरिया ।

दिनांक: ८ अप्रैल, १९५८ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर)

बाराबंकी जिले की विभिन्न तहसीलों की ग्राम सभाओं के नाम जिनके प्रधानों को १९५७ व १९५८ में मालगुजारी वसूली का कार्य सुपुर्द किया गया

रबी १३६४ फसली

किसी भी ग्राम-सभा को मालगुजारी वसूली का कार्यभार नहीं सौंपा गया ।

खरीफ १३६५ फसली

तहसील	ग्राम सभा
१—हैदरगढ़	१—हैदरगढ़
	२—बोडरा
२—राम सनेहीघाट	१—भवनियापुर सेवली
	२—बनीकोंडर
	३—कोटवा सड़क
	४—अकबरपुर
	५—न्यौरा
३—नवाबगंज	१—सुरसंडा
	२—माती
	३—इब्राहिमाबाद
४—फतेहपुर	१—रसूलपनाह
	२—बिलौली

रबी १३६५ फसली

तहसील	ग्राम सभा
१—हदरगढ़	१—पोखरा
२—राम सनेहीघाट	१—भवनियापुर सेवली
	२—मनीकोंडर
	३—कोटवा सड़क
	४—अकबरपुर
	५—न्योरा
३—नवाबगंज	१—सुरसंडा
	२—माती
	३—इब्राहिमाबाद
४—फतेहपुर	१—रसूल पनाह
	२—बिलौली

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ५१ से सम्बन्धित तालिका

जिला बांदा—

(१) अभावग्रस्त क्षेत्र में ३४ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं जिन पर गल्ला राज्य सहायता प्राप्त दामों पर बेचा गया। गेहूं २ सेर १० छटांक प्रति रुपया (रचित मूल्य पर) तथा मोटे अनाज जैसे चना, बेझड़, जौ, मक्का, ज्वार आदि चार सेर प्रति रुपया।

(२) ३७,५०० रुपया अहेतुक सहायता के रूप में वितरण किया गया जिसमें लगभग २०,००० रुपया गल्ले के रूप में बांटा गया।

(३) जिले में भिन्न-भिन्न स्थानों में १७ टेस्ट वर्क्स केवल सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को काम दिलाने के लिये चलाये गये। ९ अन्य टेस्ट वर्क्स चालू करने के आदेश दिये गये थे परन्तु काम करने वालों के न मिलने के कारण उन पर काम न चल सका। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा १६ टेस्ट वर्क्स खोलने की आज्ञा प्रदान की गई जिनमें से ६ टेस्ट वर्क्स पर काम चालू कर दिया गया। १ मई से १५ जुलाई तक १,३७,५७९·३४ रुपया टेस्ट वर्क्स पर व्यय किया गया।

(४) १३६५ फसली खरीफ की मालगुजारी में लगभग ७,५६,१८२·०४ रुपये की और लगान में ३,३६८·८५ रुपये की छूट दी गयी।

(५) १३६५ फसली रबी की मालगुजारी में लगभग ७,८५,३२२·४५ रुपये और लगान में २,१७६·८० रुपये की वसूली स्थगित की गयी।

(६) इस अवधि में ४,५३,९०५ रुपये की तकावी प्रभावितों को बांटी गयी।

(७) जानवरों के लिये २१,००० मन सूखी घास मुफ्त बांटी गयी तथा आस-पास के सरकारी चरागाह व जंगल मुफ्त चरने के लिये खोल दिये गये।

(८) १३ ग्रामों में पीने का पानी सरकारी व्यय पर पहुंचाया गया जिसमें लगभग १४,११३·२३ रुपये व्यय हुआ। लगभग ६,००० रुपये के कुओं को गहरा करने में सरकारी सहायता दी गयी।

मिर्जापुर—

(१) मुख्यतः अभावग्रस्त क्षेत्रों में १२९ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयीं जिनसे सस्ते दामों पर गल्ला बेचा गया।

(२) २०,००० रुपये का अनाज ५,००० अपाहिजों तथा गरीबों को मुफ्त राशन के रूप में वितरित किया गया।

(३) १·३८ लाख रुपया ऐक्ट १२ की तकावी तथा ३९,००० रुपये ऐक्ट १९ की तकावी के रूप में बांटा गया।

(४) ४६ टेस्ट वर्क्स खोले गये जिन पर ५,००० से २५,००० व्यक्तियों ने काम करके जीविकोपार्जन किया।

(५) रबी १३६५ फसली की ८·०८ लाख रुपये की मालगुजारी की वसूली मुल्तवी की गयी।

इलाहाबाद--

(१) ८३ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयीं ।

(२) १४,४९८ रुपये गल्ले के रूप में अहेतुक सहायता के द्वारा निःशुल्क २,८४८ व्यक्तियों को दिया गया ।

(३) ५,३५,००० रुपये तकावी ऐक्ट १२ के आधीन बांटी गयी ।

(४) ३६ टेस्ट वर्क्स खोले गये जिन पर ६,६१३ व्यक्तियों ने कार्य किया व १,४९,९१७·५९ रुपये व्यय किये गये ।

(५) १३६५ खरीफ फसली की कुल २९,७९,७९०·०९ रुपये की मालगुजारी की मांग में से १९,१७,०७४·१२ रुपया निलम्बित कर दिया गया ।

जिसकी छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है इसी प्रकार रबी १३६५ फसली की कुल २२,४१,६५५ रुपया की मांग में से ११,२९,९५१·६६ रुपये की वसूली निलम्बित कर दी गयी है और छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(६) १,००० चर्खे २३७१ कपड़े तथा ८०० रुपये भी बांटे गये ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

श्री देवनारायण भारतीय द्वारा पूछे गये प्रश्न ५२–५४ से संबंधित तालिका

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	लगान मुल्तवी (रुपयों में)	अहेतुक सहायता (रुपयों में)	मकान बनाने के लिये राज्य सहायता (रुपयों में)	तकावी ऐक्ट १२ के अधीन	फसल को नुकसान (आनों में)
जिला बदायूं की तहसील दातागंज, परगना सलेमपुर :—						
१	शेखपुर ..	४२	..	..	..	०–८–० से अधिक
२	धमीपट्टी	१६७	..	..	३७५–०	,,
३	नगरिया खून	८०४	७३–०	..	१,५२५–०	,,
४	दमरा	३५८	..	..	५२०–०	,,
५	बिसौरिया	४०७	..	३९०–०		
६	गठिया पैगमपुर	३५९	३१–०	१३५–०	९१०–०	,,
७	सूरज पुर ढकाखाम	३७	..	२१०–०	४४०–०	,,
८	खानपुर	५१८	..	..	..	
९	नौ नी कटकौरा	१७०	९६–०	२९५–०	५६०–०	,,
१०	मौजमपुर ..	८२९	१५०–०	..	९९०–०	,,
११	पट्टी विजा खां	२८	२७–०	१००–०	६३५–०	,,
१२	शेरपुर भैंडा	५०२	५३–०	..	१,१६०–०	,,
१३	सकतपुर खाम	१०४	१०–०	१५–०		
१४	सूरजपुर ढका पुख्ता	११८	..	२१०–०	४०५–०	,,
१५	पट्टी बिजा पुख्ता	६३	..	..	..	
१६	लालपुर खादर	२९२	५७–०	..	१,३१५–०	,,
१७	कुन्डरा ..	५६८	३५०–०	२१०–०	१,६७०–०	,,
१८	नौनी टिकना पुख्ता	१,७९१	९३–०	..	२,६८०–०	,,
१९	हररामपुर	३५२	..	..	९७५–०	,,
२०	मझरा खास	७०	..	..	४१०–०	,,
२१	बिहारी पुर	२५४	१०–०	६०–०	..	
२२	सिमरिया खादूखाम	६४	१२–०	..	४८०–०	,,
२३	मोहशमपुर आनन्दपुर	३१७	१२–०	६०–०		
२४	माडल नगला धाम	१००	..	..		
२५	पिपला धाम	८१	..	..	..	,,
२६	धौनी टिकला धाम	१४८	..	..	..	,,

क्रम संख्या	नाम ग्राम	लगान मुल्तवी (रुपयों में)	अहेतुक सहायता (रुपयों में)	मकान बनाने के लिए राज्य सहायता (रुपयों में)	तकावी ऐक्ट १२ के अधीन	फसल को नुकसान (आनों में)
२७	चकवा	३१३	..	..	१,१७५–०	०–८–०
२८	मेंडा	७३	२७–०–		..	से अधिक
२९	सेहराखाम	२८५	..			,,
३०	बछलिया	२८३	..			,,
	पुख्ता		..			,,
३१	बछलिया	२८	..	..		,,
	खाम		..			,,
३२	जरौना कुल्लह	७३	..			,,
३३	ककूरौआ	३६५	..			,,
३४	कढ़ेका	४५५	..			,,
३५	करीमगंज	२८५	..		१८०–०–	,,
३६	रुक्मपुर धाम	३७९	१–१३–	..		,,
३७	राजपुर पुख्ता	४	..			,,
३८	राजपुर खाम	९१	..			,,
३९	धनेली	१२३	..			,,
४०	भीकमपुर	१३४	..	..	..	,,
	प्रतिमराय		..			,,
४१	उरेना पुख्ता	३४१	८१–०–			,,
४२	बेला खाम	१४५	५–०–			,,
४३	आसुपुर	६८	१८–०–	१०–०–		,,
४४	बेहड़ेरी खाम	६९	८–०–			,,
४५	लहडोरा	३९४	१५–०–			,,
४६	गोपालपुर	१६८	..	..		,,
	खाम		..			,,
४७	मनहनियां	८७	..			,,
४८	चन्दोखा मिर्जा	१४	..			,,
४९	चन्दोखा पहलाद	७९	..	..		,,
	पुख्ता		..			,,
५०	सैदपुर अकट	१८९				,,
५१	चापर कोरा	११२	८१–०–	१०–०–		,,
५२	करनपुर पुख्ता	१४१	५४–०–	..	..	,,
५३	बिहारीपुर	४१	..	..	..	,,
	छमराय			..	..	,,
५४	दियोरनियां	४४	..	..	..	,,
५५	डांडी	२५३	५७–०–	९०–०–	..	,,
५६	सूरजपुर पुख्ता	१३०	..		..	,,
५७	फतेउल्ला गंज	४४	३२–०–	११०–०–	२१०–०–	,,
	पुख्ता					
५८	धनौरा खाम	३१	..	..	..	,,

अध्यक्ष विधान सभा

क्रम सं०	नाम ग्राम	लगान मुल्तवी (रुपयों में)	अहेतुक सहायता (रुपयों में)	मकान बनाने के लिए राज्य सहायता (रुपयों में)	तकावी ऐक्ट १२ के अधीन	फसल को नुकसान (आनों में)
५९	कुडरां खरसाई पुख्ता	१,०७४	..	..	..	०—८—० से अधिक
६०	कुंडरा खरसाई खाम	२९	..	..	..	०—८—० से कम
६१	रावलपुर	..	१९—०	१३५—०	७००—०	,,
६२	प्रानपुर	..	२०—०	१३५—०	..	,,
६३	मफरन्दापुर	.	८०—०	४८—०	..	,,
६४	गढौला उफ-ज़रतोली		५४—०	३४५—०	२४४५—०	,,
६५	मुढ़ा			..	६६०—०	,,
६६	धिमरपुरा	..	..	१००—०	५००—०	,,
	योग ..	१४,६८७	१,५२७	२,५३५	२०,९२०	..

अवध पदुआ विधान सभा

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर का परगना खेड़ा बझेड़ा

१ मरेना
२ सूरसवा
३ लोहरगढ़ी
४ मुडिया खेत्रा, आजमाबाद
५ गूजारी
६ मिर्जापुर
७ आसे नवादा
८ परियना
९ जीर पट्टी टाटराबाद
१० चकहदा
११ रामपुर
१२ खूबपुर
१३ अचित्तपुर
१४ केशी नगला
१५ टिही
१६ गंभीरपुर
१७ फीरोजपुर
१८ मौजमनगर
१९ बाकरपुरता० बला
२० नबीनगर सियूहा
२१ बिहारीपुर नगरिया
२२ बन्डिया खुर्द
२३ भूड़ा बांगर
२४ बन्डिया कलां
२५ डमौरा सिमरा
२६ नौगवां निरातम
२७ कन्हानी देहा एहत्माली
२८ वरी प्रसिद्धपुर
२९ रूमपुर
३० रपड़ा
३१ गौटिया अत्तू
३२ मावड़
३३ नगलांदेह एहत्माली

रु० नये पैसे

(१) मालगुजारी में छूट--६,३६२--९०
(२) तकावी ऐक्ट १२--२०,०००--००
के अधीन ।
(३) निःशुल्क सहायता --
मिट्टी का तेल, नमक दियासलाई, चना
१३ टीन ४ बोरी २४ दर्जन ५ मन।

विश्वनाथ सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२८ पर)

क्रमांक प्रतिष्ठान का नाम	बैठक की तिथियां और श्रमिकों की संख्या		बैठकी के मुआवजे का भुगतान किया गया धन	बैठकी के मुवावजे के काटने के बाद खोये हुये वेतन का धन यदि कोई भुगतान न किया गया	बैठकी के कारण
	जुलाई ५८ में प्रभावित तिथियां	बैठकी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या १४–७–५८ से २२–७–५८ तक।			
१—मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि० कानपुर	जुलाई १४, १९५८	१६	कुछ नहीं	कुछ नहीं	डबलिंग विभाग में काम की कमी। बदली का नियोजन दिया गया।
	जुलाई १५, १९५८	१६			
	,, १६, ,,	१६			
	,, १७, ,,	१६			
	,, १८, ,,	१६			
	,, १९, ,,	१६			
	,, २०, ,,	१६			
	,, २१, ,,	१६			
	,, २२, ,,	१६			
			लगभग धन	लगभग धन	
२—मेसर्स कानपुर टैक्सटाइल लि०	जुलाई १४, १९५८	२६	४४.९८	४४.९८	
	,, १५, ,,	३२	५५.३६	५५.३६	
	,, १६, ,,	३३	५७.०९	५७.०९	स्टाक के जमा हो जाने के कारण मिल में संतुलन बनाये रखना।
	,, १७, ,,	३५	६०.५०	६०.५०	
	,, १८, ,,	३९	६७.४७	६७.४७	
	,, १९, ,,	३१	५३.६३	५३.६३	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	जुलाई २०, ,,	रविवार				
	,, २१, ,,	२८	५८.४४	४८.४४		
	,, २२, ,,	३३	५७.०९	५७.०९		
३—मेसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स।	जुलाई १४, १९५८	९	कुछ नहीं			काम की कमी के कारण बंठकी हुई। बदली की जगहें दी गईं।
	,, १५, ,,	७				
	,, १६, ,,	७				
	,, १७, ,,	८				
	,, १८, ,,	८				
	,, १९, ,,	५				
	,, २०, ,,	कुछ नहीं				
	,, २१, ,,	५				
	,, २२, ,,	५				
४—मेसर्स बी० आई० सी० लि०, (कानपुर काटन मिल्स) कं० लि०, कानपुर।	जुलाई १४, १९५८	२९४५	४९३५	४९३५		लगातार हानि के बढ़ने और बिना बिके हुये स्टाक के जमा होने के कारण कार्यशील पूंजी का गति हीन होना जो कि प्रतिष्ठान के स्थायित्व के लिये खतरे का साधन हो गया मुवावजे के भुगतान में कोई देरी नहीं हुई।
	,, १५, ,,	२९४३	,,	,,		
	,, १६, ,,	२९४६	,,	,,		
	,, १७, ,,	२९४४	,,	,,		
	,, १८, ,,	२९४७	,,	,,		
	,, १९, ,,	२९४४	,,	,,		
	,, २०, ,,	रविवार	,,	,,		
	,, २१, ,,	२९४०	,,	,,		
	,, २२, ,,	२९३७	,,	,,		
५—मेसर्स ग्रथर्टन वेस्ट कं० लि०, कानपुर।	जुलाई १४, १९५८	२२८२	कुछ नहीं	७७५९.००	औसत धन	
	,, १५, ,,	२२८४	,,	७७६५.००	,,	
	,, १६, ,,	२२९०	,,	७७८६.००	,,	विपरीत और आर्थिक व्यापारिक दशायें जो कि प्रबन्धकों के नियन्त्रण के बाहर थीं।
	,, १७, ,,	२२८९	,,	७७८३.००	,,	
	,, १८, ,,	२२६२	,,	७६९१.००	,,	
	,, १९, ,,	२२५८	,,	७६७८.००	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	बैठक की तिथियां और श्रमिकों की संख्या		बैठकी के मुआवजे का भुगतान किया गया धन	बैठकी के मुआवजे के काटने के बाद खोये हुये वेतन का धन यदि कोई भुगतान न किया गया	बैठकी के कारण
		जुलाई ५८ में प्रभावित तिथियां	बैठकी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या १४-७-५८ से २२-७-५८ तक।			
		जुलाई २०, १९५८	रविवार	कुछ नहीं		
		" २१, "	२२७५	कुछ नहीं	७७३५.०० औसत धन	
		" २२, "	२२७४	"	७७३२.०० "	
६	मेसर्स म्योर मिल कं० लि०, कानपुर।	" १४, "	४३७.४२	इन्टाटिल्ड	६९.५६ १३२०.७८	बैठकी व्यापारिक कारणों के कारण थी। भुगतान में कोई देर नहीं हुई।
		" १५, "	४७८.३९	"	६४.५९ १४६७.९१	
		" १६, "	४६७.३२	"	५३.०० १४५४.५३	
		" १७, "	४११.२६	"	४३.०६ १२८७.३४	
		" १८, "	४५५.२६	"	४३.०६ १४३४.४७	
		" १९, "	४१९.२५	"	४१.४१ १३१७.४४	
		" २०, "	रविवार			
		" २१, "	४६७.२४	"	३९.७५ १२८०.६६	
		" २२, "	४२६.२६	"	४३.०६ १३३३.३४	
			३५००.२४०			
७	मेसर्स लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर।	" १४, " से " २०, " तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं		वेस्ट प्लान्ट विभाग में ड्राइव के मेन शैफ्ट के टूट जाने से।
		" २१, "	१६		२१.७१ न० २१.७१	
		" २२, "	३४		५१.३४ पै० ५१.३४	

अवैध वेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३० पर)

पिछले वर्षों में श्री बद्रीनाथ मंदिर के फंड से निम्नलिखित रुपया अतिथि सत्कार पर खर्च किया गया

		रु०	नये पैसे
(१)	१९५३–५४	२०	०
(२)	१९५४–५५	शून्य	
(३)	१९५५–५६	शून्य	
(४)	१९५६–५७	५५४	७२
(५)	१९५७–५८	४०३	६२

नोट—इसके अतिरिक्त करीबन एक हजार रुपया वार्षिक पके हुये चावलों के भोग पर खर्च होता है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३१ पर)

तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में चकबन्दी योजना में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

क्रम संख्या	पद	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या	पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	चकबन्दी कर्ता (कंसालीडेटर)	६०	..	२
२	लेखपाल (अमीन)	२५५	९	२१
३	पेशकार (Court-Clerk)	४८	६	२
४	चपरासी	१४१	९	२३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४७ एल० ए०—११५८—८३७।